



प्रशासकीय प्रतिवेदन

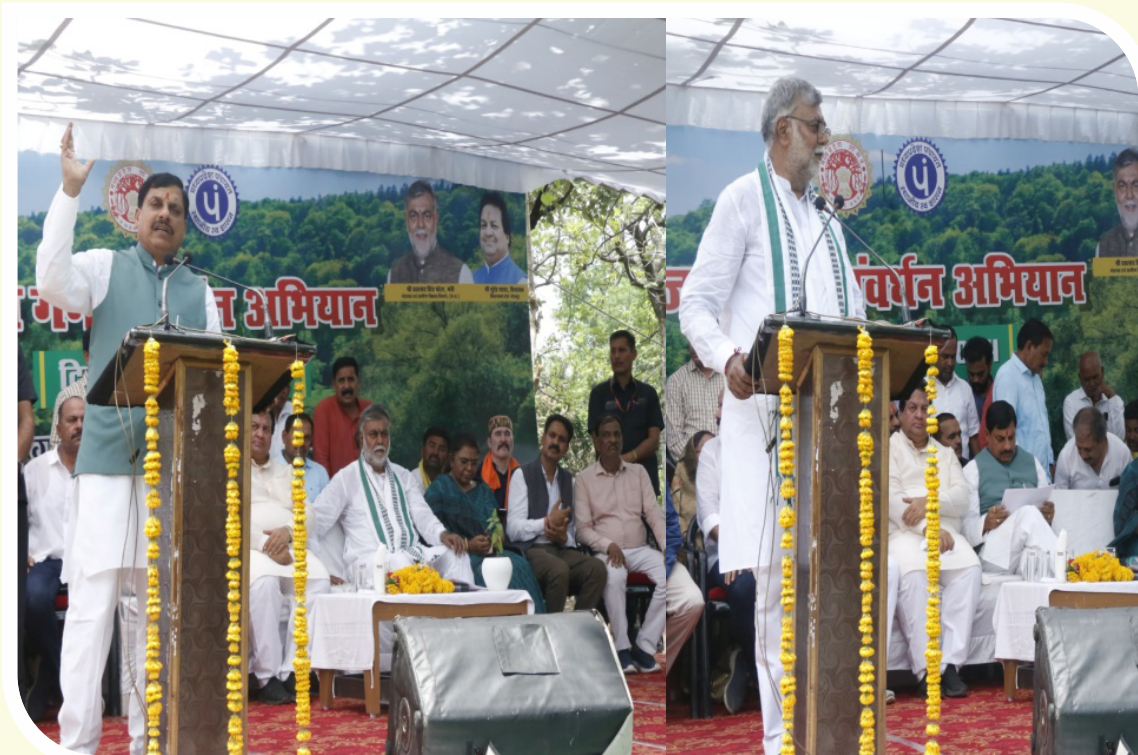
वर्ष 2023-2024



पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन



विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में चर्चा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉ. मोहन यादव



माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वेतवा नदी के उदगम स्थल ग्राम - झिरी जिला रायसेन में पौधारोपण कर जलगंगा संवर्धन अभियान 2024 का शुभारंभ करते हुए





प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2023-24



पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्री	— श्री प्रहलाद सिंह पटेल
राज्य मंत्री	— श्रीमती राधा सिंह
अपर मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त	— श्री मलय श्रीवास्तव
उप सचिव	— श्री राकेश कुशरे
मुख्य कार्यपालन अधिकारी	— श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	— श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल
मिशन संचालक, स्वच्छ भारत मिशन	— श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल
संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान	— श्रीमती तन्वी सुन्दरियाल
संचालक, पंचायतराज संचालनालय	— श्री मनोज पुष्प
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,	— श्री मनोज पुष्प
मध्यप्रदेश आजीविका फोरम	
राज्य समन्वयक, म.प्र. प्रधानमंत्री पोषण	— श्री मनोज पुष्प
शक्ति निर्माण	
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी	— श्री एस. कृष्ण चैतन्य
परिषद्	
संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र	— श्री एस. कृष्ण चैतन्य
प्रबंधन मिशन	
संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना	— श्री केदार सिंह
प्रबंध संचालक, भोपाल हाट	— श्री केदार सिंह
प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	— श्री एच.एस. जाधव
संचालक, एम.जी.एस.आई.आर.डी.	— श्री के.बी. मालवीय

अनुक्रमणिका

खण्ड-1 पंचायत

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	स्थापना अनुभाग	1
2.	पंचायत अनुभाग	3
3.	निर्माण अनुभाग – 15वां वित्त आयोग/5वां वित्त आयोग	3
4.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)	5
5.	सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY)	7
6.	मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 (PESA)	8
7.	बजट	11

खण्ड-2 ग्रामीण विकास

1.	विभागीय संरचना	15
2.	विभागीय जांच/नियुक्तियों/स्थानांतरण/न्यायालयीन प्रकरण	16
3.	बजट	17

विभाग की योजनाएं

4.	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)	22
5.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. (MGNREGS-MP)	26
6.	सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	42
7.	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	43
8.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	51
9.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (PMAY)	57
10.	मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MPSRLM)	60
11.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास (PMKSY-WD)	66
12.	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PMPSN)	68
13.	भोपाल हाट	73
14.	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान (MGSIRD & PANCHAYATRAJ)	74
15.	मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (WALMI)	82
16.	वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत योजनाओं की अद्यतन प्रगति	90

खण्ड –एक
पंचायत

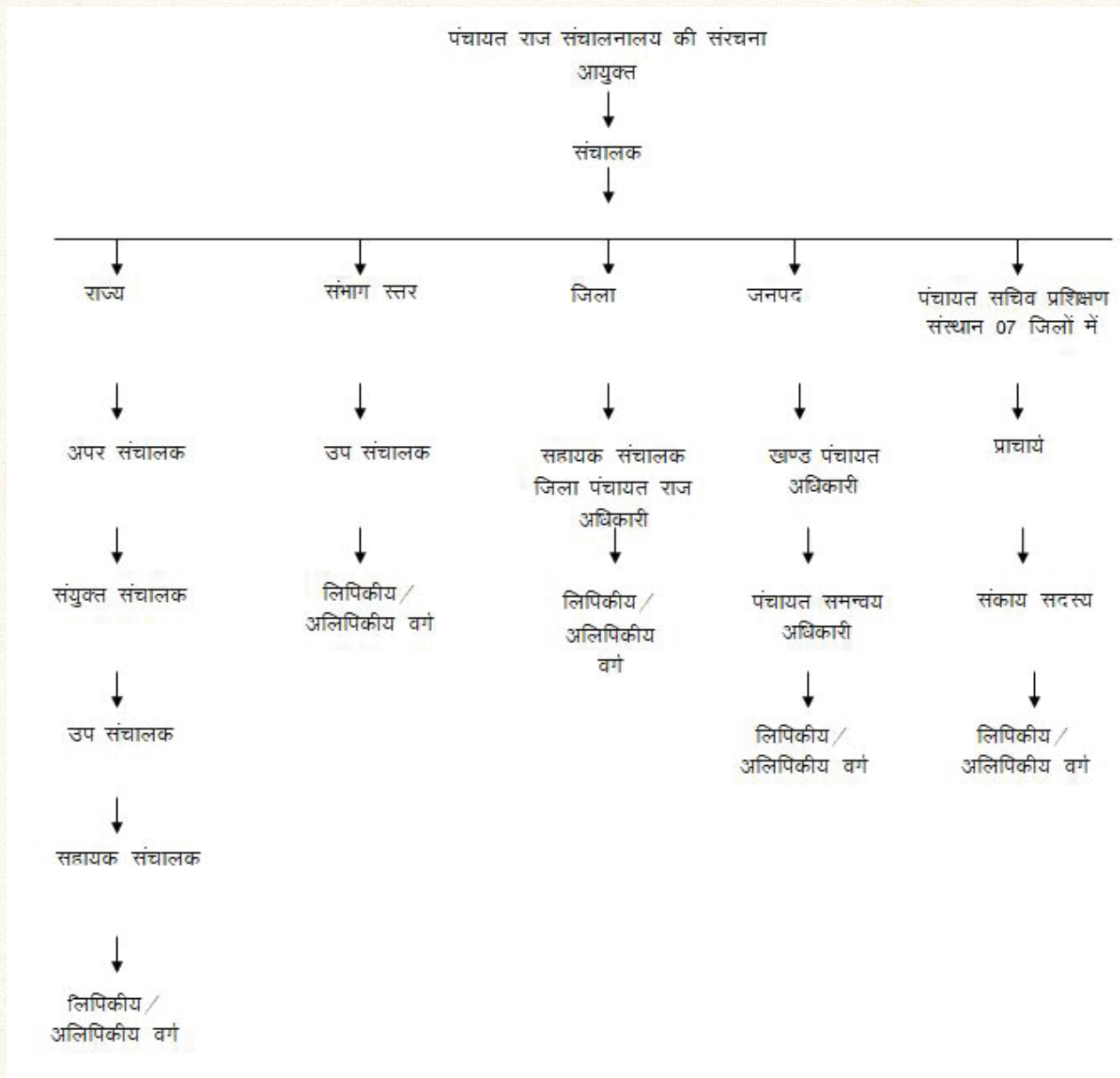
(पृष्ठ क्रमांक 01 से 12 तक)

पंचायतराज संचालनालय

1- स्थापना अनुभाग—

1. **संरचना** — पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर पर पृथक पंचायत राज संचालनालय का गठन दिनांक 06.12.2007 को किया जाकर दिनांक 01 अप्रैल 2008 से संचालित है।
2. **सामान्य जानकारी** — भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक—1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया।
3. **अधीनस्थ कार्यालय** — संचालनालय के अधीन जिला स्तर पर जिला पंचायत एवं जनपद स्तर पर जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।
4. **संचालनालय के अंतर्गत संस्थाओं का विवरण** — प्रदेश में संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान पचमढी तथा 07 पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान (शिवपुरी, नौगांव, मुलताई, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं रीवा) संचालित हैं।
5. **दायित्व — संचालनालय के मुख्य दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है :-**
 - ♦ त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का क्रियान्वयन।
 - ♦ ग्रामीण अधोसंरचना का विकास।
 - ♦ ग्रामों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना।
 - ♦ पंचायत राज संस्थाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने हेतु करारोपण के लिए प्रोत्साहित करना।
 - ♦ पंचायत प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन, उन्मुखीकरण एवं तकनीकी-आधुनिकीकरण प्रशिक्षण।

पंचायतराज संचालनालय की संरचना



विभागीय जांच, नियुक्तियाँ, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण

संचालनालय अंतर्गत मुख्यालय स्तर से खण्ड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वय अधिकारी एवं सहायक ग्रेड-3 के स्थानांतरण नहीं किये गये। मुख्यालय स्तर पर कुल 238 न्यायालयीन प्रकरण हैं जिनमें से रिट पिटीशन के कुल 204 लंबित प्रकरणों में से 190 प्रकरणों में जबावदावा प्रस्तुत किया गया तथा अवमानना के कुल 34 न्यायालयीन प्रकरणों में से 32 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पंचायत अनुभाग

- ♦ मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) प्रवृत्त है।
- ♦ विभाग द्वारा दिनांक 26.05.2022 से लागू ग्राम पंचायत पुरस्कार योजना अनुसार निर्विरोध निर्वाचन के प्रोत्साहन हेतु ग्राम पंचायतों में निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :-
 - ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। (पुरस्कार राशि रु. 5 लाख)
 - सरपंच पद हेतु वर्तमान निर्वाचन एवं पिछला निर्वाचन निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर (पुरस्कार राशि रु. 7 लाख)
 - ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। (पुरस्कार राशि रु. 7 लाख)
 - ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच तथा सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं। (पुरस्कार राशि रु. 12 लाख)
 - पंचायत में सरपंच एवं पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्वाचन निर्विरोध रूप से हुए हैं। (पुरस्कार राशि रु. 15 लाख)

निर्माण अनुभाग

पंचायतराज संचालनालय की निर्माण शाखा द्वारा योजना क्रमांक 4610 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान मद की राशि से ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, सी.सी.रोड, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, रपटा निर्माण, बाउण्ड्रीवाल निर्माण आदि अधोसंरचना निर्माण संबंधी कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

उपलब्धियां

पंचायतराज संचालनालय द्वारा प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा भोपाल से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना शीर्ष 6084 अंतर्गत 9,985 निर्माण कार्य लागत राशि रुपये 1219.39 करोड़ के स्वीकृत किये गये हैं।

15वां वित्त आयोग अनुदान

15वां वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप पंचायतों द्वारा वार्षिक विकास कार्ययोजना बनाया जाकर निम्नानुसार राशि व्यय की जा रही है:-

- ♦ न्यूनतम 60 प्रतिशत टाईड ग्रांट दो बराबर भागों में स्वच्छता एवं पेयजल संबंधी कार्यों पर व्यय की जाती है।
- ♦ शेष 40 प्रतिशत अनटाईड ग्रांट राशि अन्य अधोसंरचनात्मक कार्यों पर व्यय की जाती है।
- ♦ 15वां वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल राशि रु. 3083.00 करोड़ का आवंटन प्रावधानित है, जिसमें से वर्तमान स्थिति तक केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रु. 2249.37 करोड़ समस्त त्रि-स्तरीय पंचायतों को जारी की जा चुकी है।
- ♦ पंचायतों द्वारा ग्राम विकास योजना 2024-25 तैयार की जा रही है।
- ♦ 15वां वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से अब तक 7942.15 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

ऑनलाईन क्रियान्वयन

पंचायतों द्वारा योजना का क्रियान्वयन एवं व्यय भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय एवं भारत सरकार, वित्त विभाग के इंटीग्रेटेड पोर्टल ई-ग्राम स्वराज, पी.एफ.एम.एस के माध्यम से डीएससी द्वारा किया जा रहे हैं।

5वां वित्त आयोग

5वां राज्य वित्त आयोग अंतर्गत पंचायतों को प्रति वर्ष अधोसंरचना विकास हेतु राशि प्रदान की जाती है। तृतीय राज्य वित्त आयोग अंतर्गत राज्य शासन के कर एवं करो के अंतर्गत राज्य आय की राशि 5वां राज्य वित्त आयोग में लगभग 07.75 प्रतिशत की गई है।

- ♦ 5वां राज्य वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कुल प्रावधानित राशि रु. 1906.00 करोड़ के विरुद्ध 1465.00 करोड़ त्रि-स्तरीय पंचायतों को जारी की गई है।
- ♦ जिला पंचायतों हेतु राशि रु. 24.50 करोड़, जनपद पंचायतों हेतु राशि रु. 67.05 करोड़ एवं ग्राम पंचायतों हेतु राशि रु. 1814.45 करोड़ प्रावधानित किये गये हैं।

ऑनलाईन क्रियान्वयन:-

- ♦ 5वां राज्य वित्त आयोग राशि का उपयोग पंचायतों के उत्तरदायित्वों के तहत मूलभूत सेवाओं जो जन स्वास्थ्य एवं जन कार्य से संबंधित है एवं अधोसंरचना विकास के कार्य, बिजली बिल भुगतान, परिसंपत्तियों की मरम्मत इत्यादि मूलभूत आवश्यकतानुसार किया जावेगा।
- ♦ पंचायतों द्वारा "पंचायत दर्पण" पोर्टल के माध्यम से डीएससी द्वारा ऑनलाइन भुगतान किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा संचालित वर्ष 2018-19 से संचालित केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो कि वर्ष 2022-23 में पुनः विस्तार कर वर्ष 2026 तक के लिये प्रभावी है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाना है। इस योजना में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ-साथ कार्यकारी अमलों के लिए विभिन्न प्रशिक्षणों को भी समग्र रूप से शामिल किया गया है। म.प्र. में सभी 52 जिलों में लागू हैं जिसमें विशेष रूप से त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के साथ साथ 13 विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं, पेसा अनुसूचित क्षेत्र एवं संबद्ध अंतर्विभागीय अभिकरण व संस्थाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए केन्द्र वित्त पोषित योजना है जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश राशि एवं 40 प्रतिशत राज्यांश राशि का प्रावधान है।

मुख्य उद्देश्य — योजना का मुख्य उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकारी अमले का क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण करना है। योजना के अन्य उद्देश्य निम्न है।

- 1- योजनांतर्गत पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण करना एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का संरचनागत संस्थागत विकास करना।
- 2- पेसा अनुसूचित क्षेत्र के जिलो जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में विशेष सहायता एवं कार्यकारी अमले की स्थापना करना है एवं पेसा अनुसूचित क्षेत्र की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन करना।
- 3- पेसा एवं आकांक्षी जिलों में ग्राम पंचायतों को तकनीकी एवं हेण्ड होल्डिंग सपोर्ट हेतु अमला उपलब्ध कराना।
- 4- ग्राम पंचायतों में ई-इनेबलमेंट की गतिविधियों का क्रियान्वयन, कम्यूनिटी सर्विस सेन्टर, पंचायत लर्निंग सेन्टर की स्थापना करना।
- 5- विभागीय प्रशिक्षण संस्थाओं का संस्थागत संरचनागत विकास एवं उन्नयन करना।
- 6- आजीविका मूलक एवं नवाचार प्रकल्पों का निर्माण एवं क्रियान्वयन।

वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ में)

स्वीकृति का वर्ष	अनुमोदित राशि	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल प्राप्त	व्यय	उपलब्धि का %
2023-24	561.54	46.17	30.77	76.54	58.27	76

भौतिक प्रगति

- ♦ योजनान्तर्गत वर्ष 2023-24 में विभिन्न ऑफ-लाइन/ऑनलाइन मोड से प्रशिक्षण-सह-क्षमता विकास अंतर्गत पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबन्धित लगभग 95 हजार प्रतिभागियों का प्रशिक्षण।

- ♦ प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में पंचायत समिति के सदस्य, कार्यकारी अमला, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सीआरपी/एसएचजी के सदस्य एवं प्रतिनिधि आदि शामिल।
- ♦ आयोजित प्रशिक्षण सत्रों के मुख्य विषय जैसे –थिमेटिक प्रशिक्षण अंतर्गत सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण, जीपीडीपी नियोजन, जेम पोर्टल, पीएम विश्वकर्मा, लैंगिक संवेदीकरण, पीआरआई-एसएचजी कंवर्जेंस, स्वयं की आय, कार्यालय प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण, जल शक्ति अभियान, डिजिटल साक्षरता- सिटीज़न चार्टर, सॉफ्ट स्किल्स, पोर्टल्स, ऑनलाइन बैंकिंग।

विशेष उपलब्धियां

- 1- मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 लागू होने से उसके क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 में 20 पेसा जिला के 16 जिला समन्वयक एवं 88 जनपद पंचायतों के 86 समन्वयक की पदस्थापना की गई है।
- 2- मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 क्रियान्वयन के प्रशिक्षण, प्रचार-प्रसार क्रियान्वयन हेतु महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, जबलपुर से म.प्र. जन अभियान परिषद भोपाल से एमओयू किया जाकर राशि रुपये 3.00 करोड़ स्वीकृत किया गया। म.प्र. जन अभियान परिषद द्वारा राज्य स्तरीय 100, जिला स्तरीय 800, सेक्टर स्तरीय 35,533 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण के माध्यम से उन्मुखीकरण किया गया, इस हेतु राज्य स्तरीय 100 प्रतिभागियों का अध्ययन भ्रमण किया गया।
- 3- मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 प्रभावी क्रियान्वयन एवं जन शिक्षण हेतु पेसा प्रशिक्षण मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया गया एवं पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से होने वाले सामाजिक, आर्थिक लाभों पर आधारित लघु पुस्तिका का प्रकाशन किया गया।
- 4- सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को लेकर महिला एवं बाल हितैषी पंचायत विषय पर दिनांक 19 जुलाई 2023 को पंचायत प्रतिनिधि एवं जिला पंचायत नोडल अधिकारी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर उन्मुखीकरण करते हुए बुकलेट प्रकाशित किया गया।
- 5- पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स पर दिनांक 18 सितंबर 2023 को समस्त जिला पंचायत नोडल अधिकारियों का राज्य स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण ईटीसी-भोपाल में दिया गया।
- 6- समस्त जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल में विभागीय संरचनाओं की जानकारी प्रदाय कर दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2023 को उन्मुखीकरण किया गया।
- 7- इसी अनुक्रम में महिला एवं बाल हितैषी पंचायत विषय पर दिनांक 18 दिसम्बर 2023 को पंचायत प्रतिनिधि एवं जिला पंचायत नोडल अधिकारी उज्जैन संभाग का जिला उज्जैन में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कर उन्मुखीकरण किया गया।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

सांसद आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य मौजूदा संदर्भ को ध्यान में रखते हुए महात्मा गाँधी की ग्रामीण विकास की संकल्पना "स्वराज" को "सुराज" में बदलने के लिए आदर्श ग्रामों के विकास पर केन्द्रित है, जिसका मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है –

- ♦ निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
 - ♦ आबादी के सभी वर्गों के जीवन-स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना। यह कार्य निम्न के जरिए किया जाएगा –
 - 1- उन्नत बुनियादी सुविधाएँ
 - 2- अधिकतम उत्पादकता
 - 3- बेहतर मानव विकास
 - 4- बेहतर आजीविका के अवसर
 - 5- असमानता में कमी
 - 6- अधिकार और हकदारी के लिए पहुँच दिलाना
 - 7- वृहत सामाजिक एकजुटता
 - 8- समृद्ध सामाजिक पूंजी
 - ♦ स्थानीय स्तर पर विकास और प्रभावी स्थानीय शासन का मॉडल तैयार करना जिससे कि आसपास की ग्राम पंचायतों को सीखने और इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरणा मिल सके।
 - ♦ निर्धारित आदर्श ग्रामों को स्थानीय विकास के विद्यालयों के रूप में विकसित करना ताकि अन्य ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण दिया जा सके।
- योजना का कार्यक्षेत्र चयनित ग्राम पंचायत होते हैं

भौतिक उपलब्धि

- ♦ 01 अप्रैल 2023 से माह मार्च 2024 तक 19 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर पोर्टल पर अपलोड किया गया है। वर्तमान में SAGY-II (वर्ष 2019–24) अंतर्गत प्रदेश में कुल 71 ग्राम पंचायतों में योजना क्रियान्वित की जा रही है।

मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022

15 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्वारा मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 का विमोचन किया गया और इसी दिन से मध्यप्रदेश में पेसा नियम 2022 लागू हो गये हैं। यह नियम जनजातीय समुदाय के प्राकृतिक गांव को केन्द्र में रखकर उसकी स्वशासन की भावना को मान्यता प्रदान करते हैं।

ग्राम सभा का सशक्तिकरण

पेसा क्षेत्र में विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये अधिकार ग्राम सभा पर ही केन्द्रित हैं चूंकि ग्राम सभा में उस क्षेत्र विशेष के समस्त वयस्क नागरिक समाहित हैं अतः एक प्रकार से वह स्थानीय समुदाय ही ग्राम सभा है जिसे पेसा नियमों में अधिकार संपन्न बनाया गया है। साधारणतया एक ग्राम की एक ग्राम सभा की अवधारणा प्रदेश में प्रचलित रही है किंतु नये पेसा नियमों के अनुसार इसके प्रभावी क्षेत्रों में आवासों के समूह, फलिया, मजरा, टोला, पारे या खेड़ों के मतदाताओं की इच्छा अनुसार उनकी मॉग पर नवीन ग्राम सभाओं का गठन किया जा सकता है। प्रत्येक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा निधि होगी जिसका खाता निकटतम बैंक में खोला जाएगा।

पारंपरिक पद्धति से विवाद निवारण

ग्राम सभा द्वारा ग्राम सभा के सदस्यों में से कम से कम 05 व अधिकतम 07 सदस्यों का चयन कर "शांति एवं विवाद निवारण समिति" का गठन किया जायेगा। यह समिति पारंपरिक पद्धति से ग्राम के विवाद निवारण का कार्य करेगी तथा ग्राम में शांति बनाये रखने की दिशा में कार्य करेगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम से संबंधित किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने पर शांति एवं विवाद निवारण समिति को सूचित किया जायेगा।

कृषि विकास की योजनाएं

ग्राम सभा किसान की आर्थिक स्थिति के अनुसार कृषि हेतु योजनाएं बनाने में सक्षम होगी।

भूमि प्रबंधन

शासकीय अथवा सामुदायिक भूमि के उपयोग में व्यपवर्तन से पूर्व ग्राम सभा से परामर्श करना होगा। हस्तांतरण, पट्टा, अनुबंध कृषि, बिक्री, गिरवी अथवा अन्य किसी कारण से निजी भू-स्वामी के परिवर्तित होने की दशा में ग्राम सभा को पूर्व सूचना देना होगा। ग्राम सभा यह सुनिश्चित करेगी कि अनुसूचित जनजाति की कोई भूमि शासकीय कार्यों के उपयोग, भू-अधिग्रहण, वैध उत्तराधिकार एवं अन्य विधिक प्रावधानों के विपरीत गैर-जनजाति व्यक्ति को हस्तांतरित न हो।

जल संसाधन प्रबंधन

ऐसे जल संसाधन जो एक ग्रामसभा के सीमा क्षेत्र के भीतर हो, उन जल संसाधनों या निकायों के विषय में ग्रामसभा का विनिश्चय सभी स्तर की पंचायतों के लिए बाध्यकारी होगा। ग्रामसभा के विनिश्चय सिंचाई, मत्स्यपालन, पेयजल आदि हेतु आवंटन व जल स्रोतों की शाश्वतता से संबंधित हो सकते हैं। ग्राम सभा, ग्राम में उपलब्ध पानी के उपयोग में पेयजल, निस्तार, सिंचाई को प्राथमिकता देगी। ग्राम सभा शासकीय, सामुदायिक अथवा निजी जलनिकायों में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने हेतु निर्देश जारी कर सकेगी।

गौण खनिज प्रबंधन

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अधीन खनिज विभाग, ग्राम सभा को उसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत गौण खनिज के सभी उत्खनिपट्टा आवंटन एवं नीलामी की जानकारी प्रदान करेगा। खनिज विभाग ग्राम सभा द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायतों का संज्ञान लेगा एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा को प्रदान करेगा।

मादक पदार्थ नियंत्रण

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में मादक पदार्थों के संबंध में निषेधाज्ञा जारी करने पर, ग्राम सभा अपनी स्थापनीय सीमाओं के भीतर इसे लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाएगी। ग्राम सभा अपनी स्थानीय सेवाओं के भीतर देशी/विदेशी शराब की नवीन दुकान खोलने का प्रस्ताव विहित अधिकारी से प्राप्त होने पर इसके 45 दिन की कालावधि के भीतर नई दुकान खोलने की अनुमति दे सकेगी। यदि ग्राम सभा 45 दिन के भीतर सर्वसम्मति से किसी निर्णय पर नहीं पहुंचती है तो यह माना जाएगा कि ग्राम सभा की इस पर सहमति नहीं है तथा दुकान नहीं खोली जाएगी तथा ग्राम के क्षेत्र के अंदर संचालित शराब/भांग दुकान के स्थल परिवर्तन की अनुशंसा कर सकेगी जिस पर राज्य शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा किसी निर्धारित सार्वजनिक स्थल/परिसर में शराब/भांग का उपभोग प्रतिबंधित कर सकेगी।

श्रम शक्ति नियोजन

ग्राम सभा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर सकेगी। यदि किसी संस्था अथवा निजी व्यक्ति द्वारा अनुबंधित मजदूरी दर अथवा व्यक्ति के श्रम क्षमता से कम दर पर अनुबंध किया जाता है या न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर भुगतान किया जाता है, तो इसकी शिकायत प्राप्त होने पर शांति एवं न्याय समिति कार्रवाई करेगी।

गौण वनोपज प्रबंधन

अनुसूचित वन क्षेत्रों में शासकीय वनों के संवहनीय एवं परंपरागत प्रबंधन हेतु ग्राम सभा द्वारा अपने सदस्यों में से वन संसाधन योजना एवं नियंत्रण समिति का गठन किया जा सकेगा। यह समिति गौण वनोपज के प्रबंधन हेतु एक सूक्ष्म प्रबंध योजना तैयार कर सकेगी एवं ग्राम सभा ऐसी योजना तैयार करने हेतु वन विभाग से परामर्श ले सकेगी। ग्राम सभा अपने क्षेत्र के भीतर स्वयं या उसके अधीन गठित समिति या शासन द्वारा गठित किसी भी एजेंसी या समूह के माध्यम से गौण वनोपजों का संग्रहण एवं विपणन कर सकेगी। तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित के माध्यम से कराया जाएगा, तथापि ग्रामसभा चाहे तो तेंदूपत्ते का संग्रहण एवं विपणन स्वयं कर सकेगी बशर्ते ग्रामसभा इस बाबत संबंधित संग्रहण वर्ष के पूर्व वर्ष में 15 दिसम्बर तक इस हेतु संकल्प पारित कर ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत करवाये।

साहूकारी पर नियंत्रण

साहूकारी लायसेंस जारीकर्ता अधिकारी लायसेंस की एक प्रति आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत को प्रेषित करेगा। ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम सभा को उपर्युक्त जानकारी से अवगत कराया जाएगा। साहूकार का यह दायित्व होगा कि वह उसके द्वारा दिये/चुकाये गये ऋण का ग्रामवार विवरण उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) को त्रैमासिक रूप से प्रस्तुत करे। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) द्वारा उक्त जानकारी ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्राम सभा को संसूचित की जाएगी। ग्राम सभा साहूकार के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति की शिकायत पर विचार करेगी तथा उपयुक्त पाए जाने पर उपखण्ड अधिकारी को यथोचित जांच एवं कार्रवाई हेतु अनुसंशित करेगी।

बजट अनुभाग

पंचायत सेक्टर

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पंचायत विभाग में संचालित योजनाओं का योजनावार विवरण

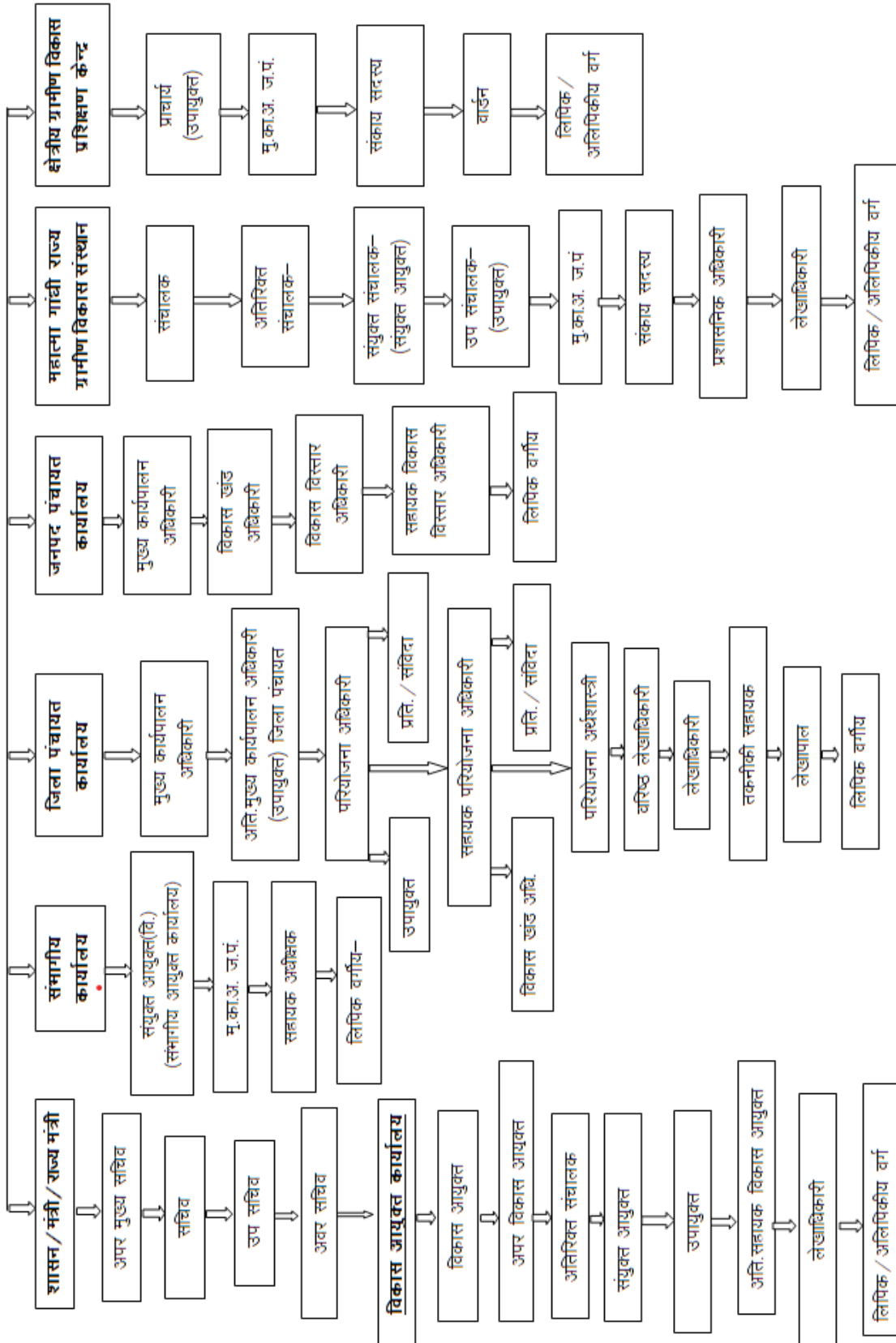
(राशि रुपये लाख में)

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनु. पूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय/आवंटित राशि (दिनांक 31.03.2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	पंचायत संचालनालय	40	2467	674.09	1769.77	1588.26
2	पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण	40	2468	95.47	111.55	99.74
3	पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	40	2474	18596.70	23975.78	19276.19
4	संजय गांधी युवा संस्थान पचमढी को अनुदान	40	4300	57.75	48.00	48.00
5	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए) 60:40	40	0647	2489.00	10008.74	7695.00
6	प्रशासन योजना जिला स्तर (डी. आर.डी.ए.)	40	8775	195.90	0.00	0.00
7	15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	40	9638	238700.00	521800.00	352958.64
8	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	40	4610	19004.69	43280.00	38614.21
9	जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	40	5847	462.28	400.00	392.15
10	पेयजल के लिए विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	40	6093	5500.00	4400.00	3740.00
11	जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	40	6107	326.38	320.00	278.28

क्र.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनु. पूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय/आवंटित राशि (दिनांक 31.03. 2024)
12	ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	40	6299	59103.49	113102.00	104045.78
13	राष्ट्रीय पंचायतराज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	40	5166	0.00	0.01	0.00
14	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार	40	5669	0.00	0.01	0.00
15	अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	40	6086	0.00	0.03	0.00
16	अनुरक्षण हेतु अनुदान (राज्य वित्त आयोग)	40	6087	0.00	0.03	0.00
17	स्थानीय निकायों/ पंचायती राज संस्थाओं को कर संग्रहण हेतु प्रोत्साहन अनुदान	40	6602	0.00	80.00	0.00
18	स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान (राज्य करो में हिस्सा) राज्य वित्त आयोग	40	7668	189978.86	190600.00	190600.00
19	पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	40	8209	0.00	6361.80	6084.53
20	सचिवीय व्यवस्था	40	8214	17498.01	17600.00	17493.08
21	त्रिस्तरीय पुरस्कार	40	8391	0.00	5560.00	5540.00
22	पंचायत गजट	40	8393	39.00	32.26	0.00
23	ग्राम सभाओं का सुदृढीकरण एवं सोशल आडिट	40	8816	87.19	69.75	69.75
24	विभागीय परिसंपत्तियों का संभारण	40	9545	30.73	82.40	30.00
25	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसं. रचना योजना	30	6084	0.00	19961.68	18044.86
26	धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णोद्धार	51	6292	0.00	390.92	340.92
कुल योग				552839.54	959954.73	766939.39

खण्ड – दो
ग्रामीण विकास
(पृष्ठ क्रमांक 15 से 99 तक)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय संरचना



2. विभागीय जांच, नियुक्तियाँ, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण

(विकास आयुक्त कार्यालय अंतर्गत राज्य स्तर का अमला)

स्थानांतरण/संशोधन/निरस्त (01.04.2023 से 31.03.2024 तक)

क्र.	पदनाम	स्थानांतरणों की संख्या	संशोधन	निरस्त
1	उपायुक्त (विकास)	07	01	निरंक
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	188	18	02
3	विकास खंड अधिकारी	10	01	निरंक
4	विकास विस्तार अधिकारी	00	0	0
5	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	02	0	0

नियुक्तियाँ

- ♦ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 00
- ♦ विकास खंड अधिकारी — 03
- ♦ सहायक विकास विस्तार अधिकारी — 649

विभागीय जाँच (मुख्यालय स्तर पर)

- ♦ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत — 04
- ♦ विकास खंड अधिकारी — 01

न्यायालयीन प्रकरण (मुख्यालय स्तर पर) — कुल 258 न्यायालयीन प्रकरण है।

- ♦ रिट पिटीशन के कुल 230 लंबित न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें से 212 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत।
- ♦ अवमानना प्रकरण के कुल 28 न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें 22 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत।

3. ग्रामीण विकास विभाग का बजट

वर्ष 2023-24 हेतु प्रावधानित राशि, आवंटित राशि एवं व्यय राशि दर्शाने वाला पत्रक
ग्रामीण विकास विभाग -5802

(राशि रु. लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय/ आवंटित राशि (दिनांक 31.03. 2024)
1	2	3	4	5	6	7
(अ)	केन्द्र प्रवर्तित योजनायें					
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (60:40)	30	6836	61057.85	61057.85	61057.85
2	नेशनल रूलर इकोना. मिक ट्रान्सफारमेशन प्रोजेक्ट-एनआरईटीपी (60:40)	30	9520	9234.07	6335.12	6335.12
3	स्टार्टअप विलेज इन्टरप्रोडनरशिप प्रोग्राम-एसवीईपी (60:40)	30	9523	131.98	456.26	456.20
4	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-डीडीयूजीकेवाय (60:40)	30	9526	104.95	11451.93	3451.93
5	महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना-एमकेएसपी (60:40)	30	9528	0.00	0.06	0.00
6	रूलर सेल्फ इम्प्लायमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट-आरसेटी (100 प्रतिशत)	30	9527	0.00	1500.01	1500.00
	(एनआरएलएम योग)			70528.85	80801.23	72801.10

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना कमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 31.03. 2024)
7	प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (60:40)	30	6931	53808.30	94600.00	94600.00
8	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम किचिन शेड मरम्मत एवं किचिन डिवाइसेज रिप्लेसमेंट (60:40)	30	0656	0.00	100.00	0.00
9	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन शेड) (60:40)	30	6099	0.00	0.00	0.00
10	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (सामग्री परिवहन) (100 प्रतिशत)	30	7886	7532.75	6825.00	6285.61
11	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम (किचिन डिवाइजेज) (100 प्रतिशत)	30	0656	0.00	0.00	0.00
	(एम.डी.एम.) कुल योग			61341.05	101525.00	100885.61
12	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (60:40)	30	5198	1017194.35	775666.90	287898.27
13	प्रधानमंत्री जन मन योजना (आवास) (60:40)	30	1390	0.00	0.00	0.00
14	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (75:25)	30	6923	154185.06	295000.00	251268.19
15	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (एडमिन)	30	6923	0.00	55000.00	34599.44
16	सामाजिक संपरीक्षा (100 प्रतिशत)	30	9566	963.52	4800.01	1854.89
17	प्रोजेक्ट उन्नति (मनरेगा) (100 प्रतिशत)	30	1072	0.00	0.03	0.00

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना कमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 31.03. 2024)
18	क्लस्टर फेसिलिटेशन प्रोजेक्ट (मनरेगा) (100 प्रतिशत)	30	1073	0.00	0.03	0.00
19	स्वच्छ भारत अभियान (60:40)	30	5206	19376.63	36732.00	36029.17
20	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (60:40)	30	5770	28951.22	27300.00	27291.58
21	(बुंदेलखंड पैकेज) अति. केन्द्रीय सहायता	61	6109	0.00	0.00	0.00
22	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (60:40)	30	7467	258433.00	152600.00	116363.93
23	प्रधानमंत्री जन मन योजना (सड़क) (60:40)	30	1391	0.00	0.00	0.00
24	'श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन (60:40)	30	0660	0.00	0.06	0.00
(अ) केन्द्र प्रवर्तित योग				1610973.68	1529425.26	928992.18

(ब) राज्य स्तरीय योजना

प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण व उन्नयन (अनुरक्षण मद)

1	म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि (0550,0552,0553)	30	9216	10050.03	10050.03	10050.03
2	खनिज क्षेत्र विकास निधि (0420, 0422, 0423)	30	9216	20000.00	20000.00	20000.00
3	राज्य स्तरीय (0101, 0102, 0103)	30	9216	25000.00	23222.00	23222.00
4	पूँजीगत कार्य हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता (1901, 1902, 1903)	30	9216	25000.00	25000.00	25000.00
(अनुरक्षण मद) कुल योग				80050.03	78272.03	78272.03

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 31.03.2024)
5	मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना	30	9610	1000.00	500.00	0.00
6	म.प्र. ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी	30	5129	0.00	0.00	0.00
7	मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम दुग्ध प्रदाय योजना	30	1329	1355.77	0.03	0.00
8	प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत रसोईयों के मानदेय भुगतान की राज्य योजना	30	9564	21000.00	45447.70	45447.70
9	म.प्र.ग्रामीण रोजगार गारण्टी परिषद	30	6930	730.00	803.00	803.00
10	राज्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	30	5127	0.00	0.00	0.00
11	महिला स्वसहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना-2018	30	9567	0.00	6000.00	6000.00
12	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	30	9545	123.80	585.00	394.15
13	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	30	5565	200.05	200.05	0.00
14	मध्यान्ह भोजन परिषद	30	5566	85.00	89.25	89.25
15	मुख्यमंत्री आवास मिशन	30	6255	38115.00	39000.00	38174.00
16	विकास भवन	30	7251	0.00	1978.00	1907.28
17	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु विलंबित मजदूरी भुगतान	30	2368	0.00	0.01	0.00
18	रेडी-टू-ईट-टेकहोम राशन कार्यक्रम	30	2372	0.00	0.01	0.00
19	ग्रामीण पथ व्यवसाई उत्थान	30	9856	1000.00	0.01	0.00
20	मुख्यमंत्री उत्कृष्टता योजना	30	5669	0.00	0.01	0.00
21	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (विदेशी सहायता)	30	'0654	40000.00	10000.00	10000.00

क्रं.	योजना का नाम	मांग संख्या	योजना क्रमांक	वर्ष 2022-23 का व्यय	वर्ष 2023-24 हेतु बजट प्रावधान अनुपूरक सहित	आईएफएमएस सर्वर अनुसार व्यय / आवंटित राशि (दिनांक 31.03.2024)
22	मुख्यमंत्री जन आवास योजना	30	1134	0.00	10000.00	0.00
(ब) राज्य स्तरीय योग				183659.65	192875.10	181087.41
(स) वेतन भत्ते संबंधी योजनाएँ						
1	विकास खण्ड कार्यालय	30	1033	10598.61	13750.19	9137.86
2	विकास आयुक्त	30	3926	1249.76	1981.01	1271.36
3	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र	30	1166	500.00	500.00	500.00
4	राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु अपेक्स संस्थान-42-002	30	1214	53.13	53.13	53.13
5	राज्य ग्रामीण विकास प्रशिक्षण हेतु अपेक्स संस्थान-42-007	30	1214	196.90	196.90	196.90
6	कार्यालय भवनों का निर्माण / विद्युतीकरण आदि	30	1032	149.83	7.39	7.33
7	भू-जल प्रबंधन संस्थान (वाल्मी)	30	8711	640.00	640.00	640.00
8	आरजीएम परिषद	30	5568	211.00	211.00	211.00
(स) वेतन भत्ते योग				13599.22	17339.62	12017.58
कुल योग (अ+ब+स)				1808232.55	1739639.98	1122097.17
(द) प्रमुख अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा-5803						
1	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं अवसंरचना योजना	30	6084	10754.19	40000.00	36317.61
2	विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण	30	9545	92.72	100.00	64.85
3	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	30	1208	17423.99	26590.52	17893.76
(द) प्रमुख अभियंता ग्रामीण यात्रिकी सेवा-5803-योग				28270.90	66690.52	54276.23
महायोग (अ+ब+स+द)				1836503.45	1806330.50	1176373.40

4. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा

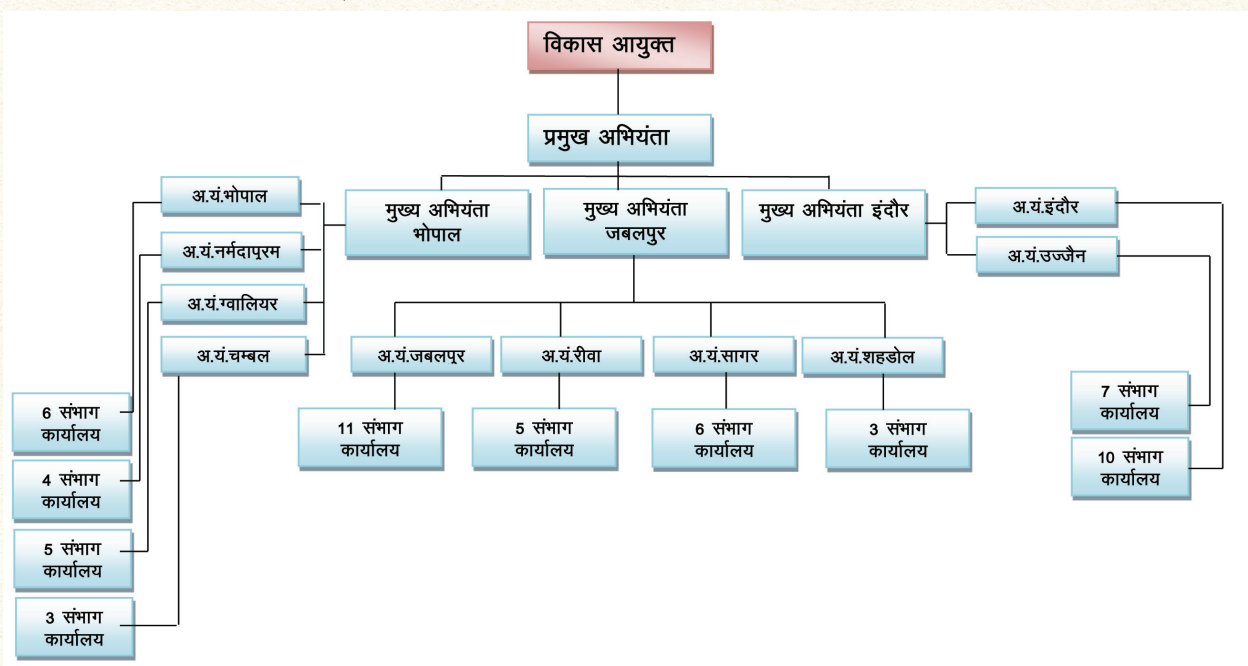
विभाग के अंतर्गत तकनीकी एवं निर्माण प्रकोष्ठ के रूप में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों के क्रियान्वयन किया जाता है। रु. 25 लाख लागत तक के निर्माण कार्यों का संपादन ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है, शेष निर्माण कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से सीधे संपादित किये जाते हैं। मुख्य दायित्व निम्नवत हैं—

- ♦ त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं द्वारा संपादित किये जा रहे समस्त निर्माण कार्यों पर तकनीकी सलाह एवं तकनीकी नियंत्रण का कार्य।
- ♦ विभिन्न विभागों एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधोसंरचना के कार्यों का क्रियान्वयन।

प्रमुख अभियंता के अंतर्गत जबलपुर, इन्दौर तथा भोपाल में कुल तीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यरत है। इन क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के अंतर्गत प्रत्येक राजस्व संभाग में एक मण्डल कार्यालय कार्यरत है, जो कि अधीक्षण यंत्री के प्रभार में है। वर्तमान में 10 मण्डल कार्यालय कार्यरत है। जिलों का आकार एवं कार्यभार के अनुसार ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में 60 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका कार्य संपादन कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। इन 60 संभागीय कार्यालय के अंतर्गत 182 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के राज्य स्तरीय कार्यालय, परिक्षेत्र कार्यालयों, मण्डल कार्यालयों, उपसंभागीय कार्यालयों एवं जनपदों हेतु 643 सहायक यंत्रियों के पद तथा उपयंत्रियों के 1459 पद सृजित हैं। विभाग की प्रशासनिक संरचना का विवरण चार्ट निम्नानुसार है —

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की प्रशासनिक संरचना

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा संपादित किये जा रहे निर्माण कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया है—



अ.यं. — अधीक्षण यंत्री

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना :

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत गैर आदिवासी क्षेत्रों में 500 की आबादी एवं आदिवासी क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौमिक सड़क सम्पर्कता की ओर कदम बढ़ाते हुए गैर आदिवासी क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 आबादी से कम के ग्रामों को बारहमासी आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। प्रदेश के समस्त 52 जिलों में 8948 ग्रामों को बारहमासी ग्रेवल सड़क से जोड़ने के लिए 20098 कि.मी. लंबाई की 8718 सड़कों के निर्माण की कार्य योजना स्वीकृत की गई। योजना अंतर्गत पुल-पुलियों सहित सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

योजना प्रारंभ से लेकर 31 मार्च, 2024 तक 8395 सड़कें लंबाई 19349 कि.मी. पूर्ण की गई, पूर्ण सड़कों से 8549 ग्राम लाभान्वित हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 164 कि.मी. लंबाई की 84 सड़कों का निर्माण किया जाकर लगभग 90 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रीग्रेवलिंग कार्य हेतु पात्र 1126 सड़कें, लंबाई 2701 किमी स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 876 सड़कें, 1683 किमी लंबाई की पूर्ण की जा चुकी हैं, जिन पर योजनान्तर्गत राज्य मद में कुल स्वीकृत राशि रु. 51.30 करोड़ में से रु. 29.76 करोड़ व्यय किया गया है।

विशिष्ट उपलब्धि

वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह फरवरी-मार्च 2024 में मान. मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त मान. सांसद/विधायकों के 10702 विकास कार्यों के प्रस्ताव राशि रु. 1938.29 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से राशि रु. 25.00 लाख से कम के 9718 कार्य राशि रु. 1175.77 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति पंचायतराज संचालनालय द्वारा जारी की गई एवं राशि रु. 25.00 लाख से अधिक के 984 कार्य राशि रु. 762.52 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा जारी की गई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना विकास योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन रु. 400.00 करोड़ में से रु. 363.17 करोड़ का व्यय किया गया है।



बॉक्स कल्वर्ट - दाबला से किसानपुर रोड जिला सीहोर, लागत रु. 91.93 लाख



स्लेब कल्वर्ट - हैदरगंज से भीमपुर जिला सीहोर, लागत रु. 149.99 लाख



स्लेब कल्वर्ट - ताजपुरा से बामनखेड़ी रोड जिला सीहोर, लागत रु. 115.66 लाख



आमडदेह से सुरई दाबा रोड जिला सीहोर, लागत रु. 59.36 लाख

2. विकास भवन का निर्माण :

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले भोपाल में स्थित विभिन्न राज्य स्तरीय संगठनों एवं कार्यालयों को एक ही भवन में स्थापित करने की दृष्टि से राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि भोपाल में “विकास भवन” का निर्माण कार्य किया जावे।



विकास भवन

शासन द्वारा उक्त भवन के लिए भोपाल में अरेरा हिल्स पर लगभग 2.00 एकड़ भूमि पुराने जेल भवन के सामने उपलब्ध कराई गई है। भवन की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति रु. 78.42 करोड़ प्राप्त की जाकर दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भवन का लोकार्पण कराया गया, जिस पर अब तक राशि रु. 77.72 करोड़ व्यय किया जा चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के समस्त संगठनों को विकास भवन में स्थापित किया जाकर शासन की मंशा को मूर्तरूप प्रदान किया गया।

3. विशिष्ट तकनीकी से निर्मित आंगनवाड़ी भवन

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कटनी की ग्राम पंचायत कचनारी ढीमरखेड़ा अंतर्गत ग्राम कारोपानी में आंगनवाड़ी भवन का निर्माण कराया गया है। भवन को एक आधुनिक रूप दिया जाकर भवन में ढलवां छत के साथ दीवारों की चिनाई पत्थरों से की गई है तथा कक्षा की छत की ऊंचाई 17 फुट रखी गई है। आंगनवाड़ी भवन में उद्यान का भी निर्माण किया गया है एवं भवन के चारों ओर बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण किया गया है एवं बांस की रेलिंग लगाई गई है, जिससे भवन अत्यधिक सुंदर एवं आधुनिक दिखता है।

उक्त भवन का निर्माण मनरेगा एवं लोक सम्पत्ति प्रबंधन के अभिसरण से लागत रु. 18.22 लाख से किया गया है।



आंगनवाड़ी—ग्राम कारोपानी जिला—कटनी

4. विभागीय जांच, नियुक्तियों, स्थानांतरण एवं न्यायालयीन प्रकरण

वर्ष 2023-24 में 03 कार्यपालन यंत्री, 20 सहायक यंत्री एवं 19 उपयंत्रियों के स्थानांतरण किये गए, वहीं 130 सहायक यंत्री, 449 उपयंत्री एवं 10 सहायक मानचित्रकारों की नवीन नियुक्तियां की गई। मुख्यालय स्तर पर विभागीय जांच अंतर्गत 10 सहायक यंत्रियों एवं 20 उपयंत्रियों के प्रकरण है। मुख्यालय स्तर पर कुल 407 न्यायालयीन प्रकरण है। रिटपिटीशन के कुल 376 लंबित न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें से 340 प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत किये गए है तथा अवमानना प्रकरण के कुल 31 न्यायालयीन प्रकरण है, जिनमें 25 प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए है।

5. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम -2005, सितंबर 2005 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्कीम में अधिकथित शर्तों के अधीन रहते हुये अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छा से आगे आते हैं, किसी वित्तीय वर्ष में 100 दिवस से अन्यून का गारंटीकृत नियोजन उपलब्ध कराया जायेगा। इस अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। इस योजना का विस्तार राज्य के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में है।

उद्देश्य :

ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क व्यक्तियों को, जो अकुशल मानव श्रम करने को तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 100 दिवस का रोजगार (वनाधिकार पत्रधारकों को 150 दिन) उपलब्ध कराकर आजीविका सुनिश्चित करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

पात्रता :

- ♦ ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य।
- ♦ ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी परिवार।
- ♦ ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन आवश्यक।
- ♦ जॉबकार्डधारी परिवार।
- ♦ अकुशल मानव श्रम करने को तैयार जॉबकार्डधारी।

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद :

राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एवं योजना के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी हेतु मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दिनांक 18.01.2006 को पंजीकृत की गई है। मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन, संचालन और मूल्यांकन के लिए तीन समितियां गठित की गई हैं।

- ♦ सामान्य सभा
- ♦ सशक्त समिति
- ♦ कार्यकारिणी समिति

1. सामान्य सभा :

अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार तैयार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की कंडिका 1.6.1 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सामान्य सभा गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् की राज्य स्तरीय सामान्य सभा में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे:-

सामान्य सभा
↓
अध्यक्ष
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन
↓
उपाध्यक्ष
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
↓
पदेन सदस्य
मंत्री-वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन, उपाध्यक्ष-राज्य योजना मण्डल, मुख्य सचिव-मध्यप्रदेश शासन, प्रमुख सचिव-वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन
↓
सदस्य सचिव
प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
↓
सदस्य
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
↓
नामांकित सदस्य
राज्य शासन द्वारा नामांकित 6 अशासकीय सदस्य (कम से कम 2 महिलाएँ)
पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि-1, अनु.जाति-1, अनु.जनजाति-1, अन्य
पिछड़ा वर्ग-1, अल्पसंख्यक-1, गैर शासकीय संगठन-1 का प्रतिनिधि

2. सशक्त समिति :

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. के प्रावधान क्रमांक 1.6.4 के अनुसार परिषद् की राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की गई है। म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय सशक्त समिति में निम्नानुसार पदाधिकारी/सदस्य होंगे :-

सशक्त समिति
↓
अध्यक्ष
मुख्य सचिव
↓
सदस्य
कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव-वित्त, वन, जल संसाधन, राजस्व, लोक निर्माण, कृषि, योजना विभाग, आयुक्त मनरेगा, आयुक्त जनसंपर्क, आयुक्त/संचालक पंचायत एवं सामाजिक न्याय, केन्द्र शासन द्वारा नामांकित प्रतिनिधि
↓
सदस्य सचिव
प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास

3. कार्यकारिणी समिति :-

म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 960/एनआर-2/एमजीएनआरईजीएस/भोपाल, दिनांक 01.02.2013 द्वारा म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यकारिणी समिति गठित की गई है। यह समिति सामान्य सभा एवं सशक्त समिति के अतिरिक्त है, जिसका गठन योजना के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय एवं अन्य विभागीय योजनाओं में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से किया गया है।

परिषद की एक राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति होगी। कार्यकारिणी समिति का गठन निम्नानुसार होगा :-

कार्यकारिणी समिति
↓
अध्यक्ष
मंत्री-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
↓
उपाध्यक्ष एवं पदेन सदस्य
राज्य मंत्री-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
↓
सदस्य
प्रमुख सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आयुक्त-पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी-म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, संचालक-राजीवगांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन, संचालक-ग्रामीण रोजगार, परियोजना समन्वयक-इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), संचालक-महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, संयुक्त आयुक्त (प्रशा.)- मनरेगा, संचालक-जन शिकायत एवं गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ मनरेगा, मुख्य अभियंता-मनरेगा, मुख्य अभियंता-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)-मनरेगा
↓
सदस्य सचिव
आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
टीप - इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ परियोजना वर्तमान में संचालित नहीं है।

4. प्रशासकीय संरचना : योजना क्रियान्वयन हेतु प्रशासकीय संरचना निम्नानुसार है:

प्रशासनिक संरचना
↓
साधारण सभा,
अध्यक्ष, मुख्यमंत्री
↓
कार्यकारिणी समिति
अध्यक्ष, मंत्री पंचा.एवं ग्रा.वि.विभाग
↓
सशक्त समिति
अध्यक्ष मुख्य सचिव
↓
आयुक्त
↓
जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर
↓
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
↓
कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
↓
अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी,
जनपद पंचायत
↓
ग्राम रोजगार सहायक,
ग्राम पंचायत

उपयोजनाएँ :

हितग्राही मूलक :-

(अ) हितग्राही मूलक योजनाएँ :- महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों की निजी स्वामित्व की भूमि पर कार्य कराने हेतु निम्न उपयोजनाएं लागू हैं :-

1. **हितैषी कपिल धारा** :- योजना अंतर्गत सभी जिलों में SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural Rates) लागू होने के दृष्टिगत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय स्तर पर प्रचलित डिजाइन के अनुरूप कपिलधारा उपयोजना के तहत नवीन कूप निर्माण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें निजी भूमिधारी पात्र हितग्राही के पास न्यूनतम 1.0 एकड़ भूमि आवश्यक है। एक ग्राम पंचायत में 10 कूप तक लिये जा सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक विकलांग, PMAY, FRA तथा लघु व सीमांत कृषक को लाभ दिया जाता है, जिसके पास 2.50 एकड़ जमीन हो। इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू SECURE SoR (सेक्योर एस. ओ.आर.) में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।
2. **खेत तालाब** :- योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राही कृषकों के निजी खेत में सिंचाई एवं भू-जल रिचार्जिंग के लिये खेत तालाब निर्माण हेतु 400 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 0.43 लाख, 1000 घन मी. जल क्षमता की मानक लागत राशि रु. 1.11 लाख तथा 3600 घन मी. जल क्षमता के 3.37 लाख रु. लागत के खेत तालाब बनाये जाने का प्रावधान है।



3. **नाडेप व वर्मी कम्पोस्ट** :—मनरेगा योजना अंतर्गत बायोमास को उच्च गुणवत्ता वाले कम्पोस्ट खाद में बदलने के लिये नाडेप प्रभावी तरीका है। इसके लिये 4.0 मी. x 1.50 मी. x 1.0 मी. में ईट की जालीदार चिनाई का प्रावधान रखा गया है, वर्मी कम्पोस्ट पिट हेतु (जैविक खाद तैयार करने) 3.60 मी. x 1.50 मी. x 0.76 मी. का प्रावधान रखा गया है।
4. **गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु हेतु** :— मनरेगा योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन एवं कुक्कुट पालन आजीविका का प्रमुख स्रोत है। योजना अंतर्गत अनुमत कार्यों की अनुसूची में आजीविका व पशुपालन संबंधी कार्य शामिल किये गये हैं। जिसके अंतर्गत गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 5 पशु, गौवंशीय (गाय व भैंस) पशुपालन हेतु शेड 10 पशु, बकरी पालन हेतु शेड, कुक्कुट पालन हेतु शेड हितग्राहियों की भूमि की उपलब्धता इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।
5. **निजी खेत में फलोद्यान** :— इस योजना के तहत मनरेगा जॉबकार्डधारी पात्र वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला मुखिया, आईएवाय/पीएमएवाय के लाभार्थी परिवार, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टाधारी हक प्रमाण धारक एवं लघु व सीमान्त कृषक) के खेतों में फलोद्यान परियोजना का कार्य किया जा सकेगा। जिसमें निजी खेतों में ब्लॉक प्लानटेशन 400 पौधा प्रति एकड़, 250 पौधा प्रति एकड़ और 100 पौधा प्रति एकड़ हेतु इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा GST की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।
6. **प्रधानमंत्री आवास योजना** :— प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासों में अकुशल श्रमिक अंश की पूर्ति मनरेगा से किये जाने के निर्देश हैं। प्रदेश के आई.ए.पी. जिलों में 95 दिनों की मजदूरी तथा नॉन आई.ए.पी. जिलों में 90 दिन की मजदूरी दी जा रही है।
7. **वनवासी संवर्धन** :— वनवासी संवर्धन सुदूर वन अंचलो में निवास करने वाले वन अधिकार अधिनियम के वनाधिकार प्रमाण-पत्र धारक ग्रामीण परिवारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यों का लाभ देने हेतु "वनवासी संवर्धन" उपयोजना निर्मित की गई है। मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अनुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पट्टाधारी एवं जॉबकार्डधारी परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 150 मानव दिवसों के रोजगार पाने की पात्रता है।
8. **जय किसान उपयोजना** :— योजना अंतर्गत लक्षित वर्ग के पात्र हितग्राहियों की बंजर/पड़त भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने हेतु जय किसान उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5082 दिनांक 25/11/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। इस उपयोजना अंतर्गत सिवनी मॉडल एवं मंडला मॉडल के तहत कार्य किया जाना है। इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।

9. **बोल्डर चेकडेम** :- योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर जल संचयन हेतु बोल्डर चे. कडेम का प्रावधान किया गया है। जिसका आकार 10.0 मी. x 4.50 मी. 0.50/2x1.0 मी. इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।
10. **वाटर/कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण** :- योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर खेतों में सिंचाई की सुविधा हेतु वाटर/कोर्स/फील्ड चैनल निर्माण का प्रावधान किया गया है।
11. **रिचार्ज पिट** :- योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों की निजी भूमि पर जल संरक्षण एवं संवर्धन अंतर्गत रिचार्ज पिट का प्रावधान है। जिसका आकार 3.0 मी. x 3.0 मी. x 3.0 मी. इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।

(ब) समुदाय मूलक :

महात्मा गांधी नरेगा एवं अन्य विभागों/योजनाओं के अभिसरण से निम्नानुसार सामुदायिक विकास कार्य कराये जाते हैं :-

1. **निर्मल नीर** :- प्रदेश में पेयजल की कठिनाई के दृष्टिगत पेयजल कूप के निर्माण हेतु तीन डिजाइन के मानक निर्धारित हैं। आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 12 मी. एवं आंतरिक व्यास 6.0 मी. एवं गहराई 15 मी. हेतु इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है।
2. **ग्रामीण क्रीड़ांगन** :- ग्रामीण क्रीड़ांगन उपयोजना का उद्देश्य दैनिक रोजगार के कार्यों से मूलभूत सुविधाओं का विकास करते हुए स्थानीय संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास से संबंधित है। इसमें खेल मैदान विकसित किये जा सकते हैं ताकि ग्रामीण परिवेश में खेलों के प्रति अभिरुचि को प्रोत्साहन मिले। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को विकास के नए अवसर प्राप्त हों। दिनांक 9 दिसम्बर 2016 से खेल मैदान विकसित करने की मानक लागत रु. 32 प्रति वर्ग मी. है तथा बैठक व्यवस्था एवं मूत्रालय निर्माण का भी प्रावधान है। इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख रहता है। यह भी निर्देश है कि मैदान का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर से कम न हो।
3. **शांतिधाम** :- शांतिधाम उपयोजना अंतर्गत जनगणना 2011 के अनुसार 2000 से कम या अधिक क्रमशः एक एवं दो प्लेटफार्म वाला शांतिधाम बनाया जावे। इन कार्यों की लागत मनरेगा योजना में लागू सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की अद्यतन दरों के आधार पर प्राक्कलित की जाती है, जिसमें अकुशल मजदूरी, कुशल मजदूरी, अर्द्धकुशल मजदूरी व सामग्री मद तथा जीएसटी की राशि का पृथक-पृथक उल्लेख

रहता है। शांतिधाम/कब्रिस्तान हेतु केवल पक्का चबूतरा शेड निर्माण सी.पी.टी. निर्माण कराया जावे, चारो ओर वृक्षारोपण कराया जावे। पानी की व्यवस्था हेतु हेण्डपम्प एवं सतही टंकी के लिये मानक लागत रु.1.00 लाख नियत की जाती है। जिसे सांसद, विधायक, जिला एवं जनपद पंचायतों को दिये जाने वाले मूलभूत अनुदान पंचायत मद से आय अथवा जनसहयोग से प्राप्त की जा सकती है।

4. बारहमासी सड़क सम्पर्कता :

4(a) आंतरिक सीमेंट कांकीट सड़क/पथ निर्माण :- ग्रामों में आंतरिक मार्गों के निर्माण के लिए पंच परमेश्वर योजना के अभिसरण से नाली निर्माण किया जाता है। आंतरिक सीमेंट कांकीट सड़क 3 मी. चौड़ाई तथा नाली निर्माण हेतु मनरेगा से 15 प्रतिशत अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

4(b) सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना :- योजना अंतर्गत ग्राम एवं टोले मजरे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के छोटे हुये ग्राम, मजरा-टोला, एप्रोच रोड खेत समूह को मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क उपयोजना के तहत बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिये प्रावधान किया गया है। विभाग के पत्र क्र. 9868 दिनांक 01.02.2023 से प्रसारित निर्देश अनुसार एनआरएम (प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन) कार्यों पर 65 प्रतिशत व्यय एवं जिले स्तर पर मजदूरी सामग्री अनुपात 60 : 40 का संधारण सुनिश्चित करते हुये जिले द्वारा सुदूर सड़क स्वीकृत की जा सकती है।

5. भारत निर्माण सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) :- विभाग के पत्र क्र. 406/सी.एफ.सी./2021/दिनांक 25.05.21 के अनुसार मनरेगा अभिसरण अंतर्गत 15वे वित्त आयोग अंतर्गत अनाबद्ध राशि से पंचायत भवन निर्माण के निर्देश जारी किये गये हैं (अनूपपुर, भोपाल, नीमच, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी को छोड़कर), जिसकी मानक लागत रुपये 20.00 लाख निर्धारित है। जिसमें 10.00 लाख रु. मनरेगा अंश एवं 10.00 लाख रु. राज्य वित्त आयोग से अभिसरण अंतर्गत लिये जाने का प्रावधान है। मनरेगा से अभिसरण की दशा में मनरेगा अंश के लिए ग्राम पंचायत स्वीकृति जारी करेगा तथा शेष राशि अभिसरण से प्राप्त की जावेगी।

6. आंगनवाड़ी भवन :- आयुक्त मनरेगा एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से आंगनवाड़ी भवन स्वीकृति हेतु पत्र क्र. 1150 दिनांक 30.06.2021 से निर्देश जारी किये गये हैं। जिसमें मनरेगा अंश की राशि रु 5.00 लाख निर्धारित है। पत्र में आंगनवाड़ी भवन बगैर बाउन्ड्रीवाल की लागत रु. 7.10 लाख एवं रु. 9.50 लाख मय बाउन्ड्रीवाल की ईकाइ लागत उल्लेखित है, परिषद का पत्र क्र. 10809 दिनांक 17.02.2023 के अनुसार सेक्योर एस.ओ.आर. में सामग्री की लागत बढ़ जाने के कारण आंगनवाड़ी भवन की जीएसटी सहित अद्यतन लागत राशि रु 7.55 लाख बगैर बाउन्ड्रीवाल एवं राशि रु 10.22 लाख मय बाउन्ड्रीवाल हेतु प्राक्कलित की गयी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 11060 दिनांक 30.01.2023 के अनुसार महिला बाल विकास विभाग से स्वीकृत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर पूर्व में दिये जाने वाला मनरेगा अभिसरण अंश की सीमा रु 5.0 लाख को रु 8.0 लाख किया गया है, जो नवीन आंगनवाड़ी भवनों की स्वीकृति हेतु लागू होगा।

7. अनाज गोदाम :- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वितरण प्रणाली केन्द्रों पर, सहकारिता विभाग द्वारा चयनित स्थल पर अनाज भण्डार हेतु 100 मी.टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण महात्मा गांधी नरेगा की शत-प्रतिशत राशि से किया जाना है। जिसकी अनुमानित लागत रु. 11.93 लाख है।

8. **प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन (एनआरएम) :-** इसके अंतर्गत पंचायत, जनपद एवं जिलो में विकास कार्यों पर स्वीकृति कुल राशि का 65% जल संवर्धन के कार्यों पर किया जाना प्रावधानित है।
9. **चंदेला/बुंदेला कालीन प्राचीन तालाबों की मरम्मत/जीर्णोद्धार :-** योजना अंतर्गत विभाग के पत्र क्र. 8695 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार तालाब मरम्मत/जीर्णोद्धार के निर्देश जारी किये गये हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्वालियर, शिवपुरी व गुना के ऐसे प्राचीनकाल तालाब और बुंदेलखण्ड क्षेत्र के दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया, निवाड़ी और पन्ना जिले के ऐसे चंदेल कालीन व बुन्देलकालीन तालाबों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनकी जल भराव क्षमता कम हो गयी है।
10. **चारागाह व नर्सरी निर्माण :-** महात्मा गांधी नरेगा परिषद भोपाल के आदेश क्र. 11202 दिनांक 26.02.2019 द्वारा गौशाला परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग का पत्र क्र. 124 भोपाल दिनांक 06.02.2019 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। गौशाला में उपलब्ध गौवंश को हरे चारे की माँग के प्रबंधन हेतु चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण की परियोजना बनायी गयी है।
11. **समूह के लिये एसएचजी संघ भवन का निर्माण :-** योजना अंतर्गत समूह के लिये एसएचजी/संघ भवन का निर्माण करने संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 2477 दिनांक 18/09/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं जिसके अंतर्गत संचालित डे-एनआरएम के तहत गठित स्वसहायता समूहों की कृषि आधारित व खाद्यान्न भण्डारण संबंधी गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिये तथा इनके कृषि व अन्य उत्पादों के विक्रय के प्रचार प्रसार हेतु एसएचजी संघ भवन का निर्माण करने का प्रावधान है।
12. **शासकीय शालाओं में पहुंच मार्ग, खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण :-** योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय शालाओं में पहुंच मार्ग, खेल मैदान एवं बाउण्ड्रीवॉल निर्माण कराये जाने संबंधी निर्देश आयुक्त मनरेगा एवं आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्र क्र. 5129 दिनांक 01/12/2020 के अनुसार जारी किया गया है।



महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत निर्मित खेल मैदान, जिला – मंदसौर

13. **गौचर भूमि विकास उपयोजना :-** योजना अंतर्गत गौचर भूमि विकास उपयोजना सामुदायिक चारागाह विकास के कार्य कराये जाने संबंधी आदेश विभाग के पत्र क्र. 5084 दिनांक 25/11/2020 संबंधी निर्देश जारी किये गये हैं। परियोजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत द्वारा स्वसहायता समूह (एसआरएलएम एवं नाबार्ड अंतर्गत गठित) के माध्यम से चारागाह विकास का निर्माण कार्य कराया जावेगा। चारागाह परियोजना का संचालन स्वसहायता समूहों/ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से कराये जाने का प्रावधान किया गया है।
14. **महात्मा गाँधी नरेगा योजना अंतर्गत एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से हितग्राही एवं समुदाय के लिये पोषण उद्यान (न्यूट्री गार्डन) का विकास :-** ग्रामीण परिवारों को पोषणयुक्त फल सब्जी की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर कराये जाने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा एवं राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अभिसरण से पोषण उद्यान विकसित किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।
15. **सामुदायिक टांका निर्माण :-** प्रदेश के ऐसे ग्राम जिनमें ग्रीष्म ऋतु में भीषण जल संकट की स्थिति निर्मित हो जाती है उनमें पेयजल, विस्तार, पशुओं व पेड़ पौधों को पानी की परेशानी के दृष्टिगत वर्षा जल संचयन हेतु सामुदायिक जल संचयन पोण्ड (टांका निर्माण) के निर्देश विभाग के परिपत्र क्र. 140/3/2020 दिनांक 14/05/2020 द्वारा जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा चिन्हित ग्रामों में 50000 लीटर एवं 100000 लीटर क्षमता के टांका निर्माण किये जाने के निर्देश हैं।
16. **बाल्मीकी मियावोंकी पद्धति से सघन सामुदायिक वृक्षारोपण :-** ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन परिवारों के सघन सामुदायिक वृक्षारोपण के माध्यम से आजीविका सदृढीकरण हेतु विभाग के पत्र क्र. 1616/3/2020 दिनांक 10/08/2020 से निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 0.25 एकड़, 1 एकड़ एवं 1 हेक्टर क्षेत्र में क्रमशः 1000, 4000 व 10000 स्थानीय क्षेत्र हेतु उपयुक्त प्राचीन प्रजातियों के पौधे/झाड़ियाँ/लताओं एवं औषधीय पौधे का रोपण किये जाने के निर्देश हैं।
17. **जैविक बागड़ :-** महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत जैविक बागड़ शासकीय स्कूलों, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, अनाज गोदान, शासकीय मंदिर, तालाब के किनारे, शांतिधाम, खेल मैदान आदि परिसरों में लगाने हेतु विभाग के पत्र क्र. 1618 दिनांक 10/08/2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।
18. **ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना :-** योजना अंतर्गत अनुमत सामुदायिक कार्यों के रखरखाव हेतु ग्राम परिसम्पत्ति संधारण उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 5656 दिनांक 18/12/2020 से जारी किये गये हैं, जिसके अंतर्गत रु. 30 लाख की सीमा तक जीर्णोद्धार/नवीनीकरण के कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।
19. **मंदिर कुंज/नक्षत्र वाटिका :-** योजना अंतर्गत मंदिर कुंज के क्रियान्वयन संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 57/3/2020 दिनांक 05/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं। जिसके अंतर्गत क्रमशः धर्मस्व/अध्यात्म विभाग के पंजीकृत मंदिर/धार्मिक स्थल जिनके पास वृक्षारोपण/फलोद्यान परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध हो, ऐसे स्थलों पर वृक्षारोपण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

- 20. मंदिर सरोवर उपयोजना :-** योजना अंतर्गत मंदिर सरोवर उपयोजना संबंधी निर्देश विभाग के पत्र क्र. 40/3/2020 दिनांक 02/05/2020 के अनुसार जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय देवस्थान मंदिर जिनके पास 15 हेक्टर से अधिक भूमि हो, ऐसे मंदिर सरोवर का निर्माण मंदिर के पुजारी/समिति के अनुशंसा के आधार पर कर सकते हैं।
- 21. देवारण्य योजना :-** विभाग के पत्र क्र. 7145 दिनांक 26.11.2021 के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा अभिसरण अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उन्नयन हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा आयुष आधारित 'देवारण्य' योजना प्रारंभ की गई है। 'देवारण्य' के कार्य शासकीय व सामुदायिक भूमि और निजी भूमि पर क्रमशः "सामुदायिक गतिविधि" एवं "एकल गतिविधि" के रूप में किये जायेंगे।
- 22. पुष्कर धरोहर—** पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण :- महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत तालाब चेकडेम तथा स्टॉपडेम के मनरेगा अंतर्गत परिणाम संयोजित (आउटकम लिंकड) जीर्णोद्धार अथवा नवीनीकरण और इसमें ग्रामीण समुदाय की सहभागिता के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 10293 दिनांक 11.08.2021 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं। जिसका प्रमुख उद्देश्य इन जल संरचनाओं के भंडारण क्षमता में वृद्धि एवं ग्रामीण समुदाय सिंचाई, मत्स्य उत्पादन एवं सिंचाई उत्पादन का आर्थिक लाभ ले सके।
- 23. अमृत सरोवर अभियान :-** प्रत्येक जिले में वृहद स्वरूप के गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी जल संग्रहण संरचनाओं न्यूनतम (100) का निर्माण 01 वर्ष में किये जाने का लक्ष्य था। सृजित जल भंडारण क्षमता का उपयोग सिंचाई, मत्स्य पालन, सिंचाई उत्पादन एवं अन्य प्रयोजन के लिए किया जाना है। अमृत सरोवर के निर्माण हेतु शासन के पत्र क्रमांक 3361 दिनांक 29.03.2022 से दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। अमृत सरोवर अभियान अंतर्गत चयनित संरचनाओं की जल भंडारण क्षमता न्यूनतम 10 हजार घन मीटर रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं।

पदस्थ अमला :- योजना क्रियान्वयन के लिए निम्नानुसार अमला पदस्थ है :-

क्र.	स्तर	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद (मुख्यालय), भोपाल	207	82	125
2.	संभाग स्तर पर	30	13	17
3.	प्रशिक्षण केन्द्र (ईटीसी/एसआईआरडी)	06	01	05
4.	जिला स्तर पर	680	252	430
5.	जनपद स्तर पर	4695	2514	2186
6.	ग्राम पंचायत स्तर पर	—	20565	2446

रोजगार की उपलब्धता :- (2023-24 की स्थिति में)

महात्मा गाँधी नरेगा अंतर्गत मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 88.05 लाख जॉबकार्डधारी परिवारों में से 64.40 लाख सक्रिय जॉबकार्ड धारी परिवार है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1997.38 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा 12.66 प्रतिशत मानव दिवस) अनुसूचित जनजाति के परिवारों द्वारा 31.72 प्रतिशत मानव दिवस तथा कुल मानव दिवस में से 43.32 प्रतिशत मानव दिवस महिलाओं द्वारा सृजित किए गये हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 53,915 निःशक्तजनों को महात्मा गाँधी नरेगा से रोजगार उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय स्थिति :

वित्त वर्ष 2023-24

(31.03.2024 की स्थिति में)

विवरण			राशि रुपये (करोड़ में)
सामग्री	केन्द्रांश	राज्यांश	2512.68
	1884.51	628.17	
प्रशासनिक मद			345.99
NeFMS राशि (मजदूरी) 100 प्रतिशत केन्द्रांश			4356.91
अंतिम शेष राशि (दिनांक 31.03.2024)			19.20
कुल प्राप्त आवंटन			7215.58
कुल व्यय राशि			7196.38

- ♦ **प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस) :** योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अकुशल मजदूरी भुगतान एफटीओ द्वारा 4177.84 करोड़ रुपये एवं सामग्री पर एफटीओ द्वारा 2445.80 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2023-24 में राशि 7131.23 करोड़ रुपये हितग्राहियों के खाते में सीधे हस्तांतरित की गई तथा राशि रु. 823.16 करोड़ लंबित राशि का भुगतान एफटीओ के माध्यम से किया जाना प्रचलन में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1997.38 लाख मानव दिवस सृजित किये गये। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल पूर्ण कार्यों की संख्या 7.78 लाख एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 7.17 लाख है।
- ♦ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के अनुसार बुनियादी कार्य कराए जाते हैं। ग्रामीण अंचलों में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु किये गये पूर्ण एवं प्रगतिरत कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

● **R6.3** वित्तीय वर्ष के लिए मास्टर कार्य श्रेणीवार विश्लेषण (नया + स्पिल ओवर) रु **2023-2024**

स.क्र	कार्य श्रेणी का नाम/कार्य उप श्रेणी का नाम/कार्य प्रकार	स्पिल ओवर+नया कार्य				नये कार्यों की संख्या
		कुल कार्य	चल रहे कार्य	पूर्ण कार्य	व्यय	
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य					
1	जल संरक्षण	164415	91981	72434	191611.12	116697
2	वाटरशेड प्रबंधन	32479	20647	11832	44317.46	28199
3	सिंचाई	7069	4747	2322	7652.43	6922
4	पारंपरिक जल निकाय	15187	7757	7430	15159.02	4922
5	वनरोपण	67791	53947	13844	33680.41	50130
6	भूमि विकास	37107	24544	12563	72339.87	27861
	कुल	324048	203623	120425	364760.31	234731
	कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत संपत्ति (केवल पैराग्राफ 5 में वर्णित परिवारों के लिए)					
7	भूमि की उत्पादकता में सुधार	58313	36677	21636	29448.6	36658
8	आजीविका में सुधार के माध्यम से	51255	37776	13479	9840.97	11598
9	परती/बंजर भूमि का विकास	59032	43502	15530	28064.39	27265
10	घर का निर्माण	771189	260143	511046	46335.6	85340
11	पशुधन को बढ़ावा देना	30433	19704	10729	15071.83	13153
12	मत्स्य पालन को बढ़ावा देना	5676	3715	1961	8375.49	4309
	कुल	975898	401517	574381	137136.88	178323
	एनआरएलएम अनुरूप स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य बुनियादी ढांचा					
13	कृषि उत्पादकता	724	502	222	1025.93	378
14	स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए सामान्य कार्य—शेड	878	616	262	626.92	337
	कुल	1602	1118	484	1652.85	715
	ग्रामीण बुनियादी ढांचा					
15	ग्रामीण स्वच्छता	73005	35413	37592	17982.3	35499
16	सड़क संपर्क/आंतरिक सड़कें/गलियाँ	70239	41003	29236	80512.17	53551
17	खेल के मैदान	6221	3920	2301	7047.06	3514
18	आपदा तैयारी/पुनर्स्थापना	21937	14910	7027	35107.16	19998
19	भवन का निर्माण	20002	13889	6113	14977.94	10293
20	खाद्यान्न भंडारण संरचनाएं	979	625	354	1068.36	272
21	निर्माण के लिए आवश्यक भवन सामग्री का उत्पादन	243	171	72	299.92	166
22	रखरखाव	33	6	27	2.56	0
23	कोई अन्य कार्य	1792	810	982	874.47	677
	कुल	194451	110747	83704	157871.94	123970
	कुल योग	1495999	717005	778994	661421.98	537739

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र. की ऑनलाईन मॉनिटरिंग करने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। योजना में पारदर्शिता की दृष्टि से आमजन सीधे ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नरेगा साफ्टवेयर का उपयोग योजना क्रियान्वयन, मजदूरी, इलेक्ट्रॉनिक मस्टर रोल, कार्यों एवं उन पर होने वाले व्यय के सीधे भुगतान के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग तथा रियल टाईम सूचना तंत्र विकसित किया गया है।

राज्य में मनरेगा योजना अंतर्गत संचालित सम्पूर्ण कार्यों का व्यय राज्य के योजना खाते से एफटीओ के माध्यम से किया जाता है। प्रदेश में ई-एफएमएस प्रणाली के लागू होने के वृहद स्वरूप की मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में अनेक लाभ हुये हैं तथा रोजगार की उपलब्धता, समय पर भुगतान, शिकायत निवारण, वित्तीय तथा कार्य क्रियान्वयन की दृष्टि से यह सर्वोत्तम तथा आदर्श ई-गवर्नेंस व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई है। प्रदेश में मजदूरी का भुगतान सीधे भारत सरकार के खाते से मजदूरों के खातों में NeFMS (National Electronic Fund Management) से किया जा रहा है।

प्रशासनिक व्यय अंतर्गत कार्यरत अमले का वेतन तथा अन्य कार्यालयीन व्यय करने के लिये विभिन्न मदों में बजट की सीमा अंतर्गत व्यय करने हेतु राज्य स्तर पर पूल खाते से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति विकसित की गई है। जिला एवं जनपद पंचायतों, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा व अन्य कार्यालयों को निर्धारित सीमा तक व्यय हेतु डिजिटल सिग्नेचर से इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर आर्डर करने का प्रावधान किया गया है।

GIS (Geographical Information System)

जियो मनरेगा :

जियो मनरेगा अंतर्गत इंडियन स्पेश रिसर्च आर्गनाइजेशन (इसरो) की भुवन मोबाईल एप्स के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर से पंजीकृत एमएसई द्वारा कार्य स्थल से जियोटैग फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों की वास्तविक भौगोलिक स्थिति सेटलाईट मैप पर देखी जा सकती है। कार्यों की जीआईएस के साथ-साथ कार्यों पर हुये व्यय आदि का विवरण भी भुवन पोर्टल पर उपलब्ध रहता है। मौके पर कार्यों की वास्तविक स्थिति जानने तथा पारदर्शिता की दृष्टि से यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत प्रथम एवं द्वितीय चरण में जियो मनरेगा प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से पूर्व प्रारंभ हुये ऐसे समस्त कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं, उनको कार्य पूर्णता होने पर कार्य का जियो टैग फोटोग्राफ प्राप्त करने का प्रावधान है। इसी प्रकार द्वितीय चरण जियो मनरेगा में नवम्बर 2017 से प्रारंभ कार्यों के 03 स्थितियों के फोटोग्राफ लिये जाने का प्रावधान किया गया है।

जियो मनरेगा फेस-2 अंतर्गत जियो मनरेगा द्वितीय चरण के कार्यों के 03 स्थितियों के भुवन मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटोग्राफ लिया जाना अनिवार्य किया गया है। प्रथम स्थिति कार्य स्वीकृत के बाद कार्य प्रारंभ होने के पूर्व का कार्य स्थल का फोटो जियोटैग करना, द्वितीय स्थिति प्रगतिरत कार्य की फोटो जियोटैग करना एवं तृतीय स्थिति में पूर्ण कार्य की फोटो जियोटैग करना आवश्यक है। कार्य का प्रथम मस्टर रोल जारी करने के पूर्व प्रथम स्थिति का फोटोग्राफ, कार्य पर 30 से 60 प्रतिशत के मध्य व्यय होने पर द्वितीय स्थिति का फोटोग्राफ तथा कार्य पूर्ण होने पर तृतीय स्थिति का फोटोग्राफ अनिवार्य किया गया है।

जीआईएस आधारित प्लानिंग :

प्रत्येक वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें मनरेगा में अनुमत विभिन्न एनआरएम (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) एवं नॉन-एनआरएम कार्य चिन्हित

किए जाते हैं। भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत की जीआईएस आधारित कार्ययोजना बनाई जानी थी, जिसके पालन में 22,602 पंचायतों में जीआईएस मैप तैयार कर लिए गए हैं। साथ ही 21,838 पंचायतों के वाटर बजट भी तैयार किए गए हैं।

इस हेतु Google Maps एवं Bhuwan वेबपोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न नक्शे जैसे— Location map, Land—use land—cover map, Soil erosion map, Geomorphology map, Lineament map, Drainage map, Watershed boundary map, Hydrology map, Salt affected map, Geo & MGNREGA Asset Map आदि का उपयोग कर ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति अनुसार कार्य चिन्हित किए गए। निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद की 02 ग्राम पंचायतों के जीआईएस आधारित कार्ययोजना बनाई जाकर उसे नरेगा साफ्ट पर अपलोड किया गया।

SECURE Software :

SECURE (Software for Estimate Calculation Using Rural Rates) का क्रियान्वयन मनरेगा योजना में 01 अप्रैल 2019 से मध्यप्रदेश में किया गया है। उक्तानुसार सॉफ्टवेयर से कार्यों का प्राक्कलन तैयार किया जाना एवं कार्यों की स्वीकृति ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। नरेगा सॉफ्टवेयर में कार्ययोजना में दर्ज कार्य प्राक्कलन हेतु SECURE पर कार्य उपलब्ध होंगे, उपयंत्री द्वारा कार्य का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासकीय स्वीकृति ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा जारी की जावेगी।

सॉफ्टवेयर के सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग में पदस्थ समस्त उपयंत्रियों एवं सहायक यंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक था। उक्त हेतु वाल्मी द्वारा 02 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर, राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया गया।

SECURE Software अंतर्गत कार्य दायित्व:

- ♦ वरिष्ठ डाटा मैनेजर — समस्त उपयोगकर्ताओं के पंजीयन करना।
- ♦ उपयंत्री — प्राक्कलन तैयार करना।
- ♦ सहायक यंत्री — तैयार प्राक्कलन को चेक करना, आवश्यकतानुसार परिवर्तन करते हुए तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना अथवा स्वीकृति हेतु अग्रेषित करना।
- ♦ कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता — शासन के निर्देशों के अनुसार रु.15 लाख से अधिक राशि के कार्यों में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करना।
- ♦ सरपंच — रु.15 लाख तक कार्यों के प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।
- ♦ मु.का.अधिकारी जनपद पंचायत/जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त/विकास आयुक्त — शासन के नियमों के अनुरूप रु.15 लाख से अधिक के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।
- ♦ सॉफ्टवेयर के माध्यम से नरेगा में स्वीकृत होने वाले कार्यों के डिजीटल प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं, जिससे कार्य में पारदर्शिता के साथ ही काम त्वरित हो रहा है।

मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम :

भारत सरकार द्वारा मस्टर रोल पर समय पर उपस्थिति दर्ज किये जाने हेतु मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम एप उपलब्ध कराया गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य के क्रियान्वयन के स्थान पर ही मजदूरों की उपस्थिति की प्रविष्टि की जा सकती है एवं कार्य का जियो टैग फोटो भी लिया जा सकता है। मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम का क्रियान्वयन समस्त जिलों में किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा फेस अर्थेटीकेशन के माध्यम से मस्टर रोल पर ऑनलाइन उपस्थित दर्ज करने हेतु उपलब्ध कराई गई एप की टेस्टिंग की गई।

जलदूत :- योजना के माध्यम से लिए जा रहे विभिन्न जल संरक्षण तथा संवर्धन के कार्यों से ग्राम पंचायत के जल स्तर में आए बदलाव को मापने हेतु जलदूत एप का क्रियान्वयन किया गया। इस एप के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में 02 से 03 कुओं हेतु वर्ष में 02 बार (प्री मानसून तथा पोस्ट मानसून) के जल स्तर की प्रविष्टि की जा रही है।

अमृत सरोवर :- माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिनांक 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया गया। मिशन का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर (तालाब) का विकास/पुनरुद्धार करना था, जिसके पालन में प्रदेश को प्रदत्त 3900 सरोवरों के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 5936 कार्य लिए गए, जिनमें से कुल 5812 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, जो की लक्ष्य का 189 प्रतिशत है।



मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर ज.प. बाजना ग्राम विक्रमपुर जिला – डिण्डोरी



मनरेगा योजना अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर ज.प. देपालपुर ग्राम घाटाबिल्लोद जिला – इंदौर

6. म.प्र. स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति

सामाजिक अंकेक्षण

- ♦ वर्ष 2023-24 में प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण लक्षित किया गया, जिनमें से 14,977 ग्राम पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण पूर्ण किया गया है, शेष 8,034 ग्राम पंचायतों का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2024-25 में किया जावेगा।
- ♦ दिनांक 31 मार्च 2024 की स्थिति में उक्त 14,977 ग्राम पंचायतों में कुल 28,035 मुद्दे प्राप्त हुए जिसमें से 2,824 मुद्दे निराकृत किये जा चुके हैं।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम अंतर्गत भी प्रदेश की 2600 शालाओं में सामाजिक अंकेक्षण संपन्न कराया गया है।
- ♦ सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं का सोशल ऑडिट कराए जाने हेतु निर्देश जारी कर माह मार्च 2024 में कुल 20 संस्थाओं में सामाजिक अंकेक्षण संपन्न किया गया है।



7. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मध्यप्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन चरण-1 सर्वव्यापी स्वच्छता को शासकीय एवं सामुदायिक प्रयासों से हासिल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन चरण -1 का शुभारंभ किया गया। यह समुदाय संचालित केन्द्रित लोगों और आम मांग आधारित महत्वाकांक्षी अभियान था। इसका लक्ष्य आम लोगों, स्कूलों, आँगनवाड़ी और पिछड़े या वंचित समुदाय में स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। साथ ही इस अभियान से देश में 'खुले में शौच' के प्रचलन को समाप्त किया गया। अभियान अंतर्गत कुल 62.90 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय निर्माण कर उनकी उपयोगिता भी सुनिश्चित की गई। परिणाम स्वरूप 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश को सम्पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

अप्रैल 2020 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ है जो वर्ष 2024-25 तक लागू रहेगा। स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 का मुख्य उद्देश्य ग्रामों की ओडीएफ स्थिति को निरंतर बनाये रखते हुए ग्रामों को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से ग्रामों को दृश्य स्वच्छ बनाया जाकर ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया जाना है।

सशक्त समितियों का संक्षिप्त विवरण –

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के क्रियान्वयन हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग निर्धारित किया गया है तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है।

राज्य स्तरीय समितियाँ

- ♦ **साधारण सभा** – माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में साधारण सभा का गठन किया गया। इसका मुख्य दायित्व मिशन के क्रियाकलापों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाना एवं नियम/कानून निर्धारित किया जाना है।
- ♦ **कार्यकारिणी समिति** – मिशन के संचालन हेतु बनाये गये नियमों/विनियमों और आदेशों के अंतर्गत मिशन के कार्यों को संचालित किए जाने का दायित्व कार्यकारिणी समिति का है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को समिति के अध्यक्ष होते हैं।
- ♦ **जिला स्तरीय समिति** – जिलों में संचालन, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से किया जाता है। जिला कलेक्टर मिशन लीडर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सचिव है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेज-2 का उद्देश्य-

- ♦ वर्ष 2020-21 से योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है।
- ♦ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 की समयावधि वर्ष 2025 तक है। जिसमें प्रदेश के सभी ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रणाली स्थापित होगी, जिसमें सभी घरों/संस्थाओं से गीला एवं प्लास्टिक सहित सूखा कचरा संग्रहित किया जायेगा।

- ♦ जैविक ठोस अपशिष्ट (गीला कचरा) को ग्राम स्तर पर प्रबन्धित किया जाएगा।
- ♦ ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाई स्थापित होगी, जो नियमित अंतराल पर ग्रामों में एकत्र प्लास्टिक सहित अजैविक ठोस अपशिष्ट का उठाव कर इसे प्रसंस्त/प्रबन्धित करेगी।
- ♦ प्रचुर मात्रा में गोबर उत्पन्नकर्ता स्थानों के लिए बायो-मीथेन संयंत्र द्वारा उर्जा उत्पादन का कार्य गोबरधन योजना से किया जायेगा।
- ♦ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय-संसाधन एस.बी.एम. (ग्रा.), 15वाँ वित्त-आयोग निधि की आबद्ध राशि, मनरेगा, पंचायत निधि से उपलब्ध होगा।
- ♦ घरेलू कम्पोस्टिंग को बढ़ावा देकर गीले कचरे का स्रोत पर प्रबंधन करना एवं बड़े ग्रामों में कचरे का कलेक्शन/सेग्रीगेशन/डिस्पोजल का कार्य महिला स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा।
- ♦ ग्राम स्तर तथा ब्लॉक/जिला स्तर की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना एवं परिचालन में त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं तथा महिला स्व-सहायता समूहों की संलग्नता को सुनिश्चित किया जाएगा।
- ♦ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में ग्राम समुदाय की सहभागिता के लिए सतत सूचना-शिक्षा-संचार की गतिविधिया होंगी तथा सभी हितभागियों के क्षमता-वर्धन हेतु संस्थागत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

कार्य क्षेत्र –

1. व्यक्तिगत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण एवं उपयोग-

- ♦ भारत शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों के लिए पारिवारिक शौचालय के निर्माण के उपरांत शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रुपये 12000 दिये जाने का प्रावधान है।
- ♦ स्वामित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण में अतिरिक्त अंशदान करने के लिए लाभार्थी को प्रोत्साहित भी किया जाता है।
- ♦ प्रोत्साहन राशि के लिए निम्न वर्ग के परिवार पात्र हैं—
 - अनुसूचित जाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - अनुसूचित जनजाति बी.पी.एल./ए.पी.एल,
 - सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के बी.पी.एल.,
 - लघु व सीमांत कृषक
 - ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार,
 - शारीरिक रूप से निःशक्त/दिव्यांग
 - परिवार का मुखिया यदि महिला हो

II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण –

- ♦ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) फेस-2 अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त स्थिति के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिये 100 या 100 से अधिक घरों वाले ग्राम के ऐसे स्थानों जहाँ एससी/एसटी आबादी/गरीब बस्ती/प्रवासी/फ्लोटिंग जनसंख्या है, वहाँ सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किये जाने का प्रावधान है।
- ♦ स्वच्छता परिसर निर्माण के लिए न्यूनतम लागत रुपये 3.00 लाख निर्धारित है जिसमें 70% राशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) मद से तथा 30% राशि 15वें वित्त से लिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतें ग्राम में उत्कृष्ट सार्वजनिक प्रसाधन की संरचनाएँ निर्मित किये जाने हेतु अन्य स्रोतों से भी राशि सहयोजन कर सकती हैं।

III. ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन –

- ♦ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 का एक प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2020-25 तक ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को बढ़ावा देकर पर्यावरणीय स्वच्छता के स्थायित्व में योगदान देना है। इस हेतु मिशन अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु आवश्यक ईकाईयों के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

IV. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाईयों का निर्माण –

- ♦ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की स्थापना के लिये एक ब्लॉक के लिये निर्धारित वित्त पोषण मानदंडों के संबंध में बचत, यदि कोई हो, यदि आवश्यक हो तो दूसरे ब्लॉक में उपयोग की जा सकती है। इसके अलावा, आवश्यकता के आधार पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट को 01 से अधिक के लिये क्लस्टर मोड में स्थापित किया जा सकता है। जो कि संबंधित ब्लॉक में उपलब्ध फण्ड के आधार पर किया जा सकेगा।

V. गोबरधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन–

- ♦ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के तहत उर्जा उत्पादन के लिये पशु गोबर एवं अन्य जैव अपशिष्ट का उपयोग कर बायोगैस एवं खाद निर्मित करने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक जिले में गोबरधन की आदर्श परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

VI. आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा एवं संचार) क्षमता वर्धन –

- ♦ आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा एवं संचार) इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। समुदाय स्तर पर स्वच्छता संबंधी व्यवहारगत बदलाव लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय द्वारा पारिवारिक व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं (एसएलडब्ल्यूएम) की मांग सृजित करने के लिए आई.ई.सी. गतिविधियां की जाती हैं।
- ♦ SBMG चरण-2 का उद्देश्य केवल संरचनाओं का निर्माण किया जाना नहीं है बल्कि ग्रामों को ODF प्लस बनाये जाने के लिये आवश्यक बुनियादी ढांचा निर्मित किये जाने तथा स्वच्छता के बेहतर विकल्प अपनाने के लिये समुदाय के व्यवहार परिवर्तन एवं स्वच्छता की गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा सूचना और संचार (आईईसी) की गतिविधियाँ किया जाना है ताकि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।
- ♦ योजना अंतर्गत निर्मित की गई कुल परियोजना लागत के 3% का उपयोग IEC/BCC (Behaviour Change Communication) पर किये जाने का प्रावधान है।

- ♦ क्षमतावर्द्धन से तात्पर्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला/ब्लाक/ग्राम स्तरीय अमले, स्वच्छाग्रहियों एवं त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चयनित प्रतिनिधियों योजना के घटकों से संबंधित विस्तृत प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है।

VII. **स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग**—नीति आयोग के “ट्रेवल फॉर लाइफ कैम्पेन” अंतर्गत केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली दिसम्बर 2023 में प्रारंभ की गई है। ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य होटलों, रिसोर्ट, होम स्टे एवं धर्मशालाओं आदि में विश्व स्तरीय स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम अंतर्गत कार्यरत आतिथ्य ईकाईयाँ, उस क्षेत्र को ओ.डी.एफ प्लस स्थिति प्राप्त करने के साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रेवाटर प्रबंधन एवं मल कीचड़ प्रबंधन का सर्वे करेगी एवं आतिथ्य सुविधा सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी।

मानव संसाधन संरचना (फ्लो चार्ट)—

कार्यकारिणी समिति		
↓		
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव		
↓		
मिशन संचालक		
↓		
संयुक्त आयुक्त 01	संयुक्त आयुक्त 02	उपायुक्त
↓		↓
लेखा अधिकारी	सहायक ग्रेड 03	प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट
लेखापाल	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	प्रोग्रामर
अधीक्षक	भृत्य	उपयंत्री
ग्रेड 01		मानचित्रकार
ग्रेड 02		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर		भृत्य
भृत्य		

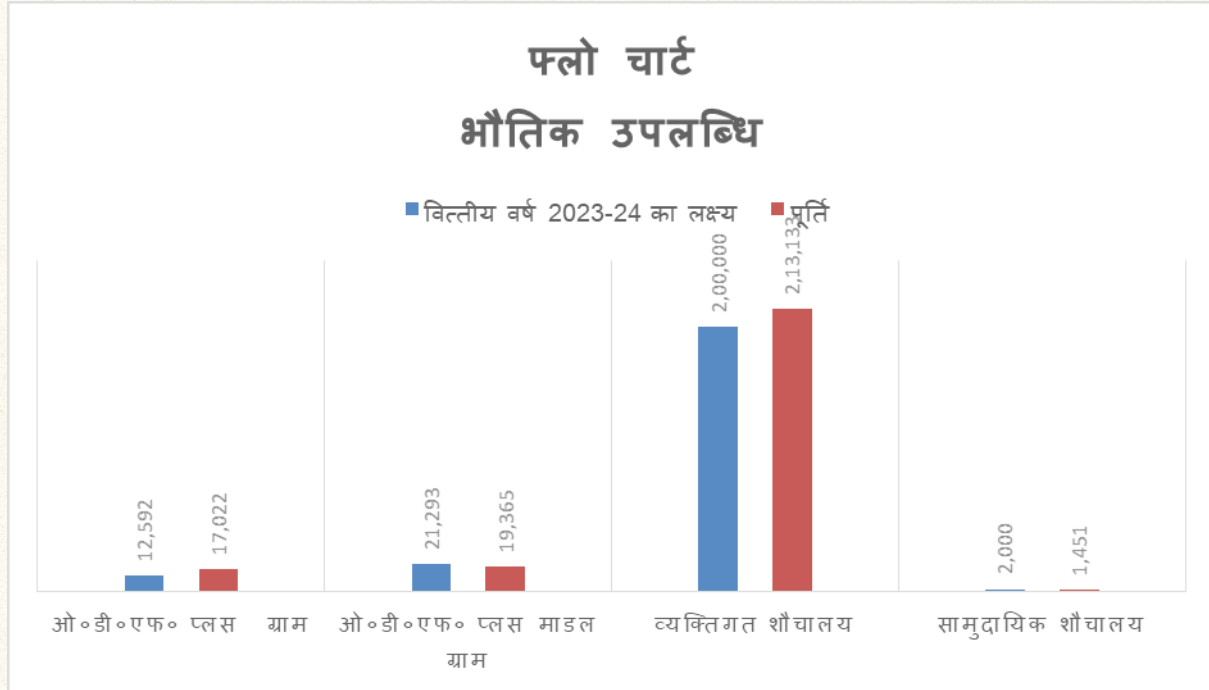
विशेषताएं—

- ♦ दो स्तरीय संस्थागत प्रणाली स्थापित करना —
 - ग्राम/ग्राम-पंचायत स्तरीय — गीला कचरा और ग्रे-वाटर का सम्पूर्ण प्रबंधन, प्लास्टिक सहित अन्य अजैविक कचरे का संग्रहण, पृथकीकरण और डिस्पोजल सम्बन्धी जिम्मेदारी।
 - जिला/जनपद-पंचायत स्तरीय — ग्रामों में भंडारित प्लास्टिक सहित अन्य अजैविक कचरे के प्रबंधन के लिए MRF, एग्रो/पशु-वेस्ट प्रबंधन के लिए गोबर्धन तथा मल-जल प्रबंधन के लिए मॉडल योजना निर्माण।

- ♦ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के परिचालन एवं संधारण हेतु ग्राम पंचायत को सक्षम बनाना।
- ♦ ग्राम सभा, स्थानीय लोगों और संस्थाओं की सहभागिता हेतु जरूरी IEC और क्षमता वर्धन करना।
- ♦ योजना के विभिन्न घटकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश जारी किया जाना।

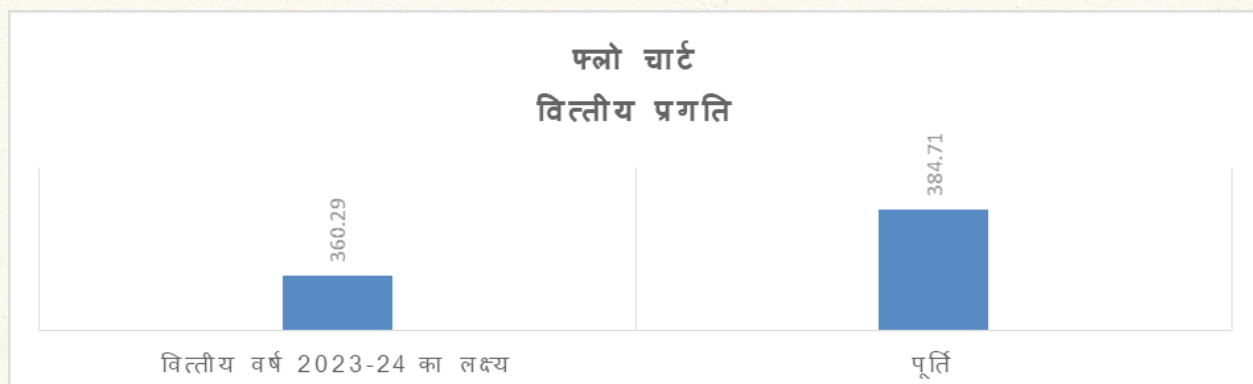
भौतिक उपलब्धियाँ (Graphical Diagram सहित) – वित्तीय वर्ष 2023–24

घटक	लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
ओडीएफ प्लस ग्राम	12,592	17,022
ओडीएफ प्लस मॉडल ग्राम	21,293	19,365
व्यक्तिगत शौचालय	2,00,000	2,13,133
सामुदायिक शौचालय	2,000	1,451
गोबरधन योजना (बायोगैस संयंत्र)	150	68
मल कीचड़ प्रबंधन	32	8



वित्तीय उपलब्धियाँ (Graphical Diagram सहित) – वित्तीय वर्ष 2023-24 (राशि करोड़ में)

लक्ष्य	उपलब्धि
360.29	384.71

**विशेष उपलब्धियाँ— योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का स्थान व इस वर्ष प्राप्त पुरस्कार****I विशेष उपलब्धि –**

- ♦ स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के तहत प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित राज्य पर्यटन विकास निगम के बाइसन रिसार्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग का गौरव प्राप्त।
- ♦ स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग के तहत प्रदेश में अभी तक 125 अतिथ्य सुविधाओं का प्रमाणीकरण किया जाकर म.प्र. देश में अग्रणी है।
- ♦ मिशन लाइफ के तहत निम्नानुसार अभियान शुरू किए गए –

अभियान 1— सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें— समस्त जिलों की 17,934 ग्राम पंचायतों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करने के लिए 8,66,292 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अभियान 2— तालाबों और जल निकायों से प्लास्टिक कचरे की सफाई— सामुदायिक स्तर पर 4,31,610 प्रतिभागियों द्वारा 10,656 ग्राम पंचायतों से 35,427 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा हटाया गया।

अभियान 3— अपशिष्ट कम करें अभियान— 23,581 ग्रामों के 7,24,427 प्रतिभागियों ने निपटान के लिए कचरे को अलग किया और 26,091 ग्रामों में रैलियां आयोजित की।

- ♦ वित्तीय वर्ष 2023-24 में की गई पहल के परिणामों को नीचे उल्लेखित सफलता की कहानी में दर्ज किया गया है –
 - अशोकनगर में सुरक्षा और सम्मान के साथ स्वच्छता कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुव्यवस्थित करके ओडीएफ+ स्थिरता को मजबूत करना।
 - अभिनव ग्रेवाटर प्रबंधन पहल ने इंदौर जिले के दतोदा गांव को बदल दिया।
 - कॉमिक फॉर चेंज-कॉमिक्स के माध्यम से स्वच्छता पर संवाद उत्पन्न करने का एक अभिनव दृष्टिकोण।
 - अपशिष्ट को धन में बदलना एक स्थायी व्यवसाय मॉडल के रूप में एफएसटीपी काली बिल्लोद की सफलता की कहानी।
- ♦ स्वच्छ भारत मिशन के तहत परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना और पीएमयू इकाई के 05 सदस्यों का प्रशिक्षण
- ♦ 52 जिले के जिला समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) का सफाई कर्मचारियों की गरिमा पर जिला स्तरीय प्रशिक्षकों (टीओटी) का प्रशिक्षण
- ♦ तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल कीचड़ प्रबंधन पर 54 इंजीनियरों तथा 54 जिला/ब्लॉक समन्वयकों का मास्टर्स प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण
- ♦ स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग पर समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिला समन्वयक तथा पर्यटन विभाग के 220 हितधारकों (क्षेत्रीय प्रबंधकों, रिसॉर्ट, होमस्टे और निजी होटल मालिकों) एवं एसबीएम-जी के जिला/ब्लॉक समन्वयकों का उन्मुखीकरण
- ♦ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा आईईसी पर 700 हितधारकों का प्रशिक्षण

II. प्रदेश का स्थान –

दिनांक 01-10-2023 को आयोजित विशेष स्वच्छता अभियान "एक घंटे एक साथ – स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान" अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 55,651 गतिविधियाँ आयोजित कर देश में द्वितीय स्थान पर रहा।



जिला नर्मदापुरम के बाइसन रिसोर्ट मढ़ई को 5 ग्रीन लीफ रेटिंग अवार्ड प्राप्त

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) गतिविधि संबंधी छाया चित्र:-



ओडीएफ प्लस गाँवों में दीवाल लेखन एवं संकेतक बोर्ड



गीले एवं सूखे कचरे की समझाईस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई ग्राम पंचायत ईटखेडी जिला भोपाल



ग्रीन बायो फिल्टर टेक्नोलॉजी, ग्रा. पं. दतोदा जिला इन्दौर,



ग्रा. पं. जरारु धाम में निर्मित गौशाला आधारित बायोगैस संयंत्र— जिला दमोह



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण— जिला विदिशा



ग्रामीणों की सुविधा हेतु सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण— जिला सतना

8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़कें विकास का आधार होती हैं। सड़क ही वह सेतु है, जो गाँव को शहर से जोड़ता है। गाँवों की समृद्धि शहरों पर निर्भर है, क्योंकि ग्रामीण यंत्रों के विभिन्न उत्पादों की खपत के साधन शहरों में होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि विकास का मार्ग शहर से होकर गाँव की ओर आता है। शहर के संपर्क के माध्यम से गाँव देश से जुड़ता है। यही परिचय गाँव को विकासोन्मुख बनाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधनों से उसका रिश्ता जुड़ता है। बिना सड़क, बिजली, टेलीफोन और आवागमन के साधनों के सर्वोन्मुखी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। निष्कर्ष यह है कि ग्रामों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक उन्नति में सड़कों की केन्द्रीय भूमिका होती है। अतः देश की उन्नति के लिए सड़कें प्राथमिक आवश्यकता हैं। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के जिन सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों का विकास आवश्यकता के अनुरूप नहीं हो पाया था, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मध्यप्रदेश के सभी ग्रामीण अंचलों के लिए वरदान सिद्ध हुई है।

- ♦ अनुषांगिक संगठन / योजनांतर्गत गठित सभा / सशक्त समितियों / अनुषांगिक संगठन / योजना की जानकारी

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियों का विवरण निम्नानुसार है:-

प्राधिकरण अंतर्गत गठित समितियां

- 1- **साधारण सभा**—सभापति — माननीय मुख्यमंत्री— सदस्य सचिव — विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- i. प्राधिकरण के उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए अधिकार सपन्न प्रशासनिक ढांचा निर्मित करते हुए उन्हें आवश्यक शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- ii. कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाना तथा उनमें संशोधन।

- 2- **कार्यकारिणी समिति**— सभापति—माननीय विभागीय मंत्री —सदस्य सचिव —विभाग के प्रमुख सचिव।

अधिकार

- i. प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संबंध में निर्णय।
- ii. प्राधिकरण के वार्षिक लेखों का अनुमोदन।

- 3- **साधिकार समिति**— सभापति — मुख्य सचिव म.प्र.शासन।

अधिकार

- i. इस समिति को मंत्री—परिषद के अधिकार प्रदत्त हैं।
- ii. समन्वय एवं मंत्री—परिषद को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरणों में निर्णय लेने के लिए समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार।
- iii. प्राधिकरण के कार्यों का सुचारु संपादन के लिए अन्य विभागों के समन्वय के संबंध में निर्णय।

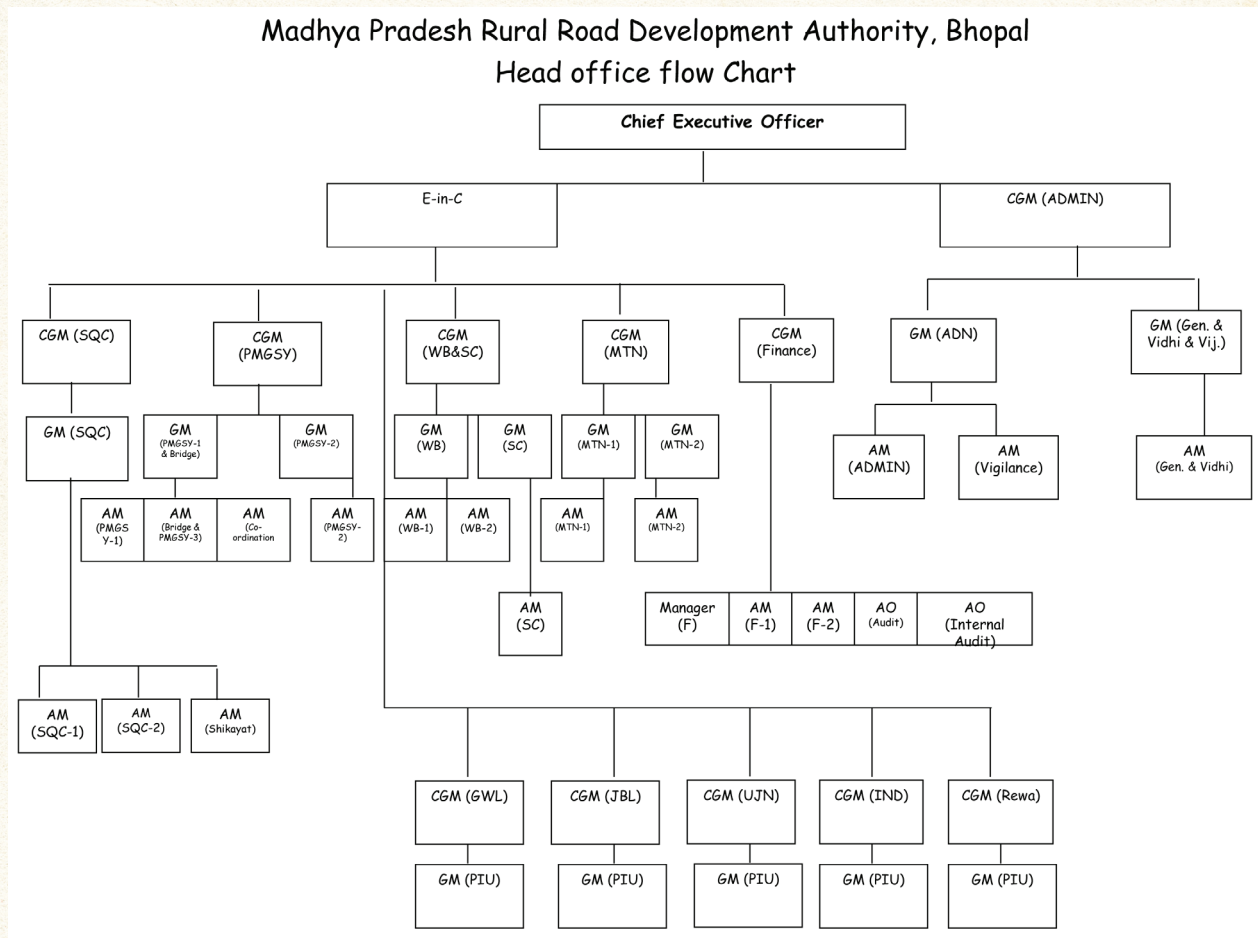
योजना का उद्देश्य

सामान्य क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 तथा इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए दिनांक 25 दिसम्बर 2000 को **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना** भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन संपर्कता के अतिरिक्त अन्य जिला मार्गों एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन भी किया जा रहा है।

योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में आईएपी जिलों में संपर्क विहीन ग्रामों (आबादी 250 तक) को पक्की सड़कों से जोड़ा जाकर बारहमासी (All weather road) पक्की सड़क सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु आधुनिकतम/नवीन तकनीकी के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिये राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाकर उन्नत मापदण्डों के आधार पर एक समयबद्ध कार्यप्रणाली में अनुभवी ठेकेदारों द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नवीन मार्गों का निर्माण/उन्नयन कार्य जारी है।

योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर गठित प्राधिकरण द्वारा योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों के संधारण का कार्य राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से सत्त कराराया जाता है साथ ही भारी यातायात से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों के क्रस्ट उन्नयन का कार्य भी आवश्यकता के अनुरूप किया जा रहा है।

मानव संसाधन संरचना निम्नानुसार है:-



विशेषताएं

- कोरनेटवर्क पर आधारित प्लानिंग, गुणवत्ता नियंत्रण के कड़े मापदण्ड निर्माण पश्चात् 5 / 10 वर्षों की अवधि पूर्ण कर चुकी सड़कों का रखरखाव भी योजना में शामिल होना, कार्यों की गुणवत्ता निगरानी / नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मॉनिटर्स की व्यवस्था, योजना से संबंधित कार्यों में सम्पूर्ण पारदर्शिता, ऑनलाईन मॉनिटरिंग, ई-टेंडरिंग, ई-पेमेन्ट व ई-मार्ग आदि इस कार्यक्रम की विशेषताएँ हैं।
- PMGSY-III योजना के अंतर्गत उन्नयन लिए मार्गों को चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया पूर्णतः सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) आधारित है। विद्यमान समस्त मार्गों एवं ग्रामों का जी.आई.एस. आधारित डाटा तैयार कर शिक्षण, चिकित्सा, ग्रामीण कृषि बाजार एवं यातायात की सुविधाओं के फोटोग्राफ्स जियो टैग कर सुविधाएँ पहुंचाने हेतु मार्गों की उपयोगिता के अनुसार सिस्टम जनरेटेड ट्रैसमैप से मार्गों की रैंक प्राप्त कर उपयोगिता मूल्य (यूटीलिटी वेल्यू) के अनुसार सिस्टम जनरेटेड प्राथमिकता सूची (सीयूसीपीएल) से वरीयता के क्रम पर मार्गों के उन्नयन हेतु आवंटन के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रगतिरत है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1

- ♦ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-1 अन्तर्गत अद्यतन स्थिति में रु. 22,716 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 18,942 मार्गों जिनकी लम्बाई 72,963 किमी. है का निर्माण किया गया। साथ ही 647 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है। जिससे 1,7534 संपर्क विहीन बसाहटों को संपर्कता प्रदान की गई।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 19 किमी. लम्बाई, के 09 मार्गों एवं 18 वृहद पुलों का निर्माण पूर्ण करते हुए रु 64 करोड़ की राशि व्यय की गई, जिससे 07 बसाहटों को संपर्कता प्राप्त हुई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-2

- ♦ भारत सरकार द्वारा प्रदेश में पूर्व से विद्यमान अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्गों के उन्नयन के उद्देश्य से पीएमजीएवाय-2 योजना प्रारंभ की गई है। जिसके तहत प्रदेश को 4,984 किमी लंबाई के मार्गों के उन्नयन की तथा 244 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब तक 4,886 किमी लंबाई के 370 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, साथ ही 243 वृहद पुलों का भी निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये राशि रु. 3,193 करोड़ व्यय की गई है।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 मार्ग जिनकी लंबाई 1 किमी. है, निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही 6 वृहद पुलों का भी निर्माण किया गया है एवं रु. 20 करोड़ की राशि व्यय की गई।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भाग-3

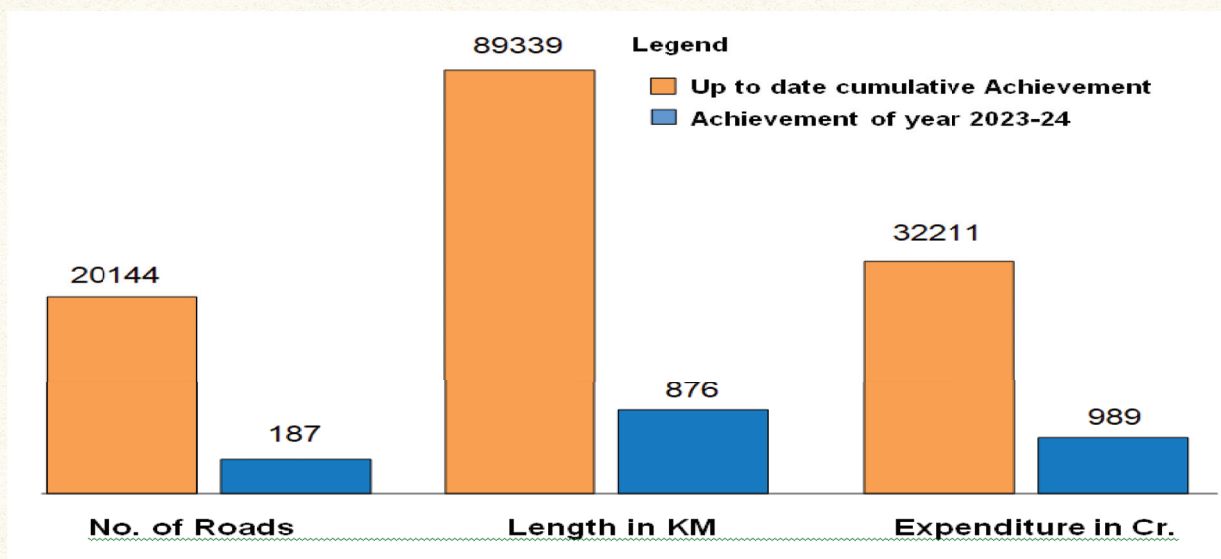
- ♦ योजना का उद्देश्य पूर्व से निर्मित ग्रामीण मार्गों, जो कि शिक्षण, चिकित्सा, कृषि बाजार एवं यातायात अवसंरचना को जोड़ते हैं, का उन्नयन कार्य किया जाना है। भारत सरकार से प्रदेश को 12,362 किमी मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है। जिसके अनुसार 1076 मार्गों, लंबाई 12356 किमी तथा 802 पुलों हेतु रु. 10,156 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

- ♦ योजना प्रारंभ से अद्यतन स्थिति तक 11,490 किमी लंबाई के 832 मार्गों एवं 409 वृहद पुलों का कार्य पूर्ण करते हुये राशि रूपये 6302 करोड़ व्यय की गई। भारत सरकार द्वारा योजना की अवधि वर्ष 2025 तक निर्धारित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 856 किमी के 176 मार्ग एवं 156 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है तथा राशि रु. 905 करोड़ व्यय की गई।

आरसीपीएलडब्ल्यूईए – (रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लेफ्ट विंग एक्ट्रीमिस्म अफेक्टेड एरिया)

- ♦ आरसीपीएलडब्ल्यूईए अन्तर्गत 37 मार्गों जिनकी लंबाई 346 किमी तथा 46 पुलों हेतु राशि रु. 490.25 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त।
- ♦ अद्यतन स्थिति में रु. 234 करोड़ राशि का व्यय करते हुए 03 मार्गों जिनकी लम्बाई 83 किमी. है का निर्माण किया गया। साथ ही 14 वृहद पुलों का भी निर्माण पूर्ण किया गया है।
- ♦ वित्तीय वर्ष 2023-24 में 34 किमी. लम्बाई, के मार्गों का निर्माण पूर्ण करते हुए रु 136 करोड़ की राशि व्यय की गई।

Graphical presentation of PMGSY



मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों का डामरीकरण (MPRCP)

विश्व बैंक की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित 10000 कि.मी. ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 510 कि.मी. नवीन मार्गों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। परियोजना की अनुमानित लागत 502 मिलियन यू.एस.डी. है। वित्तीय वर्ष अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 251 कि.मी के कार्य तक पूर्ण किये जा चुके हैं, एमपीआरसीपी परियोजना 15.09.2023 को पूर्ण हो चुकी हैं।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम जनमन)

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पी.एम जनमन) योजना की घोषणा 15 नवम्बर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई, प्रदेश में 03 जनजातियाँ बैगा, भारिया एवं सहारिया चिन्हित की गई हैं। पी.एम जनमन अंतर्गत कुल 125 मार्गों, लम्बाई 295 कि.मी एवं राशि 235 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 2023-24 में प्रथम चरण में प्राप्त हुई। 117 मार्गों, लम्बाई 264 कि.मी एवं राशि 175 करोड़ की कार्य हेतु निविदा स्वीकृत की गई हैं, कार्य प्रगति पर हैं।

विशेष उपलब्धियां

ग्रामीण मार्गों के संधारण का ऑनलाईन प्रबंधन

मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रदेश में लगभग 95368 कि.मी. लंबाई के मार्गों का संधारण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के इस वृहद सड़क नेटवर्क के संधारण कार्यों की समीक्षा एवं प्रबंधन के लिए एक वेब आधारित ऑनलाईन सिस्टम तैयार करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस उद्देश्य से नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर (NIC) द्वारा पोर्टल ई-मार्ग (e-marg) तैयार किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित सभी मार्गों का सम्पूर्ण डाटाबेस उपलब्ध है। वर्तमान में संधारण कार्यों का भुगतान भी इसी पोर्टल से माध्यम से किया जा रहा है। ई-मार्ग पर प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे परफार्मेंस आधारित संधारण कार्यों की अद्यतन स्थिति के साथ फोटोग्राफ्स अपलोडिंग भी की जाती है। इसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सभी मार्गों का पूर्ण डाटाबेस।
2. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा मार्गों के निरीक्षण प्रतिवेदन की मार्गों के जियो टेग्ड फोटोग्राफ्स के साथ अपलोडिंग।
3. ठेकेदारों द्वारा संधारण देयक का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण।
4. प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा भुगतान के पूर्व मार्गों के संधारण के लिए निर्धारित मानदण्डों पर ऑनलाईन इंडेक्सिंग।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा संधारण देयकों का ऑनलाईन अनुमोदन।
6. ठेकेदारों को अनुमोदित देयक राशि का पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाईन बैंक खातों में हस्तांतरण।
7. SAMVEG पोर्टल के माध्यम से संधारण कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी।

इसके अतिरिक्त संधारण संबंधी समस्त जानकारी का पोर्टल पर इससे संधारण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता स्थापित हो सकी है।

Geo-reach :-

Geo-reach software पहला सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संपादित किये जा रहे कार्यों की भौतिक, वित्तीय प्रगति, स्टेट क्वालिटी मॉनिटर (SQM) को निरीक्षण हेतु कार्य आवंटन, पीआईयू निरीक्षण हेतु लेखा विवरण, जनसामान्य, पीआईयू की समस्या का ऑनलाईन निराकरण एवं ठेकेदारों का भुगतान पूर्ण पारदर्शिता के साथ सफलता पूर्वक निष्पादित किया जा रहा है।

नवाचार/पहल

- ♦ प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है जिसके तहत विगत वर्षों में प्रदेश के जिलों में लगभग 6500 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करते हुए 12520 किमी. मार्गों का निर्माण किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर 480 किमी. मार्गों का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उपरोक्त तकनीक से मार्ग निर्माण किये जाने पर प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण से भी मुक्ति मिल रही है तथा शहरों/नगरों में फैलने वाले गंदगी/कचरा मुक्त किये जाने का अभिनव प्रयास किया जा रहा है जो कि स्वच्छ भारत अभियान का एक अहम भाग होगा।



ताप्ती नदी में निर्मित ब्रिज- वि.ख. भीमपुर जिला- बैतूल



जिल्हारी घाट से टोटकाडही ब्रिज- जिला छिंदवाड़ा



मनकू घाटी से पनारा रोड़- जिला छिंदवाड़ा



चार गांव से हथकट्टा रोड़- जिला डिंडोरी

9. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

01 अप्रैल 2016 से भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण प्रारम्भ की गई, जिसकी औपचारिक शुरुआत 20 नवम्बर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत सभी पात्र बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अनुसार समस्त पात्र हितग्राहियों को आवास स्वीकृत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आवास प्लस के माध्यम से जोड़े गये 27.80 लाख हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार कराई जाकर ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत लाभ प्रदाय किया जा रहा है।

- ♦ योजना अंतर्गत भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्तीय पोषण किया जा रहा है।
- ♦ आवास की लागत समतल क्षेत्र में 1,20,000 रुपये प्रति इकाई एवं आईएपी जिलों (अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी, शहडोल, सिंगरौली, सीधी, उमरिया) में 1,30,000 रुपये एवं मनरेगा मजदूरी 90/95 कार्य दिवस प्रति इकाई है।

उद्देश्य

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण—शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सब के लिये आवास 2024 के उद्देश्य को पूरा करने के लिये म.प्र सरकार द्वारा योजना में प्रारम्भ से आज तक 36.04 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। आवास प्लस अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए 7.57 लाख आवास का लक्ष्य भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध शत प्रतिशत स्वीकृति जारी की जाकर 6.70 लाख आवास पूर्ण कराये जा चुके हैं।

समृद्ध पर्यावास के अंतर्गत हितग्राहियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न विभागों की हितग्राही मूलक योजनाओं से अभिसरण कर अधिक से अधिक लाभ दिया जा रहा है।

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

- ♦ 1 अप्रैल 2023 को 4.66 लाख पूर्व वर्षों के अपूर्ण आवासों में से दिनांक 31.03.24 तक 2.59 लाख आवास पूर्ण कराये गये हैं। योजना में प्रारम्भ से अब तक 36.04 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है।
- ♦ योजना प्रारम्भ से केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त आवंटन रु. 46518.38 करोड़ रुपये के विरुद्ध रु. 45772.42 करोड़ का व्यय किया गया।

विशेष उपलब्धियां

- ♦ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास निर्माण में मध्यप्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है।
- ♦ राजमिस्त्री प्रशिक्षण अंतर्गत 9000 महिला प्रशिक्षुओं को भी राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान में 10000 राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के लक्ष्य के विरुद्ध 8630 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। शेष 1370 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

- यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा औपचारिक रूप से 15 नवम्बर 2023 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के लिये प्रारंभ की गई।
- योजना में प्रदेश के तीन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (बैगा, भारिया एवं सहरिया) को लक्षित किया गया है। इसमें 9 प्रमुख मंत्रालय एवं उनके 11 महत्वपूर्ण घटक समाहित किये गये हैं।
- मध्यप्रदेश के 24 जिले (जिला-अनूपपुर, अशोकनगर, भिण्ड, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दतिया, डिंडौरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मण्डला, मुरैना, शहडोल, श्योपुर, शिवपुरी, रायसेन, सतना, सिवनी, सिंगरौली, सीधी, विदिशा एवं उमरिया) शामिल किये गये हैं।
- पीएम-जनमन मिशन में मात्र दो Exclusion Criteria सम्मिलित है-
A- Household with pucca houses; and
B- Household with any member as a Government employee.
- मिशन अंतर्गत 1.51 लाख परिवारों का सर्वे कार्य पूर्ण।
- सर्वे के उपरांत 1.48 लाख परिवार पात्र हैं, 2663 परिवार पक्के आवास आदि कारणों से अपात्र पाये गये हैं।
- योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रारंभिक लक्ष्य 86,228 का प्रदान किया गया। प्राप्त लक्ष्य में से 85369 (99%) को आवास स्वीकृत किया गया।
- माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 15-01-2024 को सिंगल क्लिक के माध्यम से देश के 1.00 लाख हितग्राहियों को उनके खाते में प्रथम किश्त की राशि हस्तांतरित की गई जिसमें से मध्यप्रदेश के 44783 (45%) हितग्राही सम्मिलित थे।
- योजनांतर्गत देश का प्रथम आवास केवल 29 दिवस में मध्यप्रदेश के शिवपुरी तथा 31 दिवस में द्वितीय आवास छिंदवाड़ा जिले द्वारा बनाया गया। योजनांतर्गत देश में 9,733 आवास पूर्ण किये गये हैं जिसमें मध्यप्रदेश द्वारा सर्वाधिक 8,900 से अधिक आवास पूर्ण कराये गये हैं।

प्रधानमंत्री जनमन आवास

 <p>जिला शिवपुरी देश का प्रथम आवास (29 दिवस में पूर्ण)</p>	 <p>जिला छिंदवाड़ा देश का द्वितीय आवास (31 दिवस में पूर्ण)</p>
<p>हितग्राही का नाम - भागचन्द्र सहरिया पिता का नाम - रन्धीरा पीएमएवाय आईडी - MP151977364 जिला - शिवपुरी जनपद पंचायत - शिवपुरी ग्राम पंचायत - कलोथरा ग्राम - कलोथरा</p>	<p>हितग्राही का नाम - रेखा भारती पिता का नाम - राजेन्द्र भारती पीएमएवाय आईडी - MP151762713 जिला - छिंदवाड़ा जनपद पंचायत - चौरई ग्राम पंचायत - गुरिया ग्राम - चन्दनवाड़ा</p>

प्रधानमंत्री जनमन आवास



हितग्राही - शिवकुमार, पिता - मिठदूलाल, आईडी - **MP5008964**
ग्राम - चारगाँवमाल जनपद पंचायत - बीजाडांडी जिला मंडला



हितग्राही मंगल विश्वकर्मा, पिता - बैजनाथ विश्वकर्मा, आईडी **MP4076686**
ग्राम - सहिजनहा जनपद पंचायत - मझौली, जिला - सीधी

10. मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

मध्यप्रदेश में राज्य आजीविका फोरम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः केन्द्र वित्त पोषित योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी. यू.जी.के.वाई.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) वर्ष 2012 से संचालित है, जो कि वर्ष 2018-19 से प्रदेश के सभी जिलों में सघन रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है।

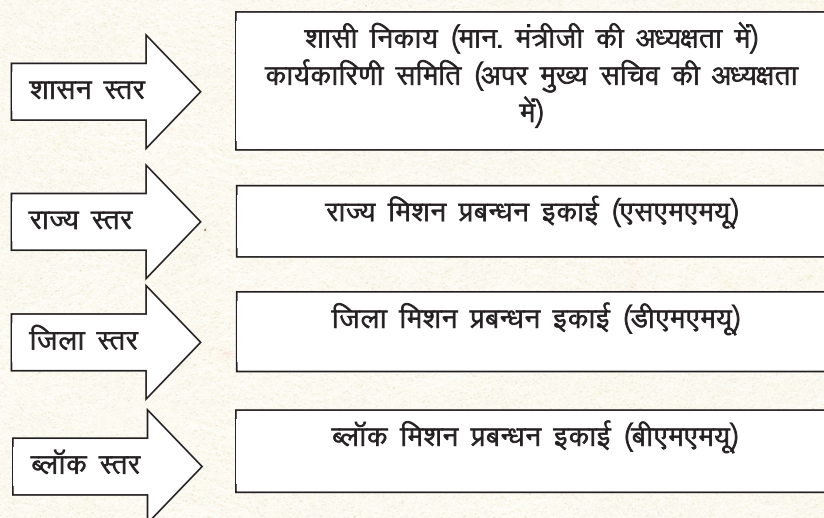
उद्देश्य :

गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उन्हें आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी निर्धनता कम करना, एवं आजीविका को संवहनीय आधार पर बेहतर बनाया जाना।

पात्रता एवं कार्यक्षेत्र :

सहभागिता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित अति गरीब एवं गरीब परिवार अथवा सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC 2011 के अनुसार लक्षित परिवार हैं। प्रदेश के समस्त जिलों के 313 विकासखण्डों में मिशन का सघन रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मानव संसाधन संरचना :



- ♦ **राज्य स्तर** : मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के 26 स्वीकृत पद हैं जिसमें 18 पद भरे हुए हैं।
- ♦ **जिला स्तर** : जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक सहित विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के 391 स्वीकृत पद हैं जिनमें से 274 पद भरे हुए हैं।
- ♦ **विकासखण्ड स्तर** : मिशन में विकासखण्ड स्तर पर मैदानी अमले के 1565 स्वीकृत पद के विरुद्ध 1371 पद भरे हुए हैं।

विशेषतार्ये:

सामुदायिक संस्थान गठन एवं विकास :

- ♦ महिला स्व-सहायता समूह का गठन एवं सशक्तिकरण किया जाता है। गांव की 10 से 20 महिलाओं का समूह जो समान सोच रखते हों एवं गरीबी से बाहर आने हेतु संगठित होकर प्रयास करना चाहते हैं।
- ♦ स्व-सहायता समूहों के गठन पश्चात ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन का गठन किया जाता है। ग्राम संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम में मौजूद स्व सहायता समूह भागीदारी करते हैं एवं समूह के सदस्यों के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्य करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन एक ऐसा परिसंघ है जिसमें ग्राम संगठन भागीदारी करते हैं।

वित्तीय समावेशन :

- ♦ चक्रीय निधि, सामुदायिक निवेश निधि, आपदा कोष एवं बैंक लिंकेज के माध्यम से गरीब परिवारों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग किया जाता है।

आजीविका :

- ♦ समूहों को शासन की अन्य योजनाओं से समन्वय/अभिसरण कर पात्रतानुसार लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाता है। समूह सदस्यों को कृषि, पशुपालन, गैर कृषि आधारित एवं विभिन्न प्रकार की अन्य आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

कौशल विकास एवं रोजगार :

ग्रामीण युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार हेतु कौशल आधारित प्रशिक्षण कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

- ♦ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.जी.के.वाई) के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं नियोजन।
- ♦ आरसेटी के माध्यम से प्रशिक्षण उपरांत स्वरोजगार स्थापना।
- ♦ रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

उपलब्धि वर्ष 2023-24

- ♦ 10 लाख 51 हजार परिवारों की महिला सदस्यों को 66,967 स्व-सहायता समूहों से जोड़ा गया है।
- ♦ 1,138 ग्राम संगठन एवं 60 संकुल स्तरीय संगठन (सी.एल.एफ.) बनाए गए हैं।
- ♦ 44,884 स्व-सहायता समूहों को रु. 89.33 करोड़ की चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) एवं 22,905 समूहों को रु. 267.78 करोड़ की सामुदायिक निवेश निधि (सी.आई.एफ.) प्रदाय की गई है।
- ♦ प्रदेश में 1,63,414 समूहों को रु. 3,580 करोड़ का बैंक ऋण दिलाया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 303 करोड़ का बैंक लिंकेज हुआ जो बढ़कर वर्ष 2023-24 में रु. 3 हजार 580 करोड़ हो गया है।

- वर्ष 2023-24 में समुदाय प्रशिक्षण केन्द्रों (सीटीसी) में 3299 प्रशिक्षणों के माध्यम से 1,27,931 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 में 23,011 ग्राम पंचायतों, 1,360 क्लस्टर लेवल फेडरेशन और 39,779 ग्राम संगठनों में VPRP(Village Poverty Resilience Plan) योजना तैयार की गई।



स्व-सहायता समूह सदस्यों का प्रशिक्षण



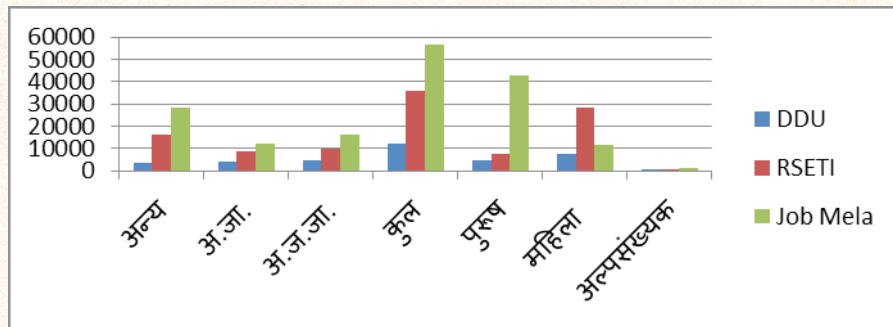
बीसी सखी

खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अंतर्गत स्वसहायता समूह एवं उनके परिजनों को FNHW से संबंधित उचित व्यवहार और प्रथाओं के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 जिलों के 6 विकासखण्डों को सम्मिलित कर कुल 52 जिलों के 136 विकासखण्डों में FNHW सघन गतिविधियां संचालित की गई हैं। इन गतिविधियों के लिए कुल 3799 पोषण सखियों को प्रशिक्षित किया गया जिनके माध्यम से 571 संकुल स्तरीय संगठन 16380 ग्राम संगठन और 192639 स्व सहायता समूह सदस्यों को जागरूक व प्रशिक्षित किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 जिलों के 30 ब्लॉकों को लिंग हस्तक्षेप (जेण्डर इन्टरवेंशन) के तहत कवर किया गया है इस प्रकार अब तक कुल 52 जिले के 164 विकासखण्डों में जेण्डर गतिविधियां संचालित की जा रही हैं एवं वर्ष 2023-24 में 112 नवीन लोक अधिकार केंद्र स्थापित किये जाकर कुल 131 लोक अधिकार केन्द्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। जेण्डर अंतर्गत 3667 प्रशिक्षित समता समन्वयक, समता सखी एवं जेण्डर सीआरपी के माध्यम से 544 संकुल स्तरीय संगठन, 16453 ग्राम संगठन एवं 140321 स्व-सहायता समूहों में जेण्डर गतिविधियों के माध्यम से स्व-सहायता समूह सदस्यों को जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया है।
- रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम अंतर्गत 85,401 ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को डी.डी.यू.जी.के.वाई.एवं आरसेटी के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा रोजगार मेला के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम (युवा संख्या) :

वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति में



मुख्य आजीविका गतिविधियां वर्ष 2023-24

5,38,751 परिवारों को कृषि तथा पशुपालन आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है।

- ♦ लगभग 40 हजार कृषकों को व्यवसायिक सब्जी उत्पादन के साथ जोड़ा गया है।



व्यवसायिक सब्जी उत्पादन

- ♦ गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म उद्यम कार्यों यथा सेनेटरी नैपकिन, सिलाई, लघु वन उपज का प्रसंस्करण, हथकरघा इत्यादि से जुड़कर 62,470 स्व-सहायता समूहों की महिलाएं लाभान्वित हुई हैं।



सूक्ष्म उद्यम गतिविधि

- ♦ लगभग 3 लाख 78 हजार आजीविका पोषण वाटिका तैयार की गई हैं।

विशेष उपलब्धियां एवं नवाचार

- ♦ भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्राप्त निर्देशानुसार स्व सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जोड़कर परिवार की न्यूनतम वार्षिक आय राशि रुपये 1,00,000 व अधिक की जाने हेतु लखपति दीदी इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है। इसके तहत 16.04 लाख स्व सहायता समूह सदस्यों को आगामी दो वर्ष में लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। उक्त कार्यक्रम अंतर्गत 507 मास्टर ट्रेनर, 21279 लखपति सीआरपी को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित लखपति सी. आरपी के माध्यम से चिन्हांकित 16.55 लाख संभावित लखपति दीदी को प्रशिक्षित कर उनकी आजीविका सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है।
- ♦ स्वाद संगम (दीदी कैफे) – विभिन्न मॉडल्स (कैंटीन, क्योस्क, फूड ट्रक एवं कैटरिंग) अंतर्गत 17 नवीन दीदी कैफे आरम्भ किये गए हैं।
- ♦ स्व सहायता समूह हेतु बाजार – स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के बिक्री हेतु आजीविका मार्ट स्थापित किया गया है।
- ♦ जिला शिवपुरी में जैकेट क्लस्टर विकसित करने के लिए अडानी फाउन्डेशन के साथ पार्टनरशिप किया गया है।
- ♦ PMFME (प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रोफूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत हितग्राहियों को सीड कैपिटल उपलब्ध कराया जाता है। विभिन्न उद्यमों से संलग्न हितग्राहियों को राशि रु 13 करोड़ 87 लाख सीड कैपिटल अनुदान उपलब्ध कराई गई है।
- ♦ नमो ड्रोन दीदी योजना के अन्तर्गत 89 स्व-सहायता समूह सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 87 दीदीयों को ड्रोन प्राप्त हुए हैं। भारत की प्रमुख उर्वरक कंपनियों द्वारा ड्रोन उपलब्ध कराए गये हैं।
- ♦ बाजार आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जिला डिंडोरी में एक उच्च तकनीक वाली कोदो-कुटकी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की गई है जो कार्यरत है। इकाई की क्षमता प्रति वर्ष 2500 मीट्रिक टन कोदो-कुटकी प्रसंस्करण करने की है।
- ♦ वर्ष 2023-24 में एनआरएलएम के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के द्वारा 11.72 लाख टन अनाज का उपार्जन किया गया है।
- ♦ 22 नवीन किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।
- ♦ स्व-सहायता समूह से जुड़ी महिला किसानों को उनकी उपज की मार्केटिंग में सहयोग हेतु 1084 नवीन उत्पादक समूह (प्रोड्यूसर ग्रुप) एवं जैविक कृषि की प्रौन्नति हेतु 1086 लोकल ग्रुप का गठन किया गया है।

वित्तीय उपलब्धि :

- ♦ योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 अप्रैल 2023 से माह 31 मार्च 2024 तक एनआरएलएम हेतु प्रावधानित बजट राशि रु. 724.67 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 724.67 करोड़ का आहरण शासन की ओर से प्राप्त हो चुका है। मिशन अंतर्गत एनआरएलएम एवं उपयोजना में प्रारंभिक शेष सहित राशि रु. 747.18 करोड़ का अनुमानित व्यय हुआ है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना :

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना का उद्देश्य ग्रामीण पथ विक्रेताओं को व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी प्रदत्त करना है। इसके अंतर्गत हितग्राही को रु. 10,000 तक का बैंक से ब्याज मुक्त ऋण एवं नियमित ऋण अदायगी पर शासन द्वारा ब्याज अनुदान की बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है। योजना के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 में 3,580 ग्रामीण पथ विक्रेता लाभान्वित हुए हैं।



लोक अधिकार केन्द्र



दीदी कैफे



आजीविका मार्ट



आजीविका एक्सप्रेस

11. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास

वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वाटरशेड विकास के सिद्धांत के आधार पर जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से “वाटरशेड विकास घटक – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 प्रारंभ की गई थी। योजना के अंतर्गत 36 जिलों में 5.10 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल एवं लागत रुपये 1121.00 करोड़ की 85 वाटरशेड परियोजनायें 5 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की गई हैं।

उद्देश्य एवं घटक :

- ♦ अनियमित वर्षा/सूखे तथा जलवायु परिवर्तन के जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा हेतु वाटरशेड विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित सतही जल संग्रहण और भूजल संवर्धन कर सिंचाई सामर्थ्य का विकास
- ♦ लैंड स्केप रिस्टोरेशन हेतु शासकीय एवं निजी भूमि पर वृक्षारोपण (उद्यानिकी वृक्षारोपण को प्राथमिकता)
- ♦ अल्प संसाधन वाले ग्रामीणों हेतु आजीविका के वैकल्पिक स्रोतों के सृजन हेतु ग्रामीणों के स्व सहायता समूहों का गठन एवं ऑन फार्म एवं ऑफ फार्म आधारित आयमूलक गतिविधियों/लघु उद्यमों का क्रियान्वयन
- ♦ कृषि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण अपनाकर कृषकों की आय में वृद्धि हेतु कृषि/उद्यानिकी/पशु उत्पादन प्रणालियों का विविधीकरण एवं उत्पादकता में वृद्धि करना
- ♦ प्लानिंग, क्रियान्वयन, लाभों के वितरण और संसाधन प्रबंधन में समुदाय की दायित्व पूर्ण सहभागिता हेतु ग्रामीणों की वाटरशेड समितियों का गठन
- ♦ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओएस) का गठन व इनके द्वारा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा कृषि प्रबंधन

वित्तीय स्रोत :

योजना के अंतर्गत 60 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 40 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त की जाती है।

किये जाने वाले कार्य :

1. मृदा संरक्षण हेतु कंटूर ट्रेंच, गली प्लग, गेबियन संरचना आदि का निर्माण
2. सतही जल संग्रहण हेतु खेत तालाब, तालाब, स्टॉपडेम/चेकडेम आदि का निर्माण
3. भूजल संवर्धन हेतु परकोलेशन टैंक, रिचार्ज सॉफ्ट आदि का निर्माण
4. संसाधनहीन एवं गरीब परिवारों के स्वसहायता समूह को आजीविका उन्नयन हेतु वैकल्पिक व्यवसाय/आजीविका उपलब्ध कराना
5. फसल विविधीकरण, पशुधन प्रबंधन, सब्जी उत्पादन, उद्यानिकी वृक्षारोपण इत्यादि द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना

वित्तीय वर्ष 2023-24 की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

वित्तीय प्रगति

(रूपये करोड़ में)

पूर्व अवशेष	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल उपलब्ध राशि	व्यय
90.76	163.75	109.16	363.67	302.94

भौतिक प्रगति

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मद	1413 जल संरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया गया जिसके फलस्वरूप 10113 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सामर्थ्य विकसित हुई		
उत्पादन प्रणाली मद	कृषक सुविधा केन्द्र हेतु शेड का निर्माण		49
	माइक्रोईरिगेशन से लाभान्वित हितग्राही		2249
	बकरी पालन, मत्स्य पालन एवं मुर्गी पालन गतिविधियों से लाभान्वित हितग्राही		2101
आजीविका उन्नयन मद	लाभान्वित हितग्राही		4991



कंटूर ट्रेंच-जिला नीमच



वृक्षारोपण-जिला खरगौन



चेकडेम - जिला रतलाम



खेत तालाब - जिला झाबुआ



अमृत सरोवर जिला - नरसिंहपुर



कृषक सुविधा केन्द्र - जिला कटनी

12. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत लक्षित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दोपहर में पका हुआ गर्म एवं रुचिकर भोजन निर्धारित मेन्यू अनुसार प्रदाय किया जाता है। प्रदेश में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रशासकीय एवं नोडल विभाग है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त संसाधनों से किया जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मुख्य उद्देश्य बाल वाटिका, शासकीय तथा शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाना, वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को गर्मी की छुट्टियों और आपदा के समय पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है।

भोजन के पोषण मानक – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अनुसार पोषण संबंधी मानक निम्नानुसार हैं।

क्रमांक	शाला का स्तर	कैलोरी	प्रोटीन
1.	प्राथमिक	450	12-13 ग्राम
2.	माध्यमिक	700	20-21 ग्राम

योजनांतर्गत लक्षित प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उपरोक्तानुसार निर्धारित कैलोरी एवं प्रोटीनयुक्त भोजन प्रदाय किये जाने हेतु राज्य स्तर से निम्नानुसार वैकल्पिक साप्ताहिक मेन्यू निर्धारित किये गये हैं।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैकल्पिक मेनू

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	रोटी/चावल के साथ तुअर की दाल और काबुली चने व टमाटर की सब्जी
मंगलवार	पूरी/पुलाव के साथ खीर/हलवा और मूंगबड़ी व आलू टमाटर की सब्जी
बुधवार	रोटी/चावल के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी
गुरुवार	वेजीटेबल (सब्जी वाला) पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी
शुक्रवार	रोटी/चावल के साथ मूंग की दाल और हरे या सूखे मटर/सूखे चने की सब्जी
शनिवार	पराठा/पुलाव के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी

केन्द्रीयकृत रसोईघर का मेनू :

सप्ताह का दिन	मेनू का विकल्प
सोमवार	वेजीटेबल पुलाव तथा कढ़ी पकौड़ा।
मंगलवार	पूरी तथा छोले/मटर की सब्जी एवं खीर/हलवा।

बुधवार	जीरा राईस तथा मिक्स सब्जी एवं तुअर दाल।
गुरुवार	रोटी तथा सोया चंरसं/मूंग या चना बड़ी एवं आलू की सब्जी तथा तुअर दाल।
शुक्रवार	खिचड़ी (मूंग की दाल के साथ) तथा आलू, मटर एवं टमाटर की सब्जी।
शनिवार	रोटी तथा ग्रीन मिक्स सब्जी एवं मिक्स दाल।

योजना का क्रियान्वयन—

प्रदेश की 1.09 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में लगभग 69,399 स्व-सहायता समूहों तथा 19 जिलों के 29 शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीयकृत किचिनशेड के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में लगभग 2.05 लाख रसोईये भोजन पकाने के कार्य हेतु संलग्न हैं।

शालाएं एवं लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या —

नाम	शालाएं			लाभान्वित विद्यार्थी		
	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल	प्राथमिक	माध्यमिक	कुल
मध्यप्रदेश	78,951	30,261	1,09,212	26,05,883	15,93,436	41,99,319

खाद्यान्न एवं भोजन पकाने की लागत राशि

क्र	शाला का स्तर	खाद्यान्न की मात्रा प्रति दिवस, प्रति छात्र	भोजन पकाने की लागत राशि प्रति छात्र, प्रति दिवस (राशि रुपये में)		कुल
			केन्द्रांश	राज्यांश	
1.	प्राथमिक	100 ग्राम	3.27	2.18	5.45
2.	माध्यमिक	150 ग्राम	4.90	3.27	8.17

राशि अंतरण — प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु खाना पकाने की लागत राशि स्व-सहायता समूहों/एजेंसियों एवं रसोईयों के मानदेय का भुगतान परिषद द्वारा एन. आई.सी. के माध्यम से विकसित पी.एम. पोषण पोर्टल तथा पब्लिक फायनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) पोर्टल के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है।

- ♦ **खाद्यान्न आबंटन**— खाद्यान्न का आबंटन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से पीएम पोषण पोर्टल तथा आधार एनेबल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (एईपीडीएस) पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन व उचित मूल्य दुकानों के द्वारा किया जाता है।
- ♦ योजनांतर्गत खाद्यान्न, (चावल/गेहूँ) भारत सरकार से बीपीएल दरों पर प्राप्त होता है।
- ♦ खाद्यान्न की परिवहन राशि 750 रुपये प्रति मैट्रिक टन निर्धारित है।
- ♦ कुल केन्द्रीय आबंटन का 2.7 प्रतिशत एम.एम.ई. मद के अंतर्गत प्राप्त होता है।

01.04.2023 से 31.03.2024 तक के अनुसार वार्षिक प्रावधान एवं उनके विरुद्ध प्रगति—
(राशि रु. लाख में)

क्र	विभागीय गतिविधियां	वार्षिक प्रावधान		वित्तीय वर्ष की प्रगति			
		भौतिक प्रावधान	वित्तीय प्रावधान (राशि रु. लाख में)	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	वित्तीय लक्ष्य आवंटन (राशि रु. लाख में)	जारी राशि (राशि रु. लाख में)
1	शालाओं की संख्या	1.10 लाख	00	1.10 लाख	1.09 लाख	—	—
2	विद्यार्थियों की संख्या (लाख में)	45.85 लाख	00	45.85 लाख	41.99 लाख	—	—
3	रसोईयों की संख्या (लाख में)	2.10 लाख	00	2.10 लाख	2.05 लाख	—	—
4	खाद्यान्न की मात्रा एवं लागत राशि (लाख में)	1.35 लाख एमटी	3,012.79	1.35 लाख एमटी	1.17 लाख एमटी	3,012.78	2,774.40
5	भोजन पकाने की लागत राशि	00	73,609.23	00	00	73,594.67	64,308.63
6	रसोईयों का परिश्रमिक	2.10 लाख	66,470.10	2.10 लाख	2.05 लाख	66,470.10	65,673.52
7	खाद्यान्न परिवहन की लागत राशि	00	2,026.54	00	00	1,624.69	725.60
8	एमएमई की राशि	00	1,668.87	00	00	1,648.15	1,648.03
9	रसोईघर सह भण्डार कक्ष (रिपयेरिंग)	3,549	354.90	3549	00	354.90	00
10	बर्तन रिप्लेसमेंट	1,496	220.60	1496	00	220.60	00
11	नवीन बर्तन	30	4.10	30	00	4.10	00

विशेष टीप—

रसोईया मानदेय — अक्टूबर 2023 से प्रदेश में कार्यरत रसोईयों का मानदेय 2000/— रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4000/— रुपये प्रतिमाह कर दिया है। जिसमें केन्द्रांश 600/— रुपये प्रतिमाह एवं राज्य मद से राज्यांश 3400/— रुपये कुल 4000/— प्रतिमाह दिया जा रहा है।

सामाजिक अंकेक्षण — वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनांतर्गत प्रत्येक जिले की एक जनपद से संचालित 50 शालाओं कुल प्रदेश की 2600 शालाओं का मध्यप्रदेश स्टेट सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराया गया।

तिथि भोज— तिथि भोज अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जन सहभागिता से 1,00,102 शालाओं में विभिन्न अवसरों पर तिथि भोज आयोजित किया गया।

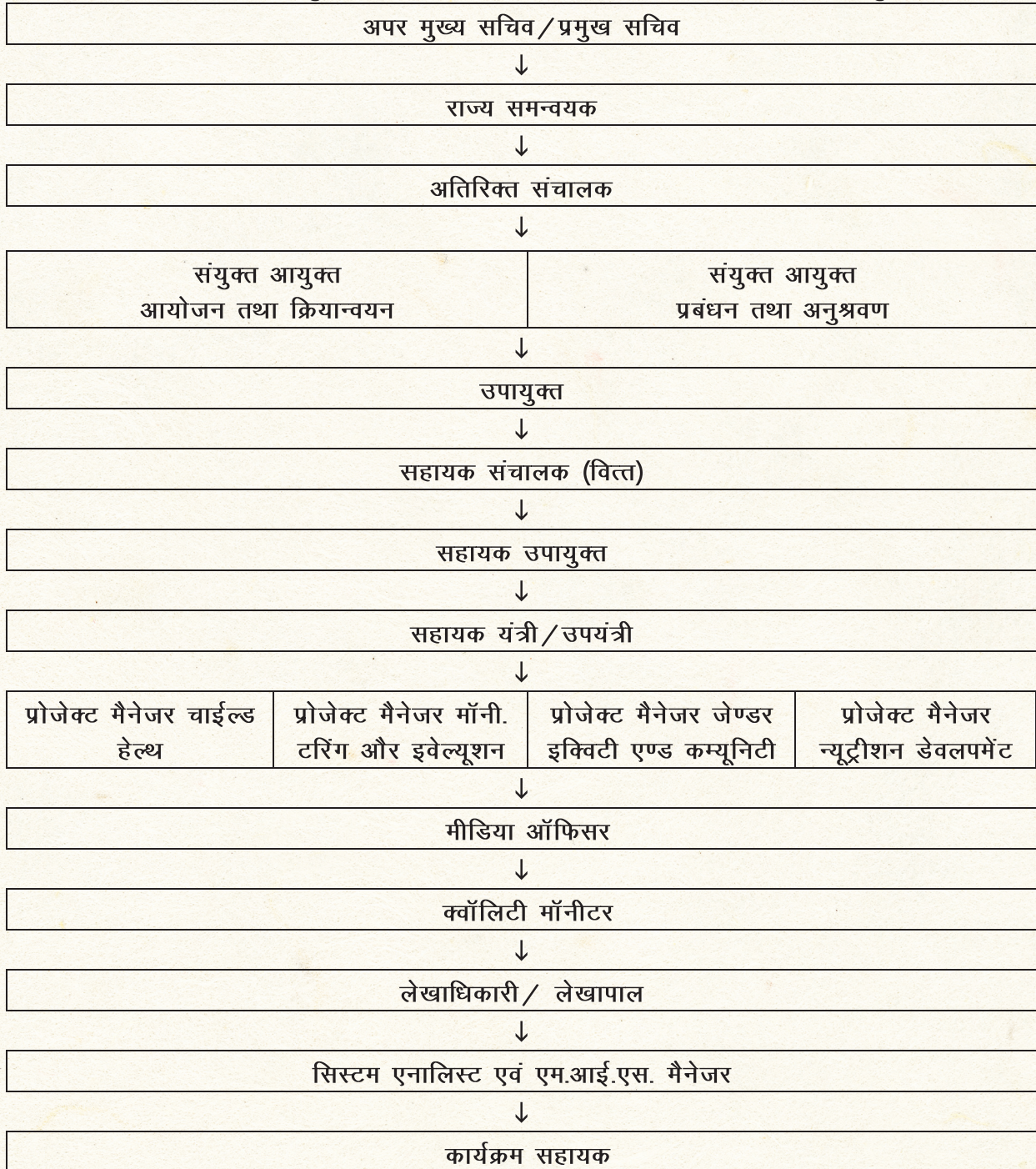
माँ की बगिया — प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभिसरण से 4267 माँ की बगिया (पोषण वाटिका) का कार्य पूर्ण किया गया।

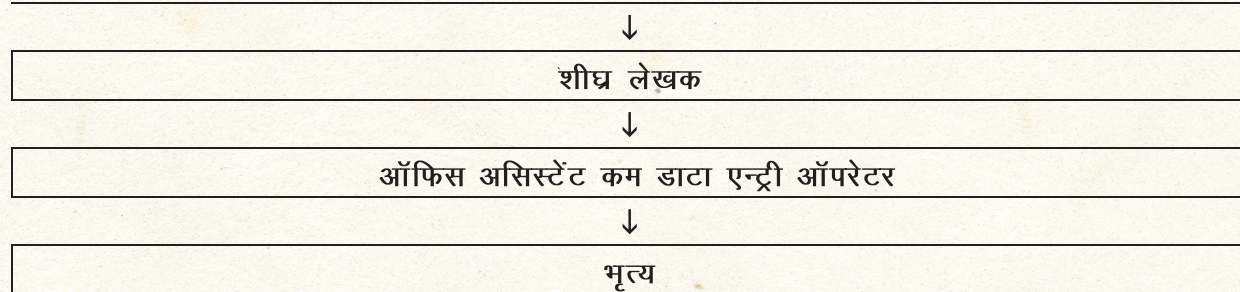
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की पदीय संरचना एवं स्थिति :-

राज्य स्तर – राज्य स्तर पर म0प्र0 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण परिषद' कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, नियंत्रण व अनुश्रवण करती है। परिषद अंतर्गत निम्नलिखित समितियां गठित की गईं—

1. साधारण सभा – अध्यक्षता मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
2. कार्यकारिणी समिति – अध्यक्षता प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/विकास आयुक्त।

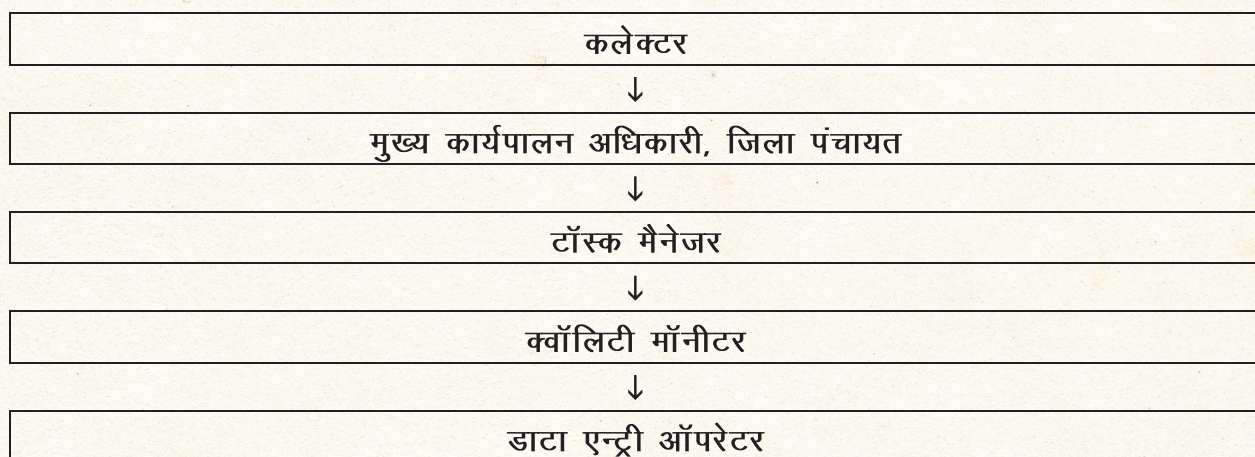
योजना के संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर प्रशासकीय अमला निम्नानुसार है—





प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की पदीय संरचना एवं स्थिति :-

जिला स्तर



13. भोपाल हाट

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत भोपाल हाट का निर्माण वर्ष 2005 में किया जाकर म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन दि. 18/9/2006 को पंजीकृत किया गया है।

भोपाल हाट का प्रमुख उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने, स्वसहायता समूहों एवं स्वरोजगारियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रदर्शन एवं विक्रय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेलों का आयोजन करना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रीजनल सरस मेले (वर्ष में दो बार) का आयोजन किया जाता है। जिसमें प्रदेश के साथ-साथ देश के सभी प्रांतों के स्व-सहायता समूह भाग लेते हैं।

भोपाल हाट के प्रबंधन हेतु विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय शासी निकाय का गठन किया गया है। शासी निकाय के सदस्य संबंधित विभागों के सचिव तथा सदस्य सचिव, संचालक, ग्रामीण रोजगार होते हैं, जो कि भोपाल हाट के प्रबंध संचालक के पद पर कार्य करते हैं। भोपाल हाट विपणन समिति हेतु विभागीय बजट में अनुदान का प्रावधान नहीं है। समिति का संचालन स्व अर्जित आय से किया जाता है।

भोपाल हाट अंतर्गत वर्ष 2023-24 में विभागीय/अन्य विभागों के आयोजित मेलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	मेले का नाम	अवधि	राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय	नोडल विभाग का नाम
01	श्रावण मेला	19/08/2023 से 29/08/2023 तक (11 दिवस)	क्षेत्रीय	पंचायत एवं ग्रामीण वि.वि.
02	रीजनल सरस मेला 2023-24 (प्रथम)	27/09/2023 से 09/10/2023 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय	पंचायत एवं ग्रामीण वि.वि.
03	बिहार क्राफ्ट मेला	13/10/2023 से 22/10/2023 तक (10 दिवस)	राष्ट्रीय	बिहार सरकार
04	राष्ट्रीय खादी उत्सव	28/10/2023 से 08/11/2023 तक (12 दिवस)	राष्ट्रीय	म.प्र. खादी बोर्ड भोपाल
05	सिल्क फैब प्रदर्शनी	17/11/2023 से 30/11/2023 तक (14 दिवस)	राष्ट्रीय	एनएचडीसी भारत सरकार
06	नेशनल हेण्डलूम एक्सपों	04/12/2023 से 17/12/2023 तक (14 दिवस)	राष्ट्रीय	हस्तशिल्प विकास निगम भोपाल
07	उमंग प्रदर्शनी	22/12/23 से 31/12/23 तक (10 दिवस)	राष्ट्रीय	नाबार्ड भोपाल
08	कृषि मेला	16/2/24 एवं 17/2/24 (2 दिवस)	क्षेत्रीय	कृषि कल्याण विभाग
09	रीजनल सरस मेला 2023-24 (द्वितीय)	12/03/2024 से 24/03/2024 तक (13 दिवस)	राष्ट्रीय	पंचायत एवं ग्रामीण वि.वि.

14. महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान-म.प्र. आधारताल, जबलपुर

विकास के इस दौर में निरंतर हो रहे परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रशिक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। समय-समय पर प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों के द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को नवीन सूचनाओं से अद्यतन कराने की आवश्यकता होती है। इसी अनुक्रम में संस्थान को त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन का दायित्व भी सौंपा गया है।

पंचायतराज एवं ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से भारत शासन के द्वारा प्रदेश में वर्ष 1987 में “राज्य ग्रामीण विकास संस्थान” की स्थापना की गई। आचार्य विनोबा भावे द्वारा देय नाम “मध्यप्रदेश की संस्कारधानी” जबलपुर में पूर्व से ही पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित था, जो कि भारत शासन द्वारा 1967 में राज्य शासन को हस्तांतरित किया गया था। यह केन्द्र तत्समय पंचायतराज एवं सामुदायिक विकास से जुड़े अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण दायित्व का निर्वहन करता था। विद्यमान अधोसंरचना एवं व्यवस्थाओं का त्वरित उपयोग करने की दृष्टि से राज्य शासन ने इस केन्द्र का 1987 में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान के रूप में उन्नयन किया एवं यह संस्थान पूरे प्रदेश के लिए पंचायतराज के पदाधिकारियों एवं ग्रामीण विकास के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए एक चिन्हित संस्थान के रूप में कार्य करने लगा।

स्वायत्तशासी व्यवस्था के अंतर्गत संस्था का नियंत्रण माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में गठित “शासक मंडल” के द्वारा किया जाता है। शासक मंडल में ग्रामीण विकास, वित्त, पंचायत एवं समाज कल्याण, महिला बाल विकास आदि विभिन्न विभागों के सचिवों, पंचायतराज संस्थाओं के जिला एवं जनपद स्तर के जन प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाओं में से विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में मनोनयन का प्रावधान किया गया है, जिससे संस्थान की गतिविधियों को अकादमिक के साथ-साथ मैदानी वास्तविकताओं को जोड़कर प्रशिक्षणों को आवश्यकता अनुरूप बनाया जा सके। संस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के लिए मार्गदर्शन नियंत्रण, पर्यवेक्षण हेतु “कार्यकारिणी समिति” गठित है, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग हैं। संस्थान के संचालक, कार्यकारिणी समिति के सदस्य सचिव है।

प्रशासनिक संरचना :-

संस्थान के नवीन उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु व कार्यालयीन कार्य संचालन, प्रशिक्षण, शोध व अनुसंधान की गतिविधियों को संचालित करने का दायित्व संस्थान के संचालक का होता है, जो कि संस्था प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। संस्थान में संयुक्त संचालक, उपसंचालक, प्रशासनिक अधिकारी, लिपिकीय एवं अलिपिकीय वर्ग के पद सृजित हैं। संस्थान में शासन द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है:-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
	(1) प्रशासनिक			
1	संचालक	1	1	0
2	अतिरिक्त संचालक	2	0	2
3	संयुक्त संचालक	1	0	1

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
4	उप संचालक	3	3	0
5	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जनपद पंचायत)	4	3	1
7	अधीक्षक	2	2	0
	(2) प्रशिक्षण			
8	प्रोफेसर रूरल प्लानिंग / मैनेजमेंट	2	0	2
9	अनुदेशक	2	0	2
10	अनुसंधान सहायक	2	1	1
11	संकाय सदस्य (भारत शासन कोर फैकल्टी)	7	2	5
	(3) सहयोगी कार्मिक			
12	लिपिक वर्ग	20	8	12
13	अलिपिकीय वर्ग	4	3	1
14	रसोईया / भृत्य / माली / दफ्तरी / वॉटरमैन / चौकीदार / फर्राश / हेल्पर / परिचारक / इलेक्ट्रीशियन	30	15	15
15	वाहन चालक	3	3	0
16	सफाई कर्मी	4	1	3
	योग	88	42	46

संस्थान की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संरचना को युक्तियुक्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

संस्थान वित्त पोषण :-

स्वायत्तशासी होने के उपरांत संस्थान को राज्य शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वर्ष 2023-24 में राज्य शासन द्वारा रु. 250.03 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया, जिसके विरुद्ध माह मार्च 24 तक रु. 250.03 लाख प्राप्त हुए हैं एवं वर्ष 2023-24 में माह मार्च 2024 तक कुल राशि रु. 461.81 लाख का व्यय हुआ। संस्थान के कोर संकाय सदस्यों की संविदा राशि की पूर्ति भारत शासन के आवर्ती मद के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2023-24 के लिए संस्थान द्वारा भारत शासन को आवर्ती मद में रु. 141.00 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके विरुद्ध भारत शासन द्वारा राशि अप्राप्त है। अनुदान के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं आवश्यक अधोसंरचना को विभिन्न संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराकर भी राशि अर्जित करता है, जिससे संस्थान के संधारण संबंधी अन्य व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र :-

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान को संपूर्ण प्रदेश का उत्तरदायित्व दिया गया है। संपूर्ण प्रदेश के जिला, जनपद एवं मैदानी स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण एक केन्द्रीकृत व्यवस्था से संभव नहीं था, अतः प्रदेश के 6 क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज

प्रशिक्षण केन्द्रों — भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, सिवनी, उज्जैन एवं नौगांव (जिला छतरपुर) का नियंत्रण एवं समन्वय, पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व संस्थान को दिया गया है। इन क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा जनपद सदस्यों, ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ-साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास के मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का भौगोलिक क्षेत्र अनुमानतः 50-60 जनपदों तक विस्तारित है, इन जनपद पंचायतों के अंतर्गत पंचायतराज के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्र पर है। इन सभी 6 केन्द्रों के अपने स्वतंत्र परिसर हैं। जिनमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण कक्ष एवं छात्रावास की सुविधाएं, भारत शासन के सहयोग से निर्मित की गयी हैं। प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर एवं नौगांव (छतरपुर) में कर्मचारियों के लिए आवास गृह भी उपलब्ध है। सिवनी प्रशिक्षण केन्द्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवासगृहों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का वित्त पोषण :-

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों का भी राज्य शासन व भारत शासन से वित्त पोषण की व्यवस्था है। राज्य शासन से वर्ष 2023-24 में 500 लाख रु. स्वीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 24 तक राशि रु. 500.00 लाख अनुदान प्राप्त हुआ है एवं वर्ष में प्राप्त अनुदान के विरुद्ध माह मार्च 24 तक राशि रु. 692.97 लाख का व्यय हुआ। भारत शासन से आवर्ती मद में रु. 20.00 लाख प्रति केन्द्र के मान से निश्चित अनुदान प्राप्त होता है, जिसके विरुद्ध केवल ईटीसी इंदौर को वर्ष 2023-24 में प्राप्त अनुदान राशि रु. 5.00 लाख हुई है। इसके अतिरिक्त केन्द्र अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अधोसंरचना के उपयोग के माध्यम से भी कुछ राशि अर्जित करते हैं जिसका उपयोग अधोसंरचना के विकास एवं संधारण आदि के लिए किया जाता है।

संस्थान एवं क्षेत्रीय केन्द्र अपनी अधोसंरचना के विकास के लिए पूरी तरह से भारत शासन की सहायता पर निर्भर है। अनावर्ती व्यय की शत प्रतिशत पूर्ति भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार की जाती है। अनावर्ती व्यय के अंतर्गत संस्थान की अधोसंरचना का विकास एवं विस्तार, प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2023-24 में आयोजित प्रशिक्षण :-

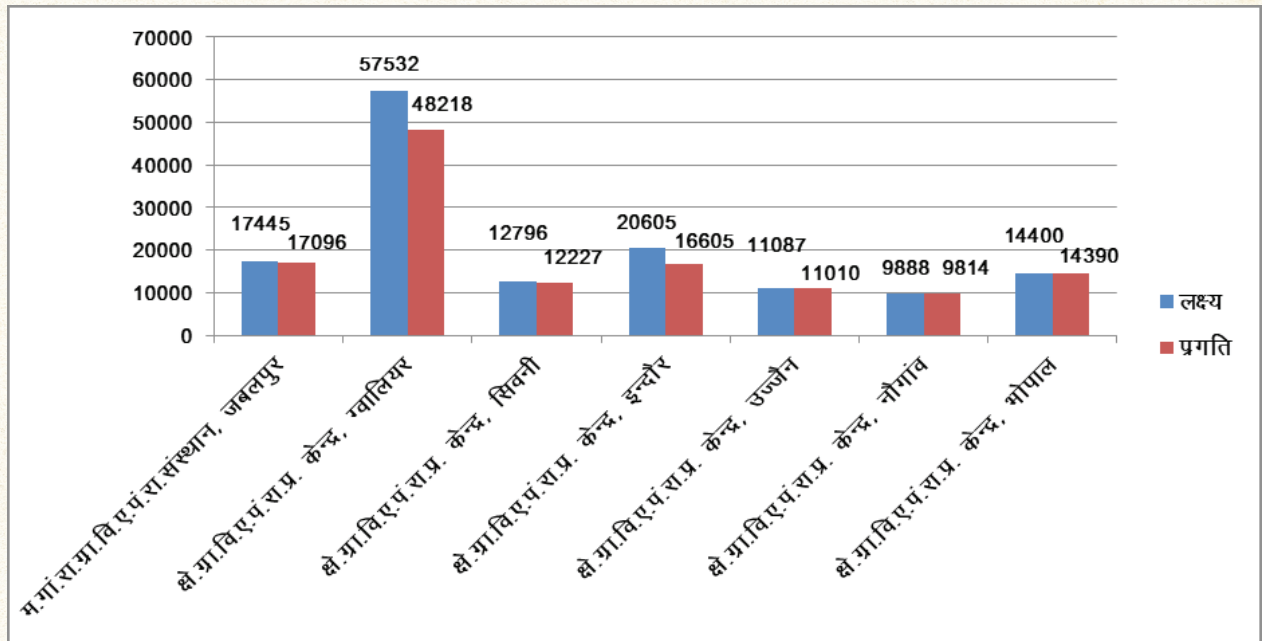
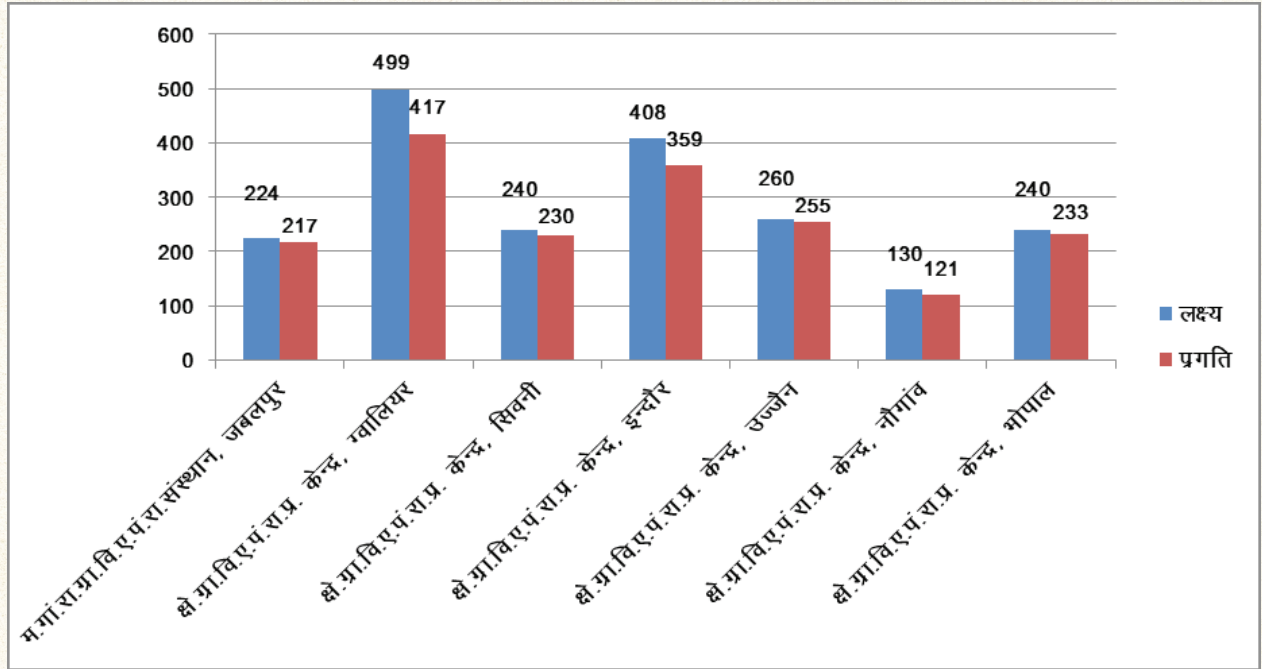
संस्थान द्वारा वर्ष 2023-24 में माह अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक 217 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें 17,096 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी तरह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा 1615 सत्र आयोजित कर 1,12,264 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सत्रवार विवरण निम्नानुसार है :-

क.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
1	नवनिर्वाचित सरपंच का मूलभूत प्रशिक्षण (ऑफ केम्पस)	60	4432	3	58	4214	12642
2	प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना विषय पर प्रशिक्षको का प्रशिक्षण	2	124	1	2	102	102

क.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
3	प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना विषय पर प्रशिक्षण (ऑफ केम्पस)	30	3000	1	28	3081	3081
4	सामाजिक जवाबदेही एवं सामाजिक अंकेक्षण विषय पर जनपद पंचायत स्तरीय स्रोत व्यक्तियों का 30 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स	2	70	30	2	68	2040
5	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत सहायक यंत्री एवं उपयंत्री का मूलभूत प्रशिक्षण	1	102	5	1	102	510
6	"गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत गाँव" विषय पर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण	1	50	3	1	60	180
7	"बाल हितैषी पंचायत" विषय पर प्रशिक्षण	1	50	2	1	53	106
8	जेम एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संयुक्त इंटरफेस विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	3	114	2	3	101	202
9	जेम एवं ई ग्राम स्वराज पोर्टल के संयुक्त इंटरफेस विषय पर प्रशिक्षण (ऑफ केम्पस)	80	8000	2	77	7888	15776
10	"स्वस्थ गांव के अंतर्गत कुपोषण मुक्त पंचायत" विषय पर प्रशिक्षण	2	100	2	2	95	190
11	"महिला हितैषी पंचायत अंतर्गत-हिंसा मुक्त पंचायत" विषय पर प्रशिक्षण	2	70	2	2	75	150
12	ग्राम पंचायतों की स्वयं के आय विषय पर प्रशिक्षण	2	70	2	2	75	150
13	एसडीजी अंतर्गत थीम सुशासन वाला गांव विषय पर प्रशिक्षण	1	50	3	1	49	147
14	"जल की प्रचुरता वाला गांव" विषय पर प्रशिक्षण	1	30	3	1	30	90

क.	प्रशिक्षण का नाम	लक्ष्य			प्रगति		
		सत्र	प्रतिभागी	प्रशिक्षण दिवस	सत्र	प्रतिभागी	सृजित प्रशिक्षण दिवस
15	सहभागी ग्रामीण विकास विषय पर प्रशिक्षण	14	350	5	14	316	1580
16	जीपीडीपी में सहभागी ग्रामीण ऑकलन तकनीकों का उपयोग विषय पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2	100	3	2	102	306
17	मनरेगा एवं आजीविका मिशन के अभिसरण अंतर्गत जनपद स्तरीय शासकीय सेवको का प्रशिक्षण	4	73	3	4	73	219
18	नीति आयोग – आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत नेतृत्व विकास विषय पर प्रशिक्षण	4	150	2	4	151	302
19	नीति आयोग – आकांक्षी विकासखण्ड कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का सेक्टरल प्रशिक्षण कार्यक्रम	10	420	1	10	364	364
20	सामाजिक सुरक्षा विषय पर पंचायतराज क्रियान्वयको का प्रशिक्षण	1	40	3	1	41	123
21	सांसद आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत कार्यशाला	1	50	1	1	56	56
योग		224	17445	.	217	17096	38316

संस्थावार प्रशिक्षण सत्रों का प्रस्तावित वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह मार्च 2024 तक आयोजित किए गए प्रशिक्षण सत्रों का विवरण



प्रयास का एक दशक

संस्थान अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों को आवश्यक सहयोग मार्गदर्शन एवं संरक्षण देकर सक्रिय बनाने की दिशा में प्रयासरत है, जिनके फलस्वरूप संस्थान की गतिविधियों में विस्तार एवं वृद्धि हुई है। वर्तमान में संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। संस्थान द्वारा किए गए प्रयास निम्न सारणी में परिलक्षित होते हैं –

वर्ष	संस्थान		क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र	
	सत्र	प्रतिभागी	सत्र	प्रतिभागी
2006-07	274	10688	787	51498
2007-08	259	9658	1061	56952
2008-09	1580	99999	1022	50003
2009-10	2583	153861	1035	38184
2010-11	245	9211	1233	47045
2011-12	2184	299165	1194	57759
2012-13	5229	238020	1093	51771
2013-14	8927	371747	752	32199
2014-15	440	17083	301	13167
2015-16	249	7026	263	11024
2016-17	80	2479	425	15582
2017-18	360	10968	197	7262
2018-19	3626	164755	308	8330
2019-20	1976	94026	185	7539
2020-21	44	6690	296	15198
2021-22	169	9132	828	39777
2022-23	522	15435	1135	48934
2023-24	217	17096	1615	112264

पाठ्य सामग्री का सृजन एवं प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न विषयों कमशः स्व-सहायता समूह, पंचायतराज, ग्राम पंचायत विकास योजना, बाल उत्प्रेरण, प्रशिक्षण प्रबंधन एवं तकनीक, विकेन्द्रित नियोजन, पंचायती राज व्यवस्था अध्ययन, महिला एवं बाल विकास और जेंडर एवं प्रजनन स्वास्थ्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आदि से संबंधित लगभग 85 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है।

मासिक पत्रिका “पहल” का प्रकाशन :-

संस्थान द्वारा मासिक ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन संस्थान की वेबसाइट पर किया जाता है, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास से संबंधित श्रेष्ठ अनुकरणीय कार्य, नवाचार, सफलता की कहानियां, वर्तमान गतिविधियां एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के संबंध में आलेख प्रकाशित किये जाते हैं साथ ही साथ संस्थान में आयोजित प्रशिक्षण, बैठकें, सेमीनार, कार्यशालाओं से संबंधित जानकारियों का भी उल्लेख पत्रिका में किया जाता है।

इस ई-पत्रिका “पहल” का प्रकाशन बिना किसी व्यय के किया जाता है, जिससे पंचायतराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधि एवं शासकीय सेवक भी लाभान्वित हो सकें।

भविष्य की परिकल्पना:-

संस्थान को प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण की गतिविधियों के संचालन में उत्तरोत्तर उपलब्धि प्राप्त हो रही है। संस्थान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों का अनुश्रवण कर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त योजनाओं से संबंधित विषयों पर शोध कार्य किए जा रहे हैं, जिनके निष्कर्षों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक परिवर्तन के सुझाव शासन की ओर प्रेषित किये जाते हैं।

संस्थान द्वारा राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं से निरंतर संपर्क कर प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास के परिणाम परिलक्षित भी हुए हैं, आगामी वर्ष में भी संस्थान प्रशिक्षण के साथ-साथ शोध एवं प्रशिक्षण से जुड़े नवाचारों के आधार पर अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

15. म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल

म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल वर्ष 1985 से कलियासोत बांध के दाहिने किनारे पर 89 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला है, जिसमें सुरम्य परिदृश्य में पहाड़ियों, ढलानों, मैदानों और पठारों के साथ वनस्पतियों और जीवों से हरे-भरे परिसर शामिल है। यह परिस्थितिक विकास और जैव विविधता का समर्थन करते हैं। विभिन्न उभरती पर्यावरणीय चुनौतियों और जैव विविधता संबंधी चिन्ताओं को दूर करने के लिए वाल्मी, भोपाल द्वारा विशेष रूप से हाल के दिनों में वैज्ञानिक और नवीन दृष्टिकोणों के आधार पर विभिन्न जल एवं भूमि प्रबंधन उपाय किये गए हैं, जो निम्नानुसार है :-

- ♦ नेनो वाटरशेड विकास अवधारणा के तहत मिट्टी और जल संरक्षण तकनीक –कंटूर ट्रेन्च और बंड, गेबियन संरचना, सेंड बेग संरचना, दोहा पेटर्न चैनल, परकोलेशन टैंक, सॉसर, लूज बोल्डर संरचना आदि।
- ♦ सिंचाई प्रबंधन तकनीक
- ♦ वाटरशेड तकनीक
- ♦ भूजल पुनर्भरण के लिये आगर होल इनोवेशन
- ♦ वानिकी प्रबंधन
- ♦ पारम्परिक वृक्षारोपण और वाल्मी वन- वृक्षारोपण (1 वर्ष में घने जंगल की गारंटी)
- ♦ कृषि वानिकी और वन विकास
- ♦ जैविक संसाधनों के माध्यम से पौधों की सुरक्षा
- ♦ कंद, हल्दी, खस पेड़ों की छाया में वृक्षारोपण
- ♦ छत के पानी का संचयन
- ♦ जैविक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट प्रबंधन
- ♦ ग्रीन वॉल
- ♦ कबाड़ से कलाकाश मंच

वाल्मी ने जापानी मियावाकी तकनीक पर आधारित अपने स्वयं के वाल्मी वन अवधारणा विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो एक वर्ष की अवधि में सघन वन निर्माण की गारंटी देता है। वाल्मी वन वृक्षारोपण वाल्मी परिसर और म.प्र. के विभिन्न स्थानों पर लागू किया गया है। संस्थान के परिसर में 35 हजार से अधिक पौधे लगाये गये हैं, जो अब घने जंगल में विकसित हो गये हैं। संस्थान ने “वन्या तकनीक” का उपयोग करते हुये 100 एकड़ में सुबबूल, नीम, आंवला के लगभग 50 हजार पौधे भी लगाये हैं। परिसर में एक जैविक सीमा दीवार (ग्रीन वाल) और “जैव विविधता” विकसित की गयी है। पौधों की लगभग 175 और जीव जन्तुओं की लगभग 151 प्रजातियां हैं।

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के सेंट्रल इंडिया हाइड्रोलॉजी रीजनल सेंटर द्वारा 2020 में वाल्मी परिसर में विभिन्न मृदा और जल संरक्षण उपायों और वर्षा जल संरक्षण पर एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार महत्वपूर्ण प्रभाव पाये गये हैं, जो निम्नानुसार है :-

- ♦ भूजल पुनर्भरण में वृद्धि

- ♦ मिट्टी के नुकसान में कमी
- ♦ परिसर और आसपास की आवासीय कॉलोनियों के भूजल स्तर में वृद्धि
- ♦ जैव विविधता में सुधार
- ♦ वन आवरण और वन घनत्व में सुधार

संस्थान के इन उपायों से वनस्पति के प्राकृतिक कार्बन पृथक्करण, प्राकृतिक मिट्टी कार्बन सिंक स्तर एवं मृदा कार्बनिक कार्बन स्तर में वृद्धि हुई।

वनस्पति आवरण में वृद्धि के साथ क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता, घास के मैदानों ने वाल्मी परिसर को ऑक्सीजन पार्क में बदल दिया है, जिसे अब भोपाल के ग्रीन लंग्स के रूप में पहचाना जा रहा है। वाल्मी परिसर और आसपास का इलाका जंगली जानवरों के लिए गलियारा बन गया है। ये वन्य जीवन आश्रय के लिए अनुकूल वातावरण का संकेत है। प्राकृतिक संसाधनों जैव विविधता और परिस्थितिकीय सुधार और प्रबंधन के लिये वाल्मी का समग्र दृष्टिकोण जलवायु लचीलेपन के साथ हरित शहरों के विकास के लिये तथा प्रकृति के साथ हमारे संबंधों को बहाल करने में एक बड़ा कदम है।

प्रशिक्षण, संस्थान की एक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी गतिविधि है। विभिन्न शासकीय विभागों एवं योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाता है।

संस्थान की शासी निकाय एवं कार्यकारिणी समिति

अ) शासी निकाय (Governing Body)

- | | |
|--|--------------|
| ♦ मुख्य सचिव | — अध्यक्ष |
| ♦ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग | — सदस्य |
| ♦ कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. | — सदस्य |
| ♦ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| ♦ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| ♦ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग | — सदस्य |
| ♦ प्रमुख सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — सदस्य |
| ♦ प्रमुख सचिव, उद्यानिकी विभाग | — सदस्य |
| ♦ प्रमुख सचिव, मत्स्य पालन विभाग | — सदस्य |
| ♦ संचालक, वाल्मी | — सदस्य सचिव |

ब) कार्यकारिणी समिति (Executive Committee) :

- | | |
|--|-----------|
| ♦ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रा. वि. विभाग | — अध्यक्ष |
| ♦ प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग | — सदस्य |
| ♦ सचिव, वित्त विभाग | — सदस्य |
| ♦ प्रमुख सचिव/सचिव, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग | — सदस्य |

- ♦ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीआरआरडीए — सदस्य
- ♦ संचालक, आरजीएम/मुख्य कार्यपालन अधिकारी — सदस्य
- ♦ एस.एल.एन.ए.—एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम
- ♦ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन — सदस्य
- ♦ परियोजना संचालक, विश्वबैंक परियोजनायें जलसंसाधन विभाग — सदस्य
- ♦ प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा — सदस्य
- ♦ आयुक्त, सैन्य क्षेत्र विकास, जल संसाधन विभाग — सदस्य
- ♦ संचालक, उद्यानिकी — सदस्य
- ♦ संचालक, मत्स्य पालन — सदस्य
- ♦ सी.ई.ओ. एन.आर.ई.जी.एस. — (विशेष आमंत्रित)
- ♦ संचालक, वाल्मी — सदस्य सचिव

कार्यकारिणी समिति की बैठक

वर्ष 2023-24 में संस्थान की कार्यकारिणी समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में दिनांक 18.9.2023 एवं दिनांक 28.2.2024 को आयोजित की गई।

उद्देश्य

- ♦ विज्ञान एवं तकनीकी का प्रचार प्रसार तथा तकनीकी वैज्ञानिक ज्ञान का अर्जन करना।
- ♦ सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, भूमि विकास एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान करना एवं विविध पहलुओं पर प्रयोग संचालित करना तथा समान उद्देश्यों वाले संगठनों से समन्वय करना।
- ♦ सिंचाई प्रबंधन योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों एवं लाभार्थियों के प्रशिक्षण संचालित करना।
- ♦ ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन योजनाओं से संबंधित सामाजिक संस्थाओं एवं लाभार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना।
- ♦ ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रमों में संलग्न कर्मचारियों के लिए विशेष क्षमतावर्धन प्रशिक्षण आयोजित करना।
- ♦ सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का अंकुषण एवं मूल्यांकन।
- ♦ सिंचाई प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास गतिविधियों में शासन एवं स्थानीय निकाय व अन्य संगठनों को सलाहकारिता सेवा प्रदाय करना।
- ♦ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा जल संसाधन विभाग एवं विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण, क्षमतावर्धन, शोध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहयोग और प्रभावों का अंकुषण तथा मूल्यांकन करना।

कार्यक्षेत्र :-

- ♦ प्रशिक्षण (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन)
- ♦ संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन (ऑनलाईन एवं ऑफलाईन)
- ♦ सलाहकारिता सेवाएँ
- ♦ क्रियात्मक अनुसंधान एवं परियोजनाएं
- ♦ तकनीकी हस्तांतरण
- ♦ सूचना प्रौद्योगिकी
- ♦ अंकेक्षण एवं मूल्यांकन
- ♦ भ्रमण कार्यक्रम
- ♦ साहित्य एवं पठन सामग्री विकसित करना
- ♦ ई-विस्तार
- ♦ "लैब टू लैंड" अवधारणा
- ♦ विशिष्ट विद्वानों एवं अतिथियों के व्याख्यान
- ♦ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की तकनीकों का प्रक्षेत्र एवं परिसर में प्रदर्शन
- ♦ प्रकाशन – मैगजीन, वेबसाइट, फेसबुक, ट्वीटर, फिल्म्स, पोस्टर्स इत्यादि।

संस्थान में स्वीकृत पदों की जानकारी

स.क.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	संचालक	1
2	अपर संचालक/प्रशासकीय अधिकारी	1
3	उपायुक्त	1
4	सह-प्राध्यापक	5
5	ग्रन्थपाल	1
6	लेखाधिकारी	1
7	सहायक यंत्री	1
8	अनुभाग अधिकारी	1
9	तकनीकी सहायक	4
10	उपयंत्री	8
11	कम्प्यूटर ऑपरेटर/प्रोग्राम असिस्टेंट	3
12	सहायक मानचित्रकार	1
13	ग्राफिक आर्टिस्ट	1
14	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	2

स.क.	पदनाम	स्वीकृत पद
15	शीघ्र लेखक वर्ग दो	1
16	शीघ्रलेखक वर्ग तीन	1
17	वरिष्ठ लेखा लिपिक	1
18	सहायक वर्ग दो	6
19	सहायक वर्ग तीन	12
20	केटरिंग मैनेजर	1
21	प्रेक्षक	1
22	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	1
23	प्रयोगशाला तकनीशियन	2
24	केटलॉग इन्डेक्स क्लासीफायर	1
25	कुक	2
26	समयपाल	2
27	वाहन चालक	6
28	दफतरी	1
29	भृत्य	17
30	वाटरमेन	1
31	इलेक्ट्रीकल वायरमेन	1
32	सफाईकर्मी	4
33	पम्प अटेंडेंट	1
	योग	93

म. प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी), भोपाल

वर्ष 2023-24 में विभागवार आयोजित किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी
(01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024)

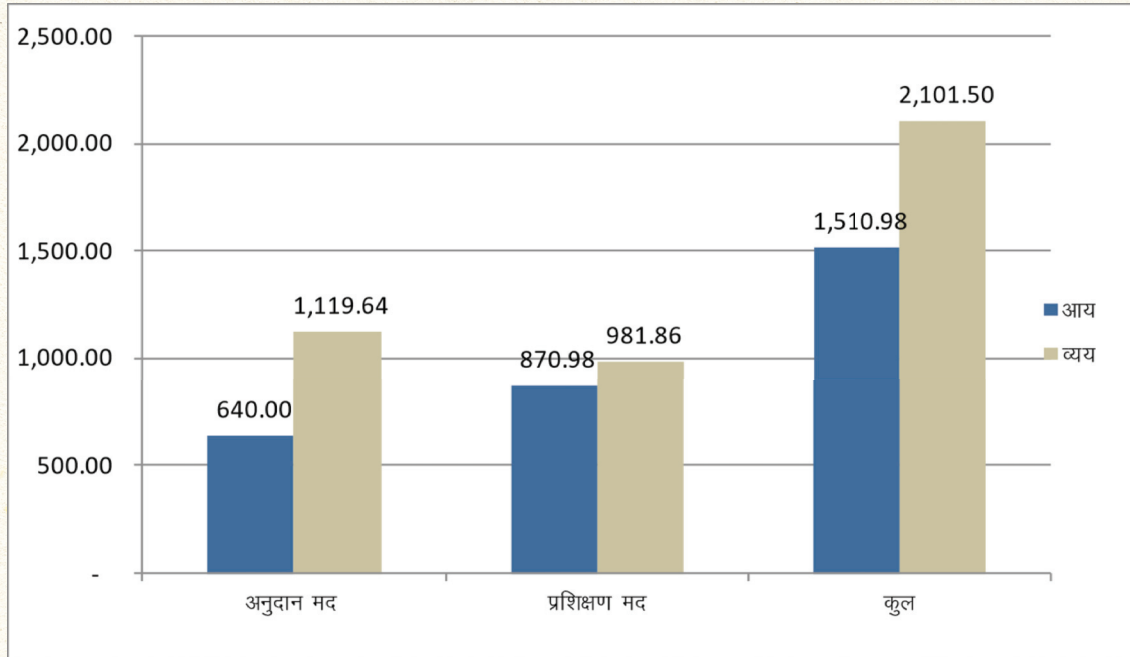
स.क्र.	विभाग	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानव दिवस
1	म. प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन	46	1943	5726
2	राज्य आनंद संस्थान	17	1387	6251
3	स्वास्थ्य विभाग	45	2378	9937

स.क्र.	विभाग	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण मानव दिवस
4	नेहरू युवा केन्द्र	02	254	1524
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	14	492	1236
6	राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन	10	405	783
7	जल संसाधन विभाग	17	617	5715
8	जल संसाधन विभाग (अटल भूजल योजना)	2724	66566	66847
9	जिला पंचायत	01	64	64
10	अन्य	10	404	988
	कुल	2886	74510	99070

आय व्यय विवरण 1.4.2023 से 31.3.2024 तक की स्थिति

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	अनुदान मद	प्रशिक्षण मद	कुल
आय	640.00	870.98	1510.98
व्यय	1119.64	981.86	2101.50



सघन वनीकरण

संस्थान द्वारा जापान की मियावाकी तकनीक में स्थानीय स्तर पर अनुसंधान कर सघन वनीकरण कार्य की तकनीक विकसित की है। तुलनात्मक रूप से वाल्मी द्वारा विकसित सघन वनीकरण तकनीक में मियावाकी पद्धति से लगभग एक चौथाई लागत आती है। वाल्मी द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों एवं अशासकीय संस्थाओं में सघन वनीकरण तकनीक द्वारा सफल प्रदर्शन/क्रियान्वयन किया है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :-

- ♦ स्मार्ट सिटी, सतना
- ♦ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल
- ♦ नगर निगम, भोपाल
- ♦ CREDAI, भोपाल

वाल्मी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तीन टोलप्लाजा पर सघन वनीकरण कार्य किया गया है। कार्यों की लागत लगभग रु. 240 लाख है।

यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित जल जीवन मिशन अन्तर्गत पायलट परियोजना

यह परियोजना मध्यप्रदेश वाल्मी यूनिसेफ एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। परियोजना दिसम्बर 2024 तक पूर्ण की जानी है। परियोजना के अन्तर्गत देवास एवं ग्वालियर जिले के 10-10 गांव में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विभिन्न क्षमतावर्धन इंटरवेंशन किये जाने हैं। इन कार्यों हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर एक-एक स्रोत व्यक्ति एवं ग्राम स्तर पर कुल पांच स्रोत व्यक्ति मानदेय के आधार पर संलग्न किए जाने हैं। परियोजना की कुल राशि रु. 28.41 लाख है।

अटल भूजल योजना के अन्तर्गत प्रक्षेत्र स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन :

संस्थान द्वारा मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग के लिये अटल भूजल योजना के अन्तर्गत बुंदेलखंड में वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रक्षेत्र स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर, जिला स्तर (06 जिलों में), विकासखंड स्तर (09 विकासखंडों में) एवं ग्राम पंचायत स्तर (672 ग्राम पंचायतों) पर आयोजित किए जाने हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष में राज्य स्तर पर 02, जिला स्तर पर 12, एवं विकासखंड स्तर पर 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचायत स्तर पर 672 ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण आयोजित किए गये। वर्ष वार आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :

स.क.	वित्त वर्ष	प्रशिक्षण की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	राशि (रु. लाख)
1	2021-22	2688	71084	328
2	2022-23	3978	74386	328
3	2023-24	2714	66171	328 (प्राप्त 2.36 लाख)

ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान स्तर पर एंपैनलमेंट किये गए रिसोर्स पर्सन की उपयुक्तता अटल भूजल के प्रशिक्षणों हेतु वाक इन इंटरव्यू द्वारा चिन्हांकित की गयी। चिन्हांकित रिसोर्स पर्सन को ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण देने हेतु दैनिक आधार पर नियोजित किया गया।

स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान फॉर वाटर सेक्टर मध्यप्रदेश स्टेट

राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार विभिन्न राज्यों हेतु स्टेट स्पेसिफिकेशन प्लान फॉर वॉटर सेक्टर ऑफ मध्यप्रदेश, वाल्मी द्वारा तैयार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तुत ड्राफ्ट स्टेट्स रिपोर्ट, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। संस्थान द्वारा भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भोपाल के सहयोग से अंतरिम रिपोर्ट तैयार करने का कार्य किया जा रहा है, जो अक्टूबर 2024 तक पूर्ण होना लक्षित है। इस कार्य की कुल राशि रु. 50 लाख है।



वाल्मी भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त करते प्रशिक्षणार्थी



वाल्मी परिसर में मियावाकी पद्धति से सघन वृक्षारोपण

16. वित्तीय वर्ष 2024-25 अप्रैल से माह जून में अद्यतन दिनांक की प्रगति

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्रामीण यांत्रिकी सेवा)

- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 28 कि.मी. लंबाई की 15 सड़कों का निर्माण किया जाकर लगभग 18 ग्रामों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान की गई।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत रीग्रेवलिंग कार्य हेतु पात्र 1126 सड़कें, लंबाई 2701 किमी स्वीकृत की गई। वर्ष 2024-25 में अब तक 11 सड़कें, 11 किमी लंबाई की पूर्ण की जा चुकी हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- वर्ष 2024-25 में स्वीकृत लेबर बजट 20.00 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष 5.90 करोड़ मानव दिवस सृजित किये गये हैं, जो स्वीकृत कुल लेबर बजट का 29.5 प्रतिशत है।
- कुल सृजित मानव दिवसों में से महिलाओं द्वारा 44.13 प्रतिशत मानव दिवस सृजित किये गये हैं।
- वर्ष 2024-25 में कुल लिए गए कार्य 7.46 लाख में से पूर्ण कार्यों की संख्या 0.91 लाख एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या 6.54 लाख है।
- वर्ष 2024-25 में कुल व्यय राशि रुपए 1615.22 करोड़ में से मजदूरी पर व्यय राशि रुपए 1360.93 करोड़ है एवं सामग्री पर कुल व्यय राशि रु. 116.12 करोड़ है।
- योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में समय से मजदूरी का भुगतान का प्रतिशत 99.82 है।
- मिशन अमृत सरोवर योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 75 सरोवर प्रति जिले के निर्धारित लक्ष्य अनुसार कुल 3900 सरोवर के लक्ष्य के विरुद्ध प्रदेश में 5936 कार्य चिन्हित करते हुए मिशन अमृत सरोवर के प्रारंभ से अब तक 5831 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस प्रकार अब तक की उपलब्धि 152 प्रतिशत रही है।
- पुष्कर धरोहर अभियान अंतर्गत समस्त लंबित कार्यों को पूर्ण कराया गया। इस प्रकार अभियान अंतर्गत जल संरक्षण तथा संवर्धन के कुल 33,901 कार्यों का जीर्णोद्धार किया गया।
- जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा परिषद द्वारा अभियान का क्रियान्वयन कराया गया। विभिन्न मदों (महात्मा गांधी नरेगा, पंचायत निधि, सांसद/विधायक निधि, वित्त आयोग आदि) से अभियान अंतर्गत कुल 1403 करोड़ रुपये के 61,067 कार्यों का क्रियान्वयन किया गया।

सामाजिक अंकेक्षण

- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने एवं फण्ड की अनुपलब्धता के कारण समस्त 23,011 ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत संपादित निर्माण कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण माह जुलाई 2024 से प्रारंभ किया जावेगा। इस हेतु सोशल ऑडिट कैलेण्डर प्रविष्टि का कार्य प्रगतिरत है, वर्तमान में 7000 ग्राम पंचायतों के कैलेण्डर की प्रविष्टि की जा चुकी है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

- ♦ स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत 1023 ग्राम ठोस अपशिष्ट प्रबंधित एवं 228 ग्राम तरल अपशिष्ट प्रबंधित हुए एवं 249 ग्रामों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया गया है।
- ♦ खुले में शौच मुक्ति (ओडीएफ) के स्थायित्व हेतु 7089 व्यक्तिगत शौचालयों एवं 105 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया गया।
- ♦ गोबरधन परियोजना अंतर्गत 08 बायोगैस सयंत्र निर्मित हुए।
- ♦ स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग अभियान अंतर्गत प्रदेश में अभी तक 125 अतिथ्य सुविधाओं का प्रमाणीकरण किया जाकर म.प्र. देश में अग्रणी है। प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित राज्य पर्यटन विकास निगम के बाइसन रिसार्ट को देश का पहला 5 ग्रीन लीफ रेटिंग का गौरव प्राप्त हुआ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

- ♦ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 1000 कि.मी लम्बाई का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। अद्यतन दिनांक की स्थिति में 157.33 कि.मी. लंबाई के 46 मार्ग एवं 43 पुलों का निर्माण कर राशि रुपये 253.30 करोड़ व्यय की गई।
- ♦ पी.एम. जनमन अंतर्गत वर्ष 2024-25 बैच- में 180 कि.मी. लंबाई के 40 मार्ग एवं राशि रुपये 157 करोड़ की स्वीकृति भारत शासन से प्राप्त की गई।
- ♦ राज्य संपर्कता अंतर्गत वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 09 कि.मी मार्ग एवं 1 पुल (लंबाई 120 मी.) का निर्माण किया गया, तथा 250 से अधिक आबादी के ग्रामों को संपर्कता देने हेतु मण्डी निधि योजना अंतर्गत कुल 13.17 कि.मी मार्ग का निर्माण किया गया।
- ♦ संधारण/उन्नयन मद अंतर्गत अब तक लगभग 1600 कि.मी. लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण किया जाकर रुपये 112 करोड़ का व्यय किया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- ♦ योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अद्यतन दिनांक तक कुल 2.06 लाख अपूर्ण आवासों में से 16,784 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया गया है। योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से अब तक कुल स्वीकृत 37.99 लाख आवासों में से 36.09 (95%) लाख आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। आवास पूर्णता में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी स्थान पर है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

- ♦ वित्तीय वर्ष 2024-25 में अद्यतन दिनांक तक 2827 परिवारों का सर्वे कार्य पूर्ण करते हुये 1386 हितग्राहियों का पंजीयन किया जा कर 9165 आवास स्वीकृत कराये गये हैं तथा 11,537 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। योजनांतर्गत अभी तक 1.54 लाख परिवारों का सर्वे कार्य किया गया जिसमें से 1.34 लाख हितग्राहियों का पंजीयन कार्य किया जा कर 94,561 आवास स्वीकृत कराये जाकर 11679 आवास पूर्ण कराये गये हैं। आवास पूर्णता में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

प्रदेश में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमपी डे. एसआरएलएम) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित गरीब परिवारों की महिलाओं को संगठित कर उनके स्व-सहायता समूह बनाकर उन्हें आजीविका गतिविधियों से जोड़ा जाता है ताकि उनकी आजीविका को संवहनीय आधार पर बेहतर बनाया जा सके।

- ♦ बैंक लिंकेज के अंतर्गत 32,092 समूहों को राशि रु. 399.20 करोड़ बैंक ऋण वितरित किया गया है।
- ♦ 2,782 समूहों को राशि रु. 5.54 करोड़ का रिवाल्विंग फंड वितरित किया गया एवं 1,766 समूहों को राशि रु. 17.02 करोड़ का सीआईएफ फंड वितरित किया गया।
- ♦ तैनात बीसी सखियों/पे-पाइंट सखियों द्वारा कुल 2.76 लाख की संख्या में लेनदेन तथा कुल राशि रु. 91.94 करोड़ का लेनदेन किया गया है।
- ♦ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अन्तर्गत 35.42 लाख समूह सदस्यों का एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अन्तर्गत 42.50 लाख समूह सदस्यों के बीमे का नवीनकरण किया गया है।
- ♦ 52 जिलों के 182 विकासखण्डों में लिंग हस्तक्षेप गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही है। 50 संकुल स्तरीय संगठन, 430 ग्राम संगठन एवं 2050 स्व-सहायता समूहों में जेण्डर गतिविधियों के माध्यम से स्व-सहायता समूह सदस्यों को जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया है।
- ♦ खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अंतर्गत स्व-सहायता समूह एवं उनके परिजनों को एफ.एन.एच.डब्ल्यू. से संबंधित उचित व्यवहार और प्रथाओं के बारे में जागरूक एवं प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। 117 ग्राम संगठन एवं 1,416 स्व सहायता समूह सदस्यों को जागरूक व प्रशिक्षित किया गया।
- ♦ कृषि एवं पशुपालन आधारित गतिविधियों से 38,431 परिवारों को एवं गैर कृषि आधारित गतिविधियों से 5,645 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- ♦ 313 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से स्व सहायता समूह द्वारा 4.7 लाख टन अनाज का उपार्जन किया गया।
- ♦ 4,239 कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण दिया गया।
- ♦ 7 नवीन दीदी कैफे आरंभ किये गये हैं।
- ♦ ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एवं आरसेटी) के माध्यम से 10,270 को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

- ♦ योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक रुपये 40.76 करोड़ की वित्तीय प्रगति अर्जित की गई। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन मंद अंतर्गत 246 जलसंरक्षण एवं संवर्धन संरचनाओं का निर्माण कर 1413 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सामर्थ्य विकसित की गई।
- ♦ उत्पादन प्रणाली मद अंतर्गत 16 कृषक सुविधा केंद्र हेतु अधोसंरचना का निर्माण किया गया।

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

- ♦ योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में कुल राशि रुपये 12300 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध अब तक राशि रु. 6933.15 लाख का व्यय किया गया। इस वर्ष अब तक कुल 17619.13 मैट्रिक टन. खाद्यान्न क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी किया गया।

जल गंगा संवर्धन अभियान

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 2024 (5 जून 2024 – 30 जून 2024 तक) मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों के जल स्रोतों तथा नदी, तालाबों, कुओं, बावड़ी तथा अन्य जल संरक्षण स्रोतों के पुनर्जीवन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

उद्देश्य –

- ♦ अभियान अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के 05 वर्ष या अधिक पुराने कार्य जैसे – तालाब, खेत तालाब, स्टॉपडेम, चेकडैम, कुओं बावड़िया आदि का जीर्णोद्धार गहरीकरण करना।
- ♦ जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार/उन्नयन कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नागरिकों, सामाजिक एवं अशासकीय संस्थाओं की जन सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ♦ जल संरचनाओं के किनारों पर यथा संभव बफर जोन तैयार कर हरित क्षेत्र/पार्क का विकास करना।
- ♦ जल संरचनाओं के अतिक्रमण रोकने के लिये किनारों पर पौधरोपण तथा इनकी सुरक्षा के लिये सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाना।

जल गंगा संवर्धन अभियान 2024 अभियान का प्रारंभ

- ♦ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अभियान के प्रथम दिवस 05 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बेतवा नदी के उदगम स्थल ग्राम झिरी जिला रायसेन में 108 पौधे लगा कर अभियान का शुभारंभ किया गया।



- इस अवसर पर माननीय मंत्री जी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्थानीय विधायक, जिला/जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि एवं संतजन उपस्थित थे।



- जल गंगा संवर्धन अभियान के पहले दिन प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत न्यूनतम 01 कार्य प्रारंभ किया गया है। अभियान अंतर्गत अद्यतन दिनांक की स्थिति में प्रगति निम्नानुसार है –

कार्य का नाम	ग्रामीण			
	कार्यों की संख्या		लागत (रु.लाख में)	
	नवीन	जीर्णोद्धार	नवीन	जीर्णोद्धार
नवीन कूप	3693		9332.03	
कूप जीर्णोद्धार		5978		4776.32
खेत तालाब	9117	52	24213.24	48.06
गेबियन/गली प्लग	637	18	479.82	8.10
चेकडैम/स्टापडेम	2519	2859	12100.81	5792.11
तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार/गहरीकरण	4447	7674	40570.47	18342.50
नदी गहरीकरण एवं साफ-सफाई	3	2	60.00	0.99
नाला सुधार	51	11	106.12	8.50
परकोलेशन टैंक	2009	268	8830.35	22.56
रिचार्ज पिट	7123	872	2776.48	101.02
अन्य कार्य	10070	3664	11220.82	1514.59
कुल	39669	21398	109690.14	30614.75

अभियान के दौरान लिए गए कार्यों से जल संग्रहण क्षमता में कुल वृद्धि (करोड़ क्यू.मी.)	2.94
अभियान के दौरान लिए गए कार्यों से निकाली गई गाद (करोड़ क्यू.मी.)	0.098



जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान वृक्षारोपण करते हुए माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद सिंह पटेल एवं अभियान के दौरान जिलों में हुए कार्य

जल गंगा संवर्धन अभियान के दौरान विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित अभियान संबंधी गतिविधियां

जल गंगा संवर्धन अभियान के छायाचित्र



जल गंगा संवर्धन अभियान के छायाचित्र



जल गंगा संवर्धन अभियान के छायाचित्र





विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में चर्चा करते हुए माननीय मंत्री जी श्री प्रहलाद सिंह पटेल



विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से योजनाओं की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल





पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन